यूनियन सृजन

वर्ष - 9, अंक - 1, मुंबई, जनवरी-मार्च, 2024

आज़ादी का अमृत महोत्सव

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
भारत सरकार का उपक्रम

Union Bank of India
A Government of India Undertaking

यूनियन सृजन

प्रकाशन तिथि : 13.05.2024

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तिमाही हिंदी गृह पत्रिका

वर्ष - 9, अंक - 1, मुंबई, जनवरी-मार्च, 2024

संरक्षक

ए. मणिमेखलै
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

प्रधान संपादक

अरुण कुमार
मुख्य महाप्रबंधक (मा.सं.)

संपादकीय सलाहकार

गिरीश चंद्र जोशी
महाप्रबंधक (मा.सं. एवं रा.भा.)

जी.एन.दास
महाप्रबंधक

कार्यकारी संपादक

विवेकानंद
सहायक महाप्रबंधक (रा.भा.)

संपादक

गायत्री रवि किरण
मुख्य प्रबंधक (रा.भा.)

संपादन सहयोग

नितिन वासनिक
सहायक प्रबंधक (रा.भा.)

जागृति उपाध्याय
सहायक प्रबंधक (रा.भा.)

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
भारत सरकार का उपक्रम

Union Bank of India
A Government of India Undertaking

अनुक्रमणिका

- परिदृश्य 1
- संपादकीय 2
- राजभाषा विषयक निरीक्षण 3-4
- दो दिवसीय कंप्यूटर आधारित हिंदी कार्यशाला 5
- भाषिणी 6-7
- विश्व भाषा की ओर अग्रसर हिंदी 7-8
- भारतीय भाषाएं एवं एआई 9
- वित्तीय समावेशन की सफलता में क्षेत्रीय भाषाओं का योगदान 10-11
- महिला विशेष कार्यशाला 12-13
- पूर्व चेतावनी संकेत 14-15
- मानसून एवं अर्थव्यवस्था 16-17
- बैंक गारंटी में अनुपालन 18-19
- धन-शोधन - उभरती प्रवृत्तियां 20-21
- लोक अदालत-वैकल्पिक विवाद निस्तारण फोरम 22-23
- सेंटर स्प्रेड 24-25
- काव्य सृजन 26-27
- शेयर बाजार- मिथक और तथ्य 28-29
- गणतंत्र दिवस में नारी शक्ति 30-31
- यात्रा सृजन: मेरा कश्मीरनामा 32-33
- मधुबनी चित्रकला 34-35
- पुस्तक समीक्षा : शेखर एक जीवनी 36-37
- साहित्य सृजन: गुरजाडा अप्पाराव : अंधविश्वास मुक्त सोच के प्रेरणास्रोत 38-39
- भौगोलिक संकेत 40
- राजभाषा पुरस्कार / समाचार 41-47
- आपकी नज़र में 48

राजभाषा कार्यान्वयन प्रभाग, मानव संसाधन विभाग
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई द्वारा आंतरिक परिचालन हेतु प्रकाशित

ई-मेल: gayathri.ravikiran@unionbankofindia.bank | union.srijan@unionbankofindia.bank
Tel.: 022-41829288 | Mob.: 9849615496

Printed and Published by Gayathri Ravi Kiran on behalf of Union Bank of India, Printed at Uchitha Graphic Printers Pvt. Ltd., 65, Ideal Ind. Estate, Mathuradas Mill Compound, S. B. Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013, and Published from Union Bank of India, 239, Union Bank Bhawan, Vidhan Bhawan Marg, Nariman Point, Mumbai - 400 021.

यूनियन सृजन में प्रकाशित विचार लेखक के अपने हैं. प्रबंधन का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है.

आवरण चित्र : ब्लूथ्रोट पक्षी
श्री सौमिक मंडल, एस.ए.एम. शाखा, क्षे.का., कोलकाता मेट्रो

परिदृश्य

प्रिय यूनियनाइट्स,

'यूनियन सृजन' के इस अंक के माध्यम से आपको संबोधित करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है. भारतीय बैंकिंग उद्योग ने तकनीकी नवाचारों, विनियामक सुधारों और ग्राहकों की बदलती अपेक्षाओं के कारण उल्लेखनीय परिवर्तन देखा है. इन परिवर्तनों ने न केवल हमारे कारोबार करने के तरीके को नया रूप दिया है, बल्कि विकास और वृद्धि के नए रास्ते भी खोले हैं.

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान काफी अच्छा कार्यनिष्पादन दर्ज किया है. जमाराशियों में 9.29% वृद्धि, अग्रिमों में 11.73% वृद्धि, रैम में 13.82% वृद्धि के साथ-साथ निवल एनपीए स्तर अब घटकर 1.03% तक आया है. इन सब का सकारात्मक प्रभाव दृष्टिगोचर है और बैंक ने 61.84% वर्षानुवर्ष वृद्धि के साथ ₹13,648 करोड़ निवल लाभ की घोषणा की है. इस बेहतरीन कार्यनिष्पादन के लिए सभी यूनियनाइट्स विशेषकर फ्रंटलाइन स्टाफ बधाई के हक़दार हैं. आपके द्वारा दिए गए उच्च कोटि की ग्राहक सेवा और संस्था के प्रति समर्पण भाव से ही यह संभव हो पाया है. इस सफलता से प्रेरणा लेते हुए हमें नए वित्तीय वर्ष में बैंक के ब्रैंड को और निखारने की दिशा में कार्य करना होगा.

बैंकिंग जगत में तेज़ी से बदलाव आ रहे हैं. ग्राहक आज अपनी व्यक्तिगत ज़रूरतों और प्राथमिकताओं के अनुरूप व्यक्तिगत बैंकिंग अनुभव चाहते हैं. बैंक डिजिटाइजेशन का लाभ उठाते हुए ग्राहकों से जुड़ने और उनकी सुविधा अनुसार सेवा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है. इसी दृष्टिकोण से बैंक ने उत्कृष्ट ग्राहक सेवा की दिशा में कदम बढ़ाते हुए कई पहल किए हैं. बैंक के सभी विभागों तथा शाखाओं के माध्यम से अपने ग्राहकों को सुसंगत और उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से बैंक द्वारा ग्राहक सेवा उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जा रही है. बैंक अपने फ्रंटलाइन स्टाफ को क्षेत्रीय भाषाओं में संवाद का प्रशिक्षण दे रहा है. क्षेत्रीय भाषाएं उत्कृष्ट ग्राहक सेवा का अनुपम माध्यम हैं. ग्राहकों से उनकी अपनी भाषा में संवाद स्थापित करने से वे बैंक के साथ एक जुड़ाव महसूस करते हैं.

भविष्य हेतु तैयार रहने के उद्देश्य से बैंक ने डिजिटल बैंकिंग प्लेटफार्म सहित कई डिजिटल पहल प्रारंभ किए हैं. ग्राहक अनुभव में बढ़ोत्तरी लाने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान बैंक ने डिजिटल बचत खाता, डिजिटल यूनियन किसान तत्काल, डिजिटल पीएमस्वनिधि, डिजिटल कार्यशील पूंजी संवर्धन, डिजिटल स्वर्ण ऋण, ऑनलाइन ओटीएस तथा वी-केवाईसी के लिए डिजिटल जर्नी प्रारंभ की है. संवृद्धि और नवाचार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए बैंक ने प्रोजेक्ट 'यूनियन लीप' का शुभारंभ किया है. वित्तीय सेवाओं में सुधार करते हुए बाजार में नेतृत्व हासिल करने की दिशा में यह एक प्रगतिशील कदम है. इसके अंतर्गत कासा रूपांतरण और कारोबार में संवहनीय वृद्धि के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु रूसू क्षेत्रों में डिजिटल फर्स्ट दृष्टिकोण से 'यूनियन प्रीमियर' शाखाएं खोली जा रही हैं.

मुझे खुशी है कि 'यूनियन सृजन' में स्टाफ सदस्यों द्वारा बैंकिंग और राजभाषा से संबंधित अनेक विषयों पर लिखे गए सारगर्भित लेख प्रकाशित किए जाते हैं. इन लेखों के माध्यम से बैंकिंग क्षेत्र के नवीन रुझानों के संबंध में एक संवाद की शुरुआत होती है. मैं इस अंक में वैविध्यपूर्ण विषयों का समावेश करने हेतु 'यूनियन सृजन' के लेखकों और संपादक मंडल को बधाई देती हूँ. मैं आशा करती हूँ कि यह गृह पत्रिका बैंक के विकास और प्रगामी वृद्धि के मार्ग को प्रशस्त करने हेतु सार्थक संवाद स्थापित करने का माध्यम बनेगी और लेखन-पठन का यह सिलसिला इसी प्रकार जारी रहेगा.

भारतीय बैंकिंग उद्योग एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है, जिसकी विशेषता अभूतपूर्व परिवर्तन और नवाचार है. इन बदलावों को अपनाकर, बैंक न केवल तेजी से विकसित हो रहे परिदृश्य में प्रासंगिक बने रह सकता है, बल्कि राष्ट्र के लिए सतत विकास और समृद्धि को भी बढ़ावा दे सकता है. मुझे विश्वास है कि सभी यूनियनाइट्स इस विचारधारा को अपनाएंगे और बैंक के कार्य के प्रत्येक पहलू में अपना पूर्ण योगदान देंगे.

हार्दिक शुभकामनाओं सहित,

आपकी,

(ए. मणिमेखलै)

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

संपादकीय

प्रिय पाठकगण,

'यूनियन सृजन' के इस अंक के माध्यम से सुधी पाठकगण के साथ जुड़ना हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है. 'यूनियन सृजन' के पिछले दो अंक यथा 'भाषा' विशेषांक और 'महिला उद्यमिता' विशेषांक के माध्यम से हमने भाषा के विभिन्न पहलू तथा अर्थव्यवस्था में महिला उद्यमिता के योगदान को उद्दीप्त किया है. वर्तमान अंक सामान्य अंक के रूप में प्रस्तुत है, जिसमें राजभाषा कार्यान्वयन के विभिन्न पहलू तथा बैंकिंग उद्योग से संबंधित वैविध्यपूर्ण विषयों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है.

'राजभाषा सृजन' के अंतर्गत बैंक के दैनिक काम-काज में हिंदी के प्रयोग के संबंध में विभिन्न कार्यमदों के लिए निर्धारित लक्ष्य और कार्यान्वयन को बेहतर बनाने के तरीकों की चर्चा की जाती है. इसी क्रम में वर्तमान अंक में राजभाषा कार्यान्वयन में कार्यालय / शाखा निरीक्षण के महत्व पर चर्चा की गई है. साथ ही हिंदी के प्रयोग-प्रसार में हो रहे मुहिम, प्रौद्योगिकी पहल आदि की अद्यतन जानकारी का भी समावेश किया गया है.

बैंक की गृह पत्रिका होने के नाते बैंकिंग से संबंधित महत्वपूर्ण तत्वों की चर्चा के बिना इस गृह पत्रिका में पूर्णता नहीं आएगी. साथ ही वित्तीय जगत से संबंधित जानकारी के समावेश से प्रासंगिकता बढ़ती है. इसी दृष्टिकोण से बैंकिंग जगत को प्रभावित करने वाले विषयों के लेखों को शामिल करते हुए इसमें समग्रता लाने का प्रयास किया गया है.

साहित्य, काव्य और कला जीवन के आधार तत्व हैं. साहित्य का कर्तव्य केवल ज्ञान देना नहीं है, बल्कि एक नया वातावरण देना भी है. 'यूनियन सृजन' के लेखक जीवन के इन्हीं आधार तत्वों से हमारा नाता बनाए रखते हुए इस गृह पत्रिका को रोचक बनाते हुए सुसमृद्ध भारतीय साहित्य के विभूतियों की जीवनी और रचनाओं से सुधी पाठकों को परिचित कराते हैं, यात्रा सृजन में सुंदर चित्रों और शब्दों के सहारे पर्यटक स्थलों का चलचित्र पाठकों के मानसिक पटल पर उतारते हैं और पुस्तक समीक्षा के माध्यम से प्रेरणाप्रद और रोचक कृतियों का विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं. 'यूनियन सृजन' को रोचक और आकर्षक बनाने में हमारे लेखकों के योगदान हेतु उनके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं. साथ ही गृह-पत्रिका की गुणवत्ता में सुधार तथा इसकी रूप-रेखा में निखार लाने हेतु संपादकीय सलाहकारों से प्राप्त अमूल्य मार्गदर्शन हेतु हम उनके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं.

हमें विश्वास है कि आपको 'यूनियन सृजन' का यह अंक पसंद आएगा. 'यूनियन सृजन' की धरोहर को समृद्ध बनाने की दिशा में आपके सुझावों की प्रतीक्षा रहेगी.

आपकी,

(गायत्री रवि किरण)

राजभाषा विषयक निरीक्षण

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा केंद्र सरकार के सभी कार्यालय, उपक्रम, बैंक आदि के लिए प्रत्येक वर्ष "संघ का राजकीय कार्य हिंदी में करने के लिए वार्षिक कार्यक्रम" जारी किया जाता है, जिसके अनुसार हमारे बैंक में लागू मदों के लिए राजभाषा विभाग, केंद्रीय कार्यालय द्वारा "बैंक में हिंदी का प्रयोग- वार्षिक कार्ययोजना" तैयार की जाती है. इस वार्षिक कार्ययोजना में राजभाषा से संबंधित विभिन्न मदों के लक्ष्य दिए जाते हैं, जैसे धारा 3(3) का अनुपालन, हिंदी पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना, अंग्रेजी पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना, हिंदी में मूल पत्राचार (ई-मेल सहित), समग्र आंतरिक कामकाज में हिंदी का प्रयोग, द्विभाषिक रबड़ की मुहरें, द्विभाषिक पत्र प्रारूप, पुस्तकालय हेतु हिंदी पुस्तकों की खरीद, राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का आयोजन, सीआरएस पोर्टल में तिमाही प्रगति रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण, कार्यशालाओं का आयोजन, डेस्क प्रशिक्षण, प्रवीणता प्राप्त कार्मिकों को व्यक्तिशः आदेश, क्षेत्रीय गृह पत्रिका का प्रकाशन, हिंदी दिवस का आयोजन, शाखा/कार्यालय निरीक्षण, शाखा में प्रदर्शित जन सूचना बोर्ड आदि.

संसदीय राजभाषा समिति, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, वित्तीय सेवाएं विभाग आदि द्वारा समय-समय पर पूर्व सूचना देने के बाद निरीक्षण किया जाता है. साथ ही हमारे बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय, अंचल कार्यालय एवं केंद्रीय कार्यालय में पदस्थ राजभाषा प्रभारी द्वारा शाखाओं/कार्यालयों का नियमित अंतराल पर राजभाषा विषयक निरीक्षण किया जाता है.

संसदीय राजभाषा समिति का गठन राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4(4) के अंतर्गत वर्ष 1976 में किया गया था. यह उच्चाधिकार प्राप्त संसदीय समिति है, जो संघ के सरकारी काम-काज में राजभाषा हिंदी के प्रयोग में की गई प्रगति की समीक्षा करती है. इसमें 30 संसद सदस्य होते हैं. 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से. केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/उपक्रमों/बैंकों में राजभाषा के कार्य की प्रगति के निरीक्षण कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए इस समिति को तीन उप समितियों में विभाजित किया गया है. समिति की ये तीनों उप समितियां देश के सभी भागों में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों, संस्थानों आदि का मौके पर जाकर राजभाषा संबंधी निरीक्षण करती है. इन निरीक्षणों के दौरान निरीक्षणाधीन कार्यालयों से प्राप्त सूचनाओं से समिति को जब यह लगता है कि किसी कार्यालय विशेष में हिंदी के प्रगामी प्रयोग की दृष्टि से वहाँ संघ की राजभाषा नीति का सुचारु रूप से कार्यान्वयन नहीं हो पा रहा है या उन्हें विशेष कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और स्थिति में सुधार सुनिश्चित करने के लिए संबंधित मंत्रालय या मुख्यालय का हस्तक्षेप नितांत आवश्यक है तो उस मंत्रालय के सचिव एवं उसके अधीनस्थ कार्यालयों के प्रमुखों को समिति के समक्ष मौखिक साक्ष्य के लिए बुलाया जाता है. इस संबंध में सचिव तथा प्रत्येक संबंधित कार्यालयाध्यक्ष के लिए एक विशेष निरीक्षण प्रश्नावली एवं बैंकों के लिए पूरक प्रश्नावली तैयार की जाती है. इन प्रश्नावलियों के माध्यम से अपेक्षित सूचना/आंकड़े पहले लिखित रूप में प्राप्त कर लिए जाते हैं और उनका गहन अध्ययन किए जाने के बाद कार्यालयों से संबंधित पूरक प्रश्न तैयार किए जाते हैं.

केंद्र सरकार के कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों/बीमा कंपनियों/निगमों/बोर्डों आदि में संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन एवं राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की है. इस प्रयोजन के लिए, देश के विभिन्न क्षेत्रों में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के अधीन 08 क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय कार्यरत हैं. क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों में पदस्थ उप निदेशक/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा समय-समय पर उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले कार्यालयों एवं उनके नियंत्रणाधीन शाखाओं का राजभाषा विषयक निरीक्षण किया जाता है और राजभाषा कार्यान्वयन में आ रही कठिनाइयों पर विचार-विमर्श कर उन्हें दूर करने के लिए सुझाव/मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है. क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय एवं उनके अधिकार क्षेत्र की जानकारी निम्नानुसार है :

क्र.	क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय	अधिकार क्षेत्र
1	क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (पश्चिम)	महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमण दीव, दादरा एवं नागर हवेली
2	क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (मध्य)	मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़
3	क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय -I (उत्तर)	दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, चंडीगढ़, राजस्थान
4	क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय - II (गाजियाबाद)	उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड
5	क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (पूर्व)	पश्चिम बंगाल, ओडिसा, बिहार, झारखण्ड, अंडमान एवं निकोबार
6	क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (दक्षिण)	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना
7	क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (पूर्वोत्तर)	असम, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैण्ड, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश
8	क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (दक्षिण-पश्चिम)	केरल, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, लक्षद्वीप

वार्षिक कार्ययोजना में दिए गए लक्ष्यों के अनुसार प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अपने क्षेत्राधीन शाखाओं, प्रत्येक अंचल कार्यालय द्वारा अपने अंचल के सभी क्षेत्रीय कार्यालय और राजभाषा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई द्वारा सभी अंचल कार्यालय का वर्ष में एक बार राजभाषा विषयक निरीक्षण करना अनिवार्य है. शाखा/कार्यालय निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य शाखाओं/कार्यालयों में राजभाषा नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित करने में आने वाली कठिनाइयों पर विचार-विमर्श कर उन्हें दूर करना है.

राजभाषा विषयक निरीक्षण के दौरान शाखाओं/ कार्यालयों से अपेक्षाएँ :

1) शाखा/कार्यालय का साइन बोर्ड द्विभाषिक / त्रैभाषिक रूप में होना चाहिए.

2) शाखा/कार्यालय में प्रदर्शित सभी जानकारी/बोर्ड/काउंटर बोर्ड बैंक के मानकों के अनुसार द्विभाषी/त्रिभाषी रूप में प्रदर्शित होने चाहिए.

3) शाखा/कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाने वाली सभी जानकारी/सूचना द्विभाषी/त्रिभाषी होनी चाहिए.

4) उपस्थिति रजिस्टर/ मस्टर रोल द्विभाषिक/हिंदी में बनाया जाना चाहिए तथा सभी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा हिंदी में हस्ताक्षर किया जाना चाहिए. अवकाश/ त्यौहार आदि की टिप्पणी भी हिंदी में की जानी चाहिए.

5) शाखा/कार्यालय में बनाए जाने वाले सभी रजिस्टरों पर नाम / विषय द्विभाषिक/हिंदी में लिखा जाना चाहिए एवं रजिस्टरों में की जाने वाली सभी प्रविष्टियाँ हिंदी में की जानी चाहिए.

6) शाखा/कार्यालय में उपयोग किए जाने वाले रबड़ की सभी मुहरें द्विभाषिक रूप में ही उपयोग की जानी चाहिए.

7) शाखा/कार्यालय में प्रयोग में लाए जा रहे सभी मुद्रित फॉर्म बैंक के मानकों के अनुसार हिंदी/द्विभाषी/त्रिभाषी रूप में होने चाहिए.

8) शाखा/कार्यालय में उपलब्ध सभी कंप्यूटर/लैपटॉप में यूनिकोड में हिंदी इनपुट सक्रिय होना चाहिए.

9) शाखा/कार्यालय हेतु आबंटित बजट के अनुसार प्रत्येक वर्ष हिंदी पुस्तकों की खरीद की जानी चाहिए और खरीदी गयी पुस्तकों का उचित रख-रखाव भी किया जाना चाहिए. स्टाफ सदस्यों को हिंदी पुस्तक जारी करने के लिए एक पुस्तकालय रजिस्टर भी बनाया जाना चाहिए.

10) शाखा/कार्यालय में बनाए जाने वाले सभी वाउचर हिंदी में बनाए जाने चाहिए.

11) पत्राचार हेतु द्विभाषिक पत्रशीर्षों का उपयोग किया जाना चाहिए.

12) शाखा/कार्यालय में पदस्थ सभी स्टाफ के आईडी कार्ड एवं सभी अधिकारियों के विजिटिंग कार्ड अनिवार्य रूप से द्विभाषी होने चाहिए.

13) कोर राजभाषा सोल्यूशन में शाखा/ कार्यालय प्रोफ़ाइल अद्यतन होना चाहिए.

14) कोर राजभाषा सोल्यूशन में सभी स्टाफ सदस्यों का कर्मचारी रोस्टर समय-समय पर अद्यतन किया जाना चाहिए.

15) शाखा/कार्यालय में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारियों को शाखा प्रमुख/कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर से व्यक्तिश: आदेश जारी किया जाना चाहिए.

16) कोर राजभाषा सोल्यूशन के पत्र प्रबंधन प्रणाली में आवक-जावक पत्राचार का उचित रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए और पत्रों को स्कैन कर अपलोड किया जाना चाहिए.

17) शाखा में एक राजभाषा की फाइल बनायी जानी चाहिए और राजभाषा संबंधी सभी पत्र उसमें फाइल किए जाने चाहिए.

18) प्रत्येक तिमाही में शाखा/कार्यालय स्तर पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का आयोजन कर कोर राजभाषा सोल्यूशन में कार्यवृत्त अपलोड किया जाना चाहिए.

19) तिमाही समाप्ति के बाद 7 दिनों के भीतर कोर राजभाषा सोल्यूशन में राजभाषा विषयक तिमाही प्रगति रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण किया जाना चाहिए एवं हस्ताक्षरित प्रति राजभाषा फाइल में रखी जानी चाहिए.

20) हिंदी पत्राचार एवं हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिए जाने का उचित रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए.

21) यदि शाखा/कार्यालय नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की सदस्य है तो नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के संयोजक कार्यालय को समय पर छमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करना चाहिए तथा इसकी प्रति रिकॉर्ड में उपलब्ध होनी चाहिए. छमाही बैठकों में शाखा प्रमुख/कार्यालय प्रमुख को अनिवार्य रूप से उपस्थित रहना चाहिए, यदि किसी कारण से शाखा प्रमुख/कार्यालय प्रमुख बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ है तो उन्हें उप शाखा प्रमुख/उप कार्यालय प्रमुख को बैठक में भाग लेने हेतु निर्देश देना चाहिए और इसकी जानकारी लिखित रूप से नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के संयोजक कार्यालय को दी जानी चाहिए.

22) बैंक में हिंदी का प्रयोग - वार्षिक कार्ययोजना के अनुसार सभी मदों में उपलब्धि सुनिश्चित की जानी चाहिए.

राजभाषा नियम 1976 के नियम 12 के अनुसार भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन, राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व कार्यालय प्रमुख का होता है. अत: प्रत्येक शाखा / कार्यालय प्रमुख का दायित्व है कि वे अपनी शाखा/कार्यालय में राजभाषा अधिनियम एवं राजभाषा नीति का कार्यान्वयन सुनिश्चित करें एवं इसके लिए आवश्यक जांच बिंदु लगाएं. बैंक द्वारा तैयार किए गए कोर राजभाषा सोल्यूशन में अधिकतर जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध है परंतु कई कार्य मैनुअल रूप से किए जाते हैं जिसका रिकॉर्ड ऑनलाइन एवं फाइल में रखना आवश्यक है. निरीक्षण के समय निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा ऊपर वर्णित सभी मदों की जांच की जाती है. अत: इन सभी मदों का रिकॉर्ड रखना बहुत ही आवश्यक है. ★

सुधीर भोला कृष्णा प्रसाद
क्षे. का., मुंबई-ठाणे

केंद्रीय कार्यालय के तत्वावधान में
विभिन्न केंद्रों में आयोजित दो दिवसीय
कंप्यूटर आधारित हिंदी कार्यशाला

दिनांक- 29.01.2024 एवं 30.01.2024 स्थान- लखनऊ

दिनांक- 29.01.2024 एवं 30.01.2024 स्थान- विशाखपट्टणम

दिनांक- 29.01.2024 एवं 30.01.2024 स्थान- मंगलूरु

दिनांक- 29.01.2024 एवं 30.01.2024 स्थान- मुंबई

दिनांक- 29.01.2024 एवं 30.01.2024 स्थान- दिल्ली

दिनांक -29.01.2024 एवं 30.01.2024 स्थान- हैदराबाद

दिनांक 29.01.2024 एवं 30.01.2024 स्थान- बेंगलूरु

दिनांक 29.01.2024 एवं 30.01.2024 स्थान- भोपाल

दिनांक 16.02.2024 एवं 17.02.2024 स्थान- भुवनेश्वर

भाषिणी

भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती का एक कारण यह भी है कि भारतीयों द्वारा पर्यटन पर किए गए खर्चों की मात्रा अधिक है. एक अनुमान के तहत वर्ष 2030 तक भारतीयों द्वारा पर्यटन पर ₹410 बिलियन खर्च किए जाएंगे जबकि वर्ष 2019 में यह राशि ₹150 बिलियन थी. 2023 में पर्यटन का भारतीय जीडीपी में योगदान ₹16.50 ट्रिलियन रहने की संभावना व्यक्त की गई है. ये आंकड़े भारतीय पर्यटन ही नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था के साथ ही साथ रोजगार सृजन में भी सहयोगी भूमिका निभाने के पक्के सबूत हैं. यदि हमारा लक्ष्य विश्व की तीन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में अपना स्थान बनाना है तो अर्थव्यवस्था के इस पहलू को नजरंदाज नहीं किया जा सकता.

भारतीय पर्यटकों में बड़ी संख्या ऐसे पर्यटकों की है जो धार्मिक पर्यटन के लिए भारत में फैले धार्मिक स्थानों का भ्रमण करते रहते हैं. विविधताओं से भरे इस देश में विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, जिसकी वजह से कई बार भारत के लोगों को अपने ही देश के लोगों से बातचीत करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. घरेलू पर्यटन के लिए हमारी विविधता वरदान भी है और अभिशाप भी. विविधता के दर्शन को समझने के लिए एक ओर हम पर्यटन पर जाते हैं तो वहीं भाषा की विविधता के कारण एक-दूसरे से अच्छी तरह जुड़ भी नहीं पाते हैं.

इस बाधा को दूर करने के लिए भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस-संचालित भाषा अनुवाद मंच 'भाषिणी' ऐप को बनाया गया है ताकि सभी भारतीय भाषाओं के भाषा-भाषी आपस में संवाद कर सकें. इस ऐप के उद्देश्यों में पर्यटन का विकास केवल एक छोटा सा भाग है. इस ऐप के प्रयोग से संभावनाओं के नए द्वार खुलते हैं जो विविधता से भरे इस देश को एक सूत्र में बांधकर एक खूबसूरत माला के निर्माण के मार्ग को प्रशस्त करने वाली है. यह न सिर्फ उत्तर से दक्षिण बल्कि सुदूर पूर्व से पश्चिम को भी जोड़ने का कार्य करेगी.

भाषिणी, भारतीय भाषाओं के लिए एक अनुवादक और वार्तालाप एप्लीकेशन के तौर पर तैयार की गई है. इस ऐप को विशेष रूप से भारतीय नागरिकों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है ताकि वे किसी भी शब्द को विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुवाद कर सकें और समझ सकें. भाषिणी एक आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस प्लेटफार्म है, इसमें लिख कर या बोल कर हम अपना इनपुट डाल सकते हैं और साथ ही दोनों ही माध्यमों में रिजल्ट पा सकते हैं. यह ऐप भारतीय नागरिकों को उन लोगों के साथ प्रभावी ढंग से बातचीत करने में मदद करता है जिनकी भाषा वे नहीं जानते हैं. इस ऐप की मदद से भारत में भाषा की बाधा कम हो पाएगी, जो कि देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है.

भाषिणी ऐप की कई विशेषताएँ हैं:

➢ इस ऐप की मदद से आप वॉइस को टेक्स्ट में बदल सकते हैं अर्थात कोई भी व्यक्ति अपनी भाषा या किसी दूसरी भाषा में बोली जा रही बातों को अपनी या किसी अन्य भाषा में टेक्स्ट के रूप में प्राप्त कर सकता है. उदाहरण स्वरूप यदि कोई व्यक्ति आपसे अन्य भाषा में बात कर रहा है और आप उसे समझ नहीं सकते तो उसे इस ऐप की मदद से उनकी वॉइस को टेक्स्ट में प्राप्त कर सकते हैं.

➢ टेक्स्ट से वॉइस जनरेट कर सकते हैं, अर्थात किसी भी भाषा में प्राप्त टेक्स्ट संदेश को अपनी भाषा या अन्य भाषा में कैसे बोला जाएगा, इस ऐप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं.

➢ एक भारतीय भाषा से दूसरी भारतीय भाषा में अनुवाद कर सकते हैं, अर्थात जिस प्रकार से हम अब तक गूगल ट्रांसलेट का प्रयोग करते हैं उसी प्रकार से अंग्रेजी एवं अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद के लिए भी इस ऐप का प्रयोग कर सकते हैं.

➢ इस ऐप की मदद से आप, जो लोग आपकी भाषा नहीं जानते हैं उनसे बातें कर सकते हैं. जिस प्रकार से वॉइस से अपनी भाषा में टेक्स्ट प्राप्त कर सकते हैं उसी प्रकार वॉइस से वॉइस (ऐप द्वारा टेक्स्ट को पढ़कर सुनाया जाता है) भी प्राप्त कर सकते हैं. अर्थात वॉइस को टेक्स्ट में तथा टेक्स्ट को वॉइस में भी बदल सकते हैं.

➢ इस ऐप की मदद से किसी भी तस्वीर पर लिखे हुए शब्दों या संदेश को कैमरा का प्रयोग करते हुए या अपनी गैलरी से चुनकर अपनी भाषा में प्राप्त कर सकते हैं.

➢ इस ऐप में उपलब्ध सुविधाओं में से एक खास सुविधा "ब्राउज़" के तहत प्रदान की गई है जिसमें आप इंटरनेट पर उपलब्ध किसी भी भाषा के कंटेंट को अपनी भाषा में पढ़ सकते हैं. साल 2021-22 के बजट में राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन की घोषणा से पहले एक सर्वे में यह बात सामने आई थी कि 53 फीसदी भारतीय इंटरनेट का इस्तेमाल इसलिए नहीं करते क्योंकि कंटेंट उनकी अपनी भाषा में नहीं होता. ऐसे में भाषिणी ऐप से इस समस्या को भी दूर करने का प्रयास किया जा रहा है. इस सुविधा के प्रयोग के लिए आपको इंटरनेट पर उपलब्ध किसी भी भाषा के कंटेंट वाले यूआरएल को कॉपी करके इस टैब के तहत दिए गए स्थान पर उस यूआरएल

को पेस्ट करना होगा. आपको जिस भाषा में परिणाम चाहिए वह चुनना होगा. उसके उपरांत "जेनेरेट वेब पेज" पर क्लिक करने पर आपको उक्त यूआरएल पर उपलब्ध सारे कंटेंट अपनी भाषा में प्राप्त हो जाएंगे.

भाषिणी ऐप के इस्तेमाल के लिए आप इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, आज-कल किसी भी ऐप को मोबाइल में इन्स्टॉल करने पर आपकी कई व्यक्तिगत जानकारियों के साथ-साथ मोबाइल के संवेदनशील ऐप के प्रयोग की अनुमति भी मांगी जाती है. परंतु यह ऐप भारत सरकार द्वारा बनाया गया है इसलिए इस ऐप द्वारा कोई भी जानकारी एवं अनुमति नहीं मांगी जाती, केवल एक जानकारी पूछी जाती है कि आप पुरुष हैं या स्त्री? यह जानकारी इसलिए ताकि वॉइस असिस्टेंस आपके टेक्स्ट को वॉइस में बदलते समय परिणाम को पुरुष की आवाज में देगा और अगर आप स्त्री हैं तो स्त्री की आवाज में.

भाषिणी ऐप को इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है, ऐप के होम स्क्रीन पर आपको सारे फीचर्स मिल जाएंगे, टेक्स्ट, वॉइस, कन्वर्स और भी कई अन्य विकल्प मिल जाएंगे. ऐप को इस प्रकार से बनाया गया है कि इसे कम पढ़े-लिखे लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वो भी अपनी भाषा में. ऐप के सेटिंग में ऐप की भाषा बदलने, वॉ इस असिस्टेंस में बदलाव करने, ट्रांस्लिट्रेशन की सुविधा (टाइपिंग के समय आपके कीबोर्ड में शब्द सजेस्ट करने के लिए) का उपयोग करने, एडवांस सेटिंग-जिससे अनुवाद को रियल टाइम में प्राप्त कर सकते हैं.

भाषिणी ऐप में अंग्रेजी और 23 भारतीय भाषाएं हैं, हिन्दी, मराठी, बांग्ला, पंजाबी, गुजराती, उडिया, तमिल, तेलुगू, कन्नड़, उर्दू, डोगरी, नेपाली, संस्कृत, असमी, मैथली, भोजपुरी, मलयालम, बोड़ो, मणिपुरी, कश्मीरी, कोंकणी, सिंधी और संथाली आदि.

देश की 22 आधिकारिक भाषाओं, 122 प्रमुख भाषाओं और 1599 अन्य भाषाओं को डिजिटल कड़ी से बांधने के प्रयास के रूप में भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा यह अनूठा प्रयास है. इस ऐप के प्रयोग से हम बैंकर भी लाभान्वित हो सकते हैं जो विविधता से भरे इस देश के कोने-कोने में पदस्थ होते रहते हैं. ✶

दिलीप कुमार प्रसाद
अं. का., गांधीनगर

विश्व-भाषा की ओर अग्रसर हिंदी

वैश्विक स्तर पर हिंदी की बढ़ती लोकप्रियता एवं स्वीकार्यता ने इसे जन-जन तक तो पहुंचाया ही है साथ ही हिंदी लगातार विश्व भाषा बनने की दिशा में अग्रसर होती जा रही है. हम कह सकते हैं कि जनतांत्रिक आधार पर हिंदी विश्व भाषा बन चुकी है क्योंकि इसे बोलने-समझने वालों की संख्या आज अरबों में पहुंच गई है. यह भारत, नेपाल के अलावा विश्व के करीब 132 देशों में करोड़ों लोगों की भाषा बन चुकी है.

एशियाई संस्कृति में अपनी विशिष्ट भूमिका के कारण हिंदी एशिया की प्रतिनिधि भाषा है. एक भाषा के रूप में हिंदी न सिर्फ भारत की पहचान है बल्कि यह हमारे जीवन मूल्यों, संस्कृति एवं संस्कारों की सच्ची संवाहक, संप्रेषक और परिचायक भी है. बहुत सरल, सहज और सुगम भाषा होने के साथ-साथ हिंदी विश्व की प्रामाणिक भाषाओं में से एक है, जिसे दुनिया भर में समझने, बोलने और चाहने वाले लोग बहुत बड़ी संख्या में मौजूद हैं.

विदित हो कि 14 सितम्बर, 1949 को हिंदी देश की राजभाषा बनी. तब से हिंदी ने कई उतार-चढ़ाव देखे, फिर भी हिंदी देश एवं दुनिया में सतत आगे बढ़ती जा रही है. आज हिंदी केवल भारत तक सीमित नहीं है, इसका विस्तार विश्व के लगभग 132 देशों में हो चुका है. हिंदी भारत संघ की राजभाषा होने के साथ-साथ फ़िजी की भी राजभाषा है तथा संयुक्त अरब अमिरात, मॉरिशस, त्रिनिदाद, गुयाना और सूरीनाम में क्षेत्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है. साथ ही साथ संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटैन, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी, सिंगापुर, कनाडा, यू.ए.ई जैसे देशों में भी हिंदी भाषी बड़ी संख्या में बोली जाती है. यह विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है.

वर्तमान में विश्व में दैनिक समाचार पत्रों की दृष्टि से प्रथम बीस समाचार पत्रों में हिंदी के पांच समाचार पत्रों का समावेश है. विश्व में क्रमशः दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिन्दुस्तान एवं राजस्थान पत्रिका का प्रमुखतः समावेश है.

दुनिया के लगभग 170 देशों में किसी न किसी रूप में हिंदी पढ़ाई जाती है. मॉस्को (रूस) को दुनिया में हिंदी भाषा

के अध्ययन-अध्यापन के प्रमुख केंद्रों में से एक माना जाता है. मॉस्को में हिंदी भाषा का अध्ययन और शिक्षण मॉस्को राजकीय विश्वविद्यालय के साथ-साथ दो अन्य विश्वविद्यालयों में भी किया जाता है. मॉस्को विश्वविद्यालय में हिंदी में बी.ए., एम.ए. और पीएच.डी. की जा सकती है. रूस स्थित भारतीय दूतावास के जवाहरलाल नेहरू सांस्कृतिक केंद्र में हिंदी भाषा नि:शुल्क पढ़ाई जाती है. मॉस्को में ऐसा विद्यालय भी है जहाँ बच्चों को छठी कक्षा से ही हिंदी भाषा पढ़ाई जाती है. रूसी वैज्ञानिकों द्वारा हिंदी भाषा के अनेक शब्दकोशों और पाठ्य-पुस्तकों की रचना एवं हिंदी साहित्य का अनुवाद बड़े पैमाने पर किया जाता रहा है. मॉस्को के अलावा रूस के ही सेण्ट-पीटर्सबर्ग राजकीय विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्राध्यापकों ने तृतीय क्षेत्रीय अंतरराष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन में रूसी छात्रों के लिए हिंदी भाषा की नई पाठ्य-पुस्तक पेश की.

संयुक्त राज्य अमेरिका में हार्वर्ड, येल, शिकागो, वाशिंगटन, मोन्टाना, टेक्सास एवं कैलिफ़ोर्निया विश्वविद्यालयों समेत कई अन्य विश्वविद्यालयों में भी हिंदी भाषा के पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं. अमेरिका के अनेक राज्यों के सरकारी विद्यालयों में भी हिंदी भाषा का विकल्प दिया जा रहा है. इसी प्रकार ऑस्ट्रेलियन नेशनल विश्वविद्यालय, टोक्यो विश्वविद्यालय, जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय में भी हिंदी के पाठ्यक्रम चलाये जा रहे हैं. चीन के पेकिंग विश्वविद्यालय, गुआंडोंग विश्वविद्यालय सहित अनेक महाविद्यालयों में तथा बीजिंग स्थित गुरुकुल विद्यालय में हिंदी पढ़ायी जाती है. इसके अतिरिक्त इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया तथा सिंगापुर के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में भी हिंदी पढ़ायी जाती है. सुदूर पूर्व के देश फ़िजी में हिंदी को विद्यालयों में अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाता है. दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में भी अनेक विदेशी छात्र, जिनमें जापानी, कोरियाई छात्रों की संख्या अधिक है.

वैश्विक स्तर पर भारत के बढ़ते आर्थिक, सामरिक, राजनैतिक प्रभाव को देखते हुए, हिंदी सीखने, जानने की ललक विदेशों में बढ़ती जा रही है. इसी क्रम में 17 सितंबर, 2001 को भारत सरकार द्वारा विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना मॉरिशस में की गयी थी. हिंदी को अंतरराष्ट्रीय भाषा बनाने के प्रयासों में इस सचिवालय की स्थापना एक महत्वपूर्ण कदम है. हिंदी को एक अंतरराष्ट्रीय भाषा के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना की गई है.

यह सचिवालय अंतरराष्ट्रीय हिंदी पत्रिका एवं अंतरराष्ट्रीय हिंदी समाचार का प्रकाशन भी करता है. हिंदी को विश्व पटल पर अंतरराष्ट्रीय भाषा के रूप में स्थापित करने के लिए कुछ और प्रयास करने की आवश्यकता है, जिससे वर्तमान के तकनीकी युग में हिंदी भाषा को नयी पीढ़ी के प्रयोग के लिए सुगम बनाया जा सके. इसके अतिरिक्त हिंदी में युवा पीढ़ी केंद्रित मौलिक लेखन को बढ़ावा देना, विदेश में स्थित भारतीयों एवं अन्य विदेशी नागरिकों को हिंदी सिखाने की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना, जैसे कदमों का समावेश है.

किसी भी भाषा के संरक्षण हेतु उस भाषा में प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा का उपलब्ध होना एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है. देश में शिक्षा व्यवस्था पर वैश्वीकरण के बढ़ते प्रभाव के कारण अब मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा मिलना चाहिए. प्राथमिक शिक्षा में हिंदी या मातृभाषा का विकल्प है, उच्च शिक्षा में भी हिंदी को एक विकल्प के रूप में मजबूती से स्थापित करना चाहिए. विश्व में विगत 40 वर्षों में लगभग 150 अध्ययनों के निष्कर्ष हैं कि मातृभाषा में ही शिक्षा दी जानी चाहिए क्योंकि बालक को माता के गर्भ से ही मातृभाषा के संस्कार प्राप्त होते हैं. महान वैज्ञानिक डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने स्वयं स्वीकार किया था कि 'मेरी विद्यालयीन शिक्षा मातृभाषा में हुई है इसलिए मैं अच्छा वैज्ञानिक बना हूँ.'

वैश्विक स्तर पर एवं देश में भी हिंदी का विस्तार काफी हो रहा है. इसे विद्यालयी शिक्षा से लेकर उच्चतम शिक्षा के स्तर तक प्रभावी तरीके से स्थापित किए जाने की जरूरत है. हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषायी माध्यम के विद्यालयों में छात्रों को प्रोत्साहित करने की जरुरत है. इसी प्रकार देश के सभी प्रशासनिक कार्यों में हिंदी को अनिवार्य बनाने की दरकार है. देश में हिंदी के समक्ष आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए राजभाषा कानून, राष्ट्रपति के विभिन्न आदेशों का कड़ाई से अनुपालन होना चाहिए. इसी के साथ प्राथमिक शिक्षा का माध्यम अनिवार्य रूप से मातृभाषा होना चाहिए. उच्च शिक्षा के स्तर पर अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी एवं भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध कराना आवश्यक है. सामाजिक स्तर पर भी भारतीय भाषाओं के सम्मान, विकास एवं स्वाभिमान जगाने हेतु देशव्यापी अभियान प्रारंभ किया जाना चाहिए. इन सब प्रयासों के द्वारा ही भारतीय भाषाओं का उत्थान होगा एवं हिंदी विश्व की भाषा बनने में सफल हो पाएगी. ★

डॉ. विजय कुमार पाण्डेय
क्षे.का., पटना

भारतीय भाषाएं एवं एआई

भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिसमें शिक्षा, प्रौद्योगिकी, मीडिया, सांस्कृतिक पहल और सामुदायिक जुड़ाव शामिल हो. कुछ रणनीतियां हैं जो भारतीय भाषाओं के प्रचार-प्रसार में योगदान दे सकती हैं जैसे :-

- स्कूलों और विश्वविद्यालयों में भारतीय भाषाओं की शिक्षा को बढ़ाना.
- सांस्कृतिक त्यौहारों, आयोजनों और समारोहों के माध्यम से भारतीय भाषाओं और संस्कृति को बढ़ावा देना.
- व्यवसायों और निगमों को आंतरिक और बाह्य संचार की भाषा के रूप में हिंदी को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना.
- भारतीय भाषा-भाषियों के लिए पहुंच और उपयोगिता बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकी उत्पादों, अनुप्रयोगों और सेवाओं में हिंदी भाषा के विकल्पों को सम्मिलित करना.
- इसी क्रम में एआई-संचालित उपकरण विकसित किया जाना चाहिए, जो भारतीय भाषा प्रसंस्करण, आवाज पहचान और सामग्री निर्माण का समर्थन करते हैं.

किसी भी भाषा को बढ़ावा देने में व्यक्तियों, समुदायों, शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी निकायों का सामूहिक प्रयास शामिल होता है. इन रणनीतियों के संयोजन को नियोजित करके, हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं और संस्कृति के विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाना संभव है.

भारत में जहां कई क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियों के साथ भाषाई विविधता बहुत अधिक है, एआई स्थानीय भाषाओं के प्रचार में एक परिवर्तनकारी भूमिका निभा सकता है. एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर सिस्टम या सॉफ़्टवेयर के विकास को संदर्भित करता है, जो ऐसे कार्य कर सकता है जिनके लिए आमतौर पर मानव बुद्धि की आवश्यकता होती है. इन कार्यों में सीखना, तर्क करना, समस्या-समाधान, धारणा, भाषा समझ और भाषा पहचान शामिल हैं. एआई का लक्ष्य ऐसी मशीनें बनाना है जो मानव मस्तिष्क से जुड़े संज्ञानात्मक कार्यों की नकल कर सकें. एआई का उपयोग स्वास्थ्य, वित्त, शिक्षा, विनिर्माण, रोबोटिक्स सहित विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है. एआई भारत में स्थानीय भाषाओं के विकास और संवर्धन में योगदान दे सकता है:

- एआई-संचालित अनुवाद सेवाएं प्रमुख भाषाओं से क्षेत्रीय भाषाओं में और इसके विपरीत, सामग्री के अनुवाद की सुविधा प्रदान कर सकती है.
- क्षेत्रीय भाषाओं को सीखने में सहायता के लिए एआई को शैक्षिक उपकरणों और प्लेटफार्मों में एकीकृत किया जा सकता है.
- कई क्षेत्रीय भाषाओं को समझने और प्रतिक्रिया देने के लिए चैटबॉट और वर्चुअल असिस्टेंट विकसित किए जा सकते हैं.
- प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण जैसी एआई प्रौद्योगिकियां, क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध सामग्री के डिजिटलीकरण और उन्हें व्यवस्थित करके स्वदेशी ज्ञान के संरक्षण में सहायता कर सकती हैं.
- ई-गवर्नेंस सेवाओं में एआई को लागू करने से क्षेत्रीय भाषाओं में संचार करने वाले नागरिकों के लिए पहुंच बढ़ सकती है.
- एआई उपकरण क्षेत्रीय भाषाओं में लेख, समाचार और रचनात्मक कार्यों सहित स्थानीय सामग्री के निर्माण में सहायता कर सकते हैं.

वैश्विक स्तर पर भारत एआई कौशल के मामले में शीर्ष पर है और इसका एआई बाजार 6.4 बिलियन डॉलर का है. 2020 में, भारतीय कंपनियां एशिया प्रशांत क्षेत्र में एआई अपनाने में दूसरे स्थान पर रहीं. आज जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) भाषाओं के विकास और प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, फिर भी इसकी भी कुछ सीमाएँ और चुनौतियाँ हैं जैसे:-

- एआई मॉडल काफी हद तक उस डेटा पर निर्भर करते हैं जिस पर उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है. यदि प्रशिक्षण डेटा पक्षपाती है तो इसका परिणाम पक्षपाती भाषा मॉडल हो सकता है.
- व्यंग्य, हास्य, सांस्कृतिक संदर्भ और मुहावरेदार अभिव्यक्ति को समझना एआई सिस्टम के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है.
- हिंदी सहित कई भाषाओं की अनेक बोलियाँ और क्षेत्रीय विविधताएँ हैं. एआई मॉडल विभिन्न बोलियों में भाषाई अभिव्यक्तियों और बारीकियों की विविधता को सटीकता से कैप्चर या प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं.
- एआई प्रौद्योगिकियों की पहुंच एक समान नहीं है जिससे डिजिटल विभाजन होता है.
- कई उन्नत एआई भाषा मॉडल, विशेष रूप से गहन शिक्षण पर आधारित, मुख्य रूप से अंग्रेजी के लिए ही विकसित किए गए हैं.
- एआई भाषा-संबंधी कार्यों में सहायता कर सकता है, परंतु भाषा विकास में मानव रचनात्मकता, भावना और सांस्कृतिक समझ के महत्व को प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है.

भारत में स्थानीय भाषाओं के लिए एआई समाधान लागू करते समय नैतिक विचारों, सांस्कृतिक संवेदनशीलता और सामुदायिक जुड़ाव पर विचार करना भी महत्वपूर्ण है.

भविष्य की संभावनाएं एवं अपेक्षाएं: संक्षेप में, आज की दुनिया में एआई का महत्व विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट है. डेटा को संसाधित करने, कार्यों को स्वचालित करने और नवाचार में योगदान करने की इसकी क्षमता इसे एक परिवर्तनकारी शक्ति बनाती है. हालाँकि, इन अनुप्रयोगों का उपयोग सावधानी से करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि वे प्रत्येक क्षेत्र की सांस्कृतिक और भाषाई बारीकियों के साथ संरेखित हों. इसके अतिरिक्त, मौजूदा असमानताओं या रूढ़िवादिता को मजबूत करने से बचने के लिए एआई मॉडल में पूर्वाग्रहों जैसे; नैतिक विचारों, अंधविश्वास से भी बचने की आवश्यकता है.

निष्कर्षत: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हिंदी और अन्य भाषाओं के विकास में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, हो रही प्रगति और ठोस प्रयासों से इन बाधाओं को दूर करने में योगदान मिलने की संभावना है. निरंतर अनुसंधान, नवाचार और नैतिक विचारों के साथ एआई में हिंदी के विकास और संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की क्षमता है. एआई भारत और दुनिया भर में भाषाई सशक्तिकरण, पहुंच और सांस्कृतिक संरक्षण को बढ़ावा देने में एक मूल्यवान साधन हो सकता है. ★

अजय पांडे
ज़ेड.एल.सी, पवई

वित्तीय समावेशन की सफलता में क्षेत्रीय भाषाओं का योगदान

भारत विविधता भरा देश है, जो अपनी अनेकता में एकता के लिए पहचाना जाता है. इसे एकता के धागे में पिरोने का काम करती हैं यहाँ पर जगह-जगह बोली जाने वाली भाषाएँ. एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1652 भाषाएँ बोली जाती हैं, जिसमें से कुछ तो सिर्फ एक या दो गाँव तक ही सीमित हैं. भारतीय संविधान ने 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की है. ये सभी भारतीय भाषाएँ एक दूसरे से कहीं न कहीं जुड़ी हुई हैं, चाहे वह उनकी लिपि हो, बोलने की शैली हो या शब्दों का प्रयोग हो.

वित्तीय समावेशन से तात्पर्य सभी व्यक्तियों और व्यवसायों के लिए वित्तीय उत्पादों और सेवाओं को सुलभ बनाने के प्रयासों से है. यह उन बाधाओं को दूर करने का प्रयास करता है, जो लोगों को वित्तीय क्षेत्र में भाग लेने से रोकती है. दूसरे शब्दों में कहें तो वित्तीय समावेशन का मतलब समाज के पिछड़े एवं कम आय वाले लोगों को मामूली कीमत पर वित्तीय सेवाएँ प्रदान करना है, जो अभी तक इससे वंचित हैं. वर्षों से वित्तीय संस्थानों की भूमिका बड़े सेवा क्षेत्रों में धन स्वीकार करने और ऋण देने से विस्तारित हुई है. प्रतिस्पर्धी बाजार में बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों के लिए भाषा का महत्व बहुत अधिक है. वित्तीय सेक्टर एक व्यापक क्षेत्र है, जिसमें विभिन्न वित्तीय संस्थाएं जैसे बैंक, बीमा कंपनियां, निवेश कंपनियां, धन बाजार, मुद्रा बाजार आदि संचालित होती हैं.

वित्तीय समावेशन में भारतीय भाषाओं का महत्वपूर्ण योगदान हैं जिसके कुछ प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं:

गाँव तक व्यापक पहुँच: आज भी भारत की आधी जनसंख्या गाँव मे निवास करती है और वहाँ रह रहे लोग केवल अपनी भाषा में किए गए संवाद में ही खुद को सहज महसूस करते हैं. भाषा के लिए किसी ने सच ही कहा कि "अगर आप किसी से अपनी भाषा में बात करो तो वह उसके दिमाग तक जाती है लेकिन अगर आप उसकी अपनी भाषा में बात करो तो वह उसके दिल तक जाती है." विभिन्न भारतीय भाषाओं में वित्तीय सेवाओं की पेशकश करके, वित्तीय संस्थान एक बड़ी आबादी तक पहुंच सकते हैं और अपनी सेवाओं को ऐसे व्यक्तियों के लिए अधिक सुलभ बना सकते हैं.

आपसी जुड़ाव बढ़ाना/ विश्वास निर्माण करना: भाषा वित्तीय संस्थानों और उनके ग्राहकों के बीच विश्वास बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. जब ग्राहक अपनी पसंदीदा भाषा में संचार और जानकारी प्राप्त करते हैं, तो वे वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के साथ अधिक आत्मविश्वास और सहज महसूस करते हैं. यह ग्राहकों के भरोसे और निष्ठा को बढ़ाता है, जो वित्तीय क्षेत्र की वृद्धि और स्थिरता के लिए बहुत ही आवश्यक है. इसके बाद ही हम पूर्ण रूप से वित्तीय समावेशन के कार्य को पूरा कर सकेंगे.

वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना: वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने में भाषा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. वित्तीय क्षेत्र भारतीय भाषाओं में शैक्षिक संसाधन, प्रशिक्षण सामग्री और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम प्रदान करके, व्यक्तियों को वित्तीय अवधारणाओं की अपनी समझ में सुधार करने, धन प्रबंधन कौशल विकसित करने और सूचित वित्तीय निर्णय लेने में मदद कर सकता है.

निवेशकों के विश्वास को मजबूत करना: भारतीय भाषाओं में दस्तावेज़ और वित्तीय जानकारी की उपलब्धता खुदरा निवेशकों को सशक्त बनाते हैं और वित्तीय बाजारों में भाग लेने में उनका विश्वास बढ़ा सकते हैं. स्थानीय भाषा में दस्तावेज़ यह सुनिश्चित करते हैं कि निवेशक अपने निवेश से जुड़ी शर्तों, जोखिमों और अवसरों को पूरी तरह से समझते हैं, जो गलत व्याख्या या गलत संचार की संभावना को बहुत कम करते हैं. अपनी भाषा में लिखे हुए दस्तावेज को देखकर और पढ़ कर एक आम आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है जो उसके विश्वास को उस निवेश में और मजबूत करते हैं.

अनुपालन और विनियमों को सुगम बनाना: तेजी से बदलते इस युग मे जहां सूचना और प्रौद्योगिकी एक अहम भूमिका निभाते हैं, वहीं वित्तीय समावेशन का कार्य थोड़ा जटिल हो गया है क्योंकि एक ओर तो सारी सूचनाएँ स्थानीय भाषा में उपलब्ध नहीं है और दूसरी ओर लोगों में साक्षरता की कमी है. इसी बात को ध्यान मे रखकर भारत सरकार के निर्देशानुसार कई संस्थानों ने जरूरी आदेशों और नियमों को स्थानीय भाषा में प्रदान करना शुरू कर दिया है.

बाजार विकास: वित्तीय समावेशन का प्रमुख लक्ष्य देश को तेजी से आर्थिक विकास की ओर अग्रसर करना है, जो यहाँ के शिक्षित और जागरूक नागरिकों के बिना संभव नहीं है. भारत तेजी से आर्थिक विकास का अनुभव कर रहा है और इस वृद्धि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा गैर-शहरी क्षेत्रों में हो रहा है, जहां भारतीय भाषाओं का प्रभुत्व है. इन भाषाओं का लाभ उठाकर, वित्तीय क्षेत्र नए बाजारों में प्रवेश कर रहा है, जो इन क्षेत्रों में बढ़ती आय के स्तर और खपत पैटर्न द्वारा प्रस्तुत अवसरों को भुनाने में सक्षम हो सकता है.

वित्तीय समावेशन और वित्तीय संस्थान -भाषा का महत्व: वित्तीय समावेशन वंचित आबादी के समग्र आर्थिक विकास में सहायता करता है और समावेशी विकास की दिशा में कदम बढ़ाता है. हम जब गरीब या समाज के दबे कुचले वर्ग की बात करते हैं तो हम उनसे संवाद केवल उनकी भाषा में ही स्थापित कर सकते हैं. अगर हम उन्हें इन सब सेवाओं का महत्व ही नहीं समझा सकेंगे तो ये सभी योजनाएं बेकार हो जाएंगी. अगर हम वित्तीय सेवाओं की बात करते हैं तो उसमें बैंकिंग और बीमा सेवा सबसे बड़ी सेवाओं में आती है, जो समाज के एक बड़े हिस्से को प्रभावित करती है. प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत, 165.1 मिलियन डेबिट कार्ड, ₹30,000 का जीवन बीमा कवर और ₹1 लाख के दुर्घटना बीमा कवर के साथ लगभग 192.1 मिलियन खाते खोले गए हैं.

पीएमजेडीवाई के अलावा भारत में कई अन्य वित्तीय समावेशन योजनाएं भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, जिनका सीधा लाभ आम जनता को मिलता है और उन्हें वित्तीय रूप से सशक्त बनाते हैं. इन योजनाओं में प्रमुख हैं जीवन सुरक्षा बंधन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया योजना, सामाजिक क्षेत्र की पहल के तहत अनुसूचित जातियों के लिए वेंचर कैपिटल फंड, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, अनुसूचित जातियों के लिए ऋण वृद्धि गारंटी योजना और सुकन्या समृद्धि योजना आदि. ये सभी योजनाएं भारत के कोने-कोने और दूरस्थ इलाकों में भी पहुंची हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण है लोगों के साथ उन्हीं की बोली जाने वाली भाषा में संवाद स्थापित करना. यह बात तो सच है कि बड़ी से बड़ी योजना सफल नहीं हो सकती अगर उसका धरातल पर उपयोग सुनिश्चित नहीं किया गया और यह हम लोगों से संवाद करके ही स्थापित कर सकते हैं, जिसमें भाषा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं.

निष्कर्ष: भाषा केवल किसी लिपि या संवाद में प्रयोग की जाने वाली वस्तु ही नहीं है अपितु यह एक पहचान है जिससे एक व्यक्ति, एक समूह, एक समाज और अंत में एक देश की पहचान होती है. वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संस्थान विभिन्न भारतीय भाषाओं के महत्व को समझ चुके हैं, जिसके कारण उन्होंने अपने कई नियमों, आदेशों एवं डिजिटल लेनदेन ऐप को बहुभाषीय कर दिया है. वित्तीय संस्थानो के इतने बड़े प्रभाव के बावजूद इन्हें अभी लंबा रास्ता तय करना है. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में अब भी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है, जिसके पास बैंकिंग और बीमा सेवा नहीं है. हमारे पास अब भी हमारी आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा डिजिटल वित्त और वित्तीय समावेशन के दायरे से बाहर रहता है और क्रेडिट के अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर है. वित्तीय समावेशन के लिए कई सरकारी एवं गैर-सरकारी संगठन स्थानीय भाषाओं में सामग्री उपलब्ध कराने के लिए कार्य कर रहे हैं.

वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक पहुंच राष्ट्र की आर्थिक भलाई और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, जो लोगों की घरेलू बचत को जुटाना और उन्हें अर्थव्यवस्था की बढ़ती ऋण आवश्यकता के लिए सफलतापूर्वक आवंटित करके देश के सतत आर्थिक विकास में मदद करता है. वित्तीय प्रणाली की सेवाओं का लाभ उठाने में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोगों के बीच अब भी असमानता है. इस अंतर को पाटने के लिए प्रभावी साधनों की आवश्यकता है, जिसमें उस क्षेत्र की बोली जाने वाली भाषा का प्रयोग महत्वपूर्ण कारक बन सकता हैं. वित्तीय क्षेत्र में भाषा का स्थानीयकरण वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देगा जो देश की जनसंख्या के समग्र आर्थिक विकास में सहायता करेगा तथा समावेशी विकास की दिशा में बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण कदम होगा. वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में प्रगति करने के लिए यह आवश्यक है कि वित्तीय सेवाएँ लोगों की स्थानीय भाषा में पहुँचाई जाए क्योंकि ये भाषाएँ एक समृद्धि और सामाजिक समावेशन का कार्य करती हैं. इसलिए वित्तीय समावेशन के लिए स्थानीय भाषाओं का सही से प्रयोग करना महत्वपूर्ण है ताकि सभी लोग इसका उचित रूप से लाभ उठा सकें और आर्थिक समृद्धि की दिशा में समूहिक प्रगति की ओर अग्रसर हो सकें. ★

अमित चौहान
यू.बी.के.सी., बेंगलूरु

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित महिला विशेष कार्यशालाएं

केंद्रीय कार्यालय, मुंबई

अंचल कार्यालय, पुणे

अंचल कार्यालय, हैदराबाद

अंचल कार्यालय, चेन्नै

अंचल कार्यालय, भोपाल

क्षेत्रीय कार्यालय, रायगडा

क्षेत्रीय कार्यालय, समस्तीपुर

क्षेत्रीय कार्यालय, तिरुवनंतपुरम

क्षेत्रीय कार्यालय, मैसूरु

क्षेत्रीय कार्यालय, कोट्टायम

क्षेत्रीय कार्यालय, मदुरै

क्षेत्रीय कार्यालय, ग्वालियर

क्षेत्रीय कार्यालय, उडुपि

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित महिला विशेष कार्यशालाएं

क्षेत्रीय कार्यालय, बालेश्वर

क्षेत्रीय कार्यालय, बरेली

क्षेत्रीय कार्यालय, बड़ौदा

क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलूरु (उत्तर)

क्षेत्रीय कार्यालय, ब्रह्मपुर

क्षेत्रीय कार्यालय, एर्णाकुलम

क्षेत्रीय कार्यालय, गाजीपुर

क्षेत्रीय कार्यालय, गोवा

क्षेत्रीय कार्यालय, कलबुरगी

क्षेत्रीय कार्यालय, मऊ

क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर

क्षेत्रीय कार्यालय, तृश्शूर

क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद

क्षेत्रीय कार्यालय, पंजागुट्टा हैदराबाद

क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर

क्षेत्रीय कार्यालय, अमरावती

क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर

क्षेत्रीय कार्यालय, भागलपुर

पूर्व चेतावनी संकेत

बैंकिंग क्षेत्र में बढ़ती हुई धोखाधड़ी की घटनाओं के कारण, पूर्व चेतावनी संकेत (अर्ली वार्निंग सिग्नल्स -ई.डब्ल्यू.एस.) वित्तीय संस्थानों और उनके ग्राहकों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. ये संकेत सतर्क प्रहरी के रूप में कार्य करते हैं, जो बैंकों को संभावित जोखिमों, कमजोरियों और धोखाधड़ी गतिविधियों के प्रति सचेत करते हैं. आर.बी.आई. ने इसकी रोकथाम, शीघ्र पता लगाने और आर.बी.आई. तथा जांच एजेंसी को शीघ्र रिपोर्ट करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. दिशा-निर्देशों में यह परिकल्पना की गई है कि बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यवसाय के सामान्य संचालन और उनकी जोखिम लेने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और उन पर कोई नई ज़िम्मेदारी न डाली जाए. आईए ई.डब्ल्यू.एस. के महत्व के बारे में शोध करें और जानें कि वे बैंकिंग क्षेत्र की अखंडता को बनाए रखने में कैसे योगदान देते हैं.

पूर्व चेतावनी संकेतों की आवश्यकता क्यों उत्पन्न हुई?

बैंकिंग क्षेत्र को ऋण-संबंधी बढ़ती हुई धोखाधड़ी का सामना करना पड़ रहा है. ये धोखाधड़ी गतिविधियाँ बैंकों की स्थिरता और जमाकर्ताओं के विश्वास के लिए गंभीर खतरा पैदा करती हैं. घाटे को कम करने और जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए इन मुद्दों का तुरंत पता लगाना और उनका समाधान करना आवश्यक है.

बैंकिंग प्रणाली में पूर्व चेतावनी संकेतों की भूमिका

पूर्व चेतावनी संकेत सक्रिय संकेतक के रूप में कार्य करते हैं, जिससे बैंकों को संभावित जोखिमों के बढ़ने से पहले पहचानने में मदद मिलती है. विशिष्ट मापदंडों की बारीकी से निगरानी करके, बैंक समय पर सुधारात्मक कार्रवाई कर सकते हैं, चूक को रोक सकते हैं और अपनी संपत्तियों की रक्षा कर सकते हैं.

हमारे बैंक (अर्थात यूनियन बैंक ऑफ इंडिया) में पूर्व चेतावनी संकेतों को समझते हैं

हमारे बैंक में अप्रैल-2021 (फंड-आधारित सीमा के लिए) और सितंबर-2022 (गैर-फंड-आधारित सीमा के लिए) से ई.डब्ल्यू.एस. अलर्ट जनरेट करना शुरू किया गया था. आर.बी.आई., डी.एफ.एस. और हमारे बैंक द्वारा निर्धारित किए गए अलर्ट जनरेट करने के लिए एक ई.डब्ल्यू.एस. पैकेज बनाया गया है. ₹ 1.00 करोड़ और उससे अधिक की फंड-आधारित सीमा और गैर-फंड-आधारित सीमा वाले उधारकर्ता ई.डब्ल्यू.एस. पैकेज के अंतर्गत आते हैं.

आर.बी.आई. ने ई.ए.एस.ई (एनहैन्स्ड एक्केस एंड सर्वेलेंस एक्सेलेंस) एजेंडे के अनुसार 42 नियम और 5 उप-नियम कुल मिलाकर 47 नियम दिए हैं. डी.एफ.एस. ने 84 नियम दिए हैं और हमारे बैंक ने 3 नियम कस्टमाइज़ किए हैं. वर्तमान में हम 134 प्रकार के नियमों का पालन कर रहे हैं और अलर्ट उत्पन्न करने के लिए ई.डब्ल्यू.एस. पैकेज में शामिल किए गए हैं. ई.डब्ल्यू.एस. पैकेज दैनिक और मासिक आधार पर अलर्ट उत्पन्न करता है. इन अलर्ट्स को क्षेत्रीय कार्यालयों / विशेष शाखाओं में तैनात एल 1 उपयोगकर्ता (निर्माता) अर्थात एलसीबी / एमसीबी / एआरबी / एसएएम शाखाओं द्वारा देखा जा रहा है तथा एल 2 उपयोगकर्ता (जांचकर्ता) जो क्षेत्रीय कार्यालयों / विशेष शाखाओं अर्थात एलसीबी / एमसीबी / एआरबी / एसएएम शाखाओं में तैनात हैं, उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र में आने वाली शाखाओं में रखे गए खातों के लिए देखा जा रहा है. टीएम एवं एफएम वर्टिकल के ई.डब्ल्यू.एस. अनुभाग द्वारा उत्पन्न ई.डब्ल्यू.एस. अलर्ट का विश्लेषण और निगरानी सीसीएम वर्टिकल के अधिकारियों द्वारा की जा रही है.

ई.डब्ल्यू.एस. अलर्ट को मुख्य रूप से उनकी प्रकृति और गंभीरता के अनुसार तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है:

1. अत्यधिक गंभीर (5 अलर्ट)
2. गंभीर (102 अलर्ट)
3. सूचनात्मक (27 अलर्ट)

1. अत्यधिक गंभीर अलर्ट

अत्यधिक गंभीर अलर्ट ऐसी घटनाओं पर आधारित होते हैं जो प्रकृति में बहुत गंभीर होती हैं और धोखाधड़ी के अधिकतम संकेत दर्शाती हैं. ऐसे अलर्ट की गहन जांच की जानी चाहिए और यदि आवश्यक हो तो संबंधित खातों को जल्द से जल्द सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आर.एफ.ए. (रेड फ्लेग्ड अकाउंट) मार्किंग के लिए रखा जाना चाहिए, क्योंकि बाद में ऐसे खातों को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत/चिह्नित किए जाने की उच्च संभावना है.

आर.एफ.ए खाता धोखाधड़ी जोखिम नियंत्रण में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है. यह वो खाता है जहां ऋण खाते में एक या अधिक पूर्व चेतावनी संकेतों के माध्यम से धोखाधड़ी गतिविधि का संदेह होता है. ये संकेत लाल झंडे के रूप में कार्य करते हैं, जिससे बैंक आगे की जांच करने के लिए प्रेरित होते हैं. बैंकों को आर.एफ.ए खाता में विस्तृत जांच करने के लिए इन संकेतों का उपयोग ट्रिगर के रूप में करना चाहिए.

2. गंभीर अलर्ट : इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले अलर्ट गंभीर प्रकृति के होते हैं और इनके लिए तत्काल उपचारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता होती है. गंभीर

अलर्ट पर फील्ड कर्मियों द्वारा शुरू की गई तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई का उद्देश्य ऋण चूक जोखिम को कम करना होगा.

वित्तीय अनुपातों के लिए भी महत्वपूर्ण ई.डब्ल्यू.एस. अलर्ट तैयार किए जाते हैं, जैसे डीएससीआर, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, टीओएल/टीएनडब्ल्यू, करेंट रेशियो, क्विक रेशियो, आरओएनडब्ल्यू, आदि.

3. सूचनात्मक अलर्ट : ये अलर्ट प्रकृति में सूचनात्मक है. उधार खातों की निरंतर निगरानी और उस पर सुधारात्मक कार्रवाई से निकट भविष्य में इस तरह के ई.डब्ल्यू. एस. अलर्ट की पुनरावृत्ति न हो, इस संबंध में फील्ड कार्यकर्ताओं को मदद मिलेगी.

ई.डब्ल्यू.एस. पैकेज में अलर्ट के उत्तर/समापन के लिए समय-सीमा:

शाखा	अलर्ट उत्पन्न होने के 3 दिनों के भीतर
क्षेत्रीय कार्यालय	अपने स्तर पर अलर्ट उत्पन्न होने के 5 दिनों के भीतर
एफजीएमओ	क्षे. का. द्वारा आगे बढ़ाने के 2 दिनों के भीतर

निष्कर्ष : ई.डब्ल्यू.एस. अलर्ट बैंकों को जोखिमों को सक्रिय रूप से संबोधित करने, धोखाधड़ी को रोकने और अपने हितधारकों की रक्षा करने में सक्षम बनाते हैं. सतर्क रहकर और तेजी से कार्य करके, वित्तीय संस्थान अपनी विश्वसनीयता बनाए रख सकते हैं और एक मजबूत बैंकिंग पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान दे सकते हैं.

ई.डब्ल्यू.एस. भले ही मूर्त न हो, लेकिन बैंकिंग स्थिरता पर इसका प्रभाव दूरगामी है! ★

दादासाहेब पी हकाले
क्षे.का., गुंटूर

क्षेत्रीय राजभाषा पुरस्कार

दिनांक 19.01.2024 को बेंगलूरु में दक्षिण एवं दक्षिण-पश्चिम क्षेत्रों के संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री अजय कुमार मिश्रा, श्रीमती अंशुली आर्या, आईएएस, सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की उपस्थिति में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को वर्ष 2022-23 के दौरान उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन हेतु प्राप्त पुरस्कार

क्षेत्रीय कार्यालय, कोषिक्कोड को 'प्रथम' पुरस्कार प्रदान किया गया. पुरस्कार प्राप्त करते हुए क्षेत्र प्रमुख, सुश्री सी.एम.ए. रोसलीन रोड्रिगस तथा श्री राजेश. के., वरिष्ठ प्रबंधक (रा.भा.).

क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलूरु (पूर्व) को 'प्रथम' पुरस्कार प्रदान किया गया. पुरस्कार प्राप्त करते हुए क्षेत्र प्रमुख, श्री आर. ज्योति कृष्णन तथा श्री मनोरंजन कुमार सिंह, वरिष्ठ प्रबंधक (रा.भा.).

यूनियन बैंक ज्ञान केंद्र, बेंगलूरु को 'द्वितीय' पुरस्कार प्रदान किया गया. पुरस्कार प्राप्त करते हुए केंद्र प्रभारी डॉ. एच. टी. वासप्पा तथा श्री कृष्ण कुमार यादव, मुख्य प्रबंधक (रा.भा.).

मानसून एवं अर्थव्यवस्था

दुनिया में शायद ही कोई ऐसी अर्थव्यवस्था होगी जिसे प्रकृति चक्र प्रभावित न करता हो. लेकिन दक्षिण एशियाई अर्थव्यवस्थाएं जितनी प्रकृति आश्रित हैं, दुनिया के अन्य किसी इलाक़े की अर्थव्यवस्थाएं नहीं हैं. इन सब में भारत की अर्थव्यवस्था तो विशेष रूप से प्रकृति चक्र पर आश्रित है. हम हमेशा से सुनते आए हैं कि भारत कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है. आज़ादी के बाद से हमारी लगातार कोशिशों के बाद हम कृषि आधारित अर्थव्यवस्था से द्वितीयक क्षेत्र वाली अर्थव्यवस्था हो गए हैं. कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा बीते कुछ दशकों से सेवा क्षेत्र से आने लगा है.

यह सच है कि अर्थव्यवस्था की निर्भरता अब पूर्ण रूप से कृषि पर नहीं है. आज जीडीपी का लगभग 17 प्रतिशत के आस-पास ही कृषि क्षेत्र से आता है. फिर भी हमारे देश में कृषि अत्यंत महत्वपूर्ण है. क्योंकि कृषि पर आश्रित जनसंख्या का अनुपात उस तुलना में कम नहीं हुआ है जिस प्रकार से कृषि का जीडीपी में योगदान. इसलिए कृषि भारत में अर्थव्यवस्था और आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करने वाली एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसे सबसे ज़्यादा मानसून प्रभावित करता है. मानसून को यदि साधारण भाषा में कहें तो प्रतिवर्ष बारिश के मौसम में होने वाला उतार-चढ़ाव सीधे तौर पर कृषि उत्पादन को प्रभावित करता है और तदनुसार कृषि पर आधारित किसान परिवार, कृषि आधारित उद्योग-धंधे और उसके साथ-साथ ग़ैर कृषि गतिविधियां भी प्रभावित होती हैं. इसलिए भारत में मानसून एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक परिघटना है, जिसे समझना प्रत्येक भारतीय के लिए आवश्यक है.

मानसून अरबी भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ मौसम या हवाओं का मिज़ाज है. मानसून बड़े पैमाने पर विस्तृत क्षेत्र में चलने वाली मौसमी पवनें हैं, जो मौसम में परिवर्तन होने के साथ ही अपनी दिशा बदल देती हैं. मानसून भारतीय खेती की लाइफलाइन है, क्योंकि इस पर 2.5 खरब डालर की अर्थव्यवस्था निर्भर करती है. भारत के कुछ हिस्सों में खेती नदी, नहरों और कुओं या तालाबों से होती है. कुछ हिस्सों में खेती के लिए सिंचाई की उन्नत तकनीकें भी हैं लेकिन आज भी कम से कम 50% कृषि वर्षा जल पर ही आश्रित है. भारत की लगभग 80 करोड़ आबादी सीधे कृषि पर आश्रित है और यह भारत की अर्थव्यवस्था में अपनी 15 प्रतिशत के आस-पास हिस्सेदारी रखती है. यदि मानसून अच्छा रहा तो कृषि अच्छी होगी और जितनी अच्छी पैदावार, उतना ही अच्छा कृषि जीडीपी. यदि मानसून ख़राब रहा तो पैदावार ख़राब होने के साथ-साथ देश की बहुत बड़ी आबादी पर खाद्य संकट भी हो जाता है. खाद्य मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती है. देश के कई इलाक़ों जैसे विदर्भ, उड़ीसा और बुंदेलखंड में ख़राब मानसून के कारण खेतिहरों की स्थिति अत्यंत दयनीय हो जाती है क्योंकि ये इलाक़े अन्यथा भी कम वर्षा वाले हैं और ख़राब मानसून यहां सूखे की गंभीर स्थिति पैदा कर देता है, जिससे ग्रामीण घरेलू आय, खपत और आर्थिक विकास सीधे तौर पर प्रभावित होते हैं. एक खराब मानसून न केवल तेज़ी से बढ़ती उपभोक्ता वस्तुओं की मांग को कमज़ोर करता है, बल्कि आवश्यक मुख्य खाद्यान्न के आयात को भी बढ़ावा देता है और इस प्रकार मानसून खराब होना हमारे देश के भुगतान संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है. इसके साथ-साथ सरकार को कृषि ऋण छूट जैसे उपाय भी करने पड़ते हैं, जिससे सरकारी . खज़ाने पर भी दबाव बढ़ता है. वहीं दूसरी ओर एक सामान्य मानसून कृषि उत्पादन को बढ़ाता है, जिससे ग्रामीण आय बढ़ती है और उपभोक्ता वस्तुओं पर खर्च भी बढ़ जाता है. अच्छा मानसून देश में बिजली की आपूर्ति को भी प्रभावित करता है, क्योंकि देश की बहुत बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं वर्षा जल आधारित नदियों पर बनी हैं, मानसून अच्छा न होने की सूरत में नदियों में जल संकट आ जाता है जिससे पीने और सिंचाई के लिए पानी की मांग बढ़ जाती है, साथ ही नदियों के बांधों में जलस्तर कम हो जाने के कारण विद्युत उत्पादन नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है.

एक बैंकर के रूप में हम यह भी देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में बैंकिंग क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान है और बैंक के वित्तीयन का बहुत बड़ा हिस्सा कृषि क्षेत्र में है, जैसे केसीसी, एआईडीएफ़, एसएचजी आदि. आम तौर पर देखा गया है कि जिस वर्ष मानसून खराब रहता है उस वर्ष बैंकिंग क्षेत्र में दबावग्रस्त आस्तियां और एनपीए बहुत तेजी से बढ़ जाता है. इन सब आंकड़ों को पढ़ते हुए मन में जिज्ञासा आना स्वाभाविक है कि मानसून क्या है और यह कैसे हम सबको प्रभावित करता है.

सूर्य पूरे वर्ष कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य घूमता है और सूर्य का यही घूर्णन मानसून के आने का प्रमुख कारण होता है. हर साल 21 दिसम्बर को सूर्य मकर रेखा के सीधा ऊपर होता है फिर धीरे-धीरे भूमध्य रेखा (21 मार्च) के ऊपर से होते हुए कर्क रेखा (21 जून) के ऊपर पहुंच जाता है फिर इसके विपरीत क्रम में वापस भूमध्य रेखा (23 सितंबर) होते हुए मकर रेखा पर पहुंच जाता है (21 दिसम्बर).

भारत में मानसून को मुख्यत: 3 भागों में बांटा गया है :

1) दक्षिण पश्चिमी मानसून (80% वर्षा का कारण)

2) उत्तर पूर्वी मानसून (17% वर्षा का कारण)

3) पश्चिमी विक्षोभ (3% वर्षा का कारण)

दक्षिण-पश्चिम मानसून (80% वर्षा का कारण)

सर्वप्रथम भारत के केरल राज्य में मानसून आता है, नीलगिरी की पहाड़ियों से टकरा कर यह दो भागों में बंट जाता है. एक को अरब सागरी शाखा तो दूसरे को बंगाल की

खाड़ी वाली शाखा कहते हैं. अरब सागरी शाखा पश्चिमी घाट के पश्चिम में वर्षा करते हुए गुजरात के सौराष्ट्र के तट पर पहुंच कर 3 भागों में बंट जाता है. पहला भाग गीर और गिरनार की पहाड़ी से टकरा कर सौराष्ट्र में वर्षा कराता है, दूसरा भाग विन्ध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच से होता हुआ मैकाल पर्वत श्रेणियों से टकरा कर भारी वर्षा कराता है, जिस कारण नर्मदा नदी में अक्सर बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होती है. इसी कारण नर्मदा को दबंग, चंचल या रेवा नदी के नाम से भी पुकारा जाता है. तीसरा भाग अरावली रेंज से होता हुआ दिल्ली में थोड़ी वर्षा करते हुए उत्तराखंड की तरफ बढ़ता है.

बंगाल की खाड़ी वाली शाखा पूर्वी घाट के पूर्व की ओर से आगे बढ़ती है. नीचे बह रहा मानसून मेघालय की गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी से टकरा कर इनकी अवस्थिति के जाल में फंस जाता है, जिस कारण वहाँ मूसलाधार वर्षा होती है. यही कारण है कि यह इलाक़ा दुनिया के सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में से एक है. ऊंचाई में बह रहा मानसून अरुणाचल प्रदेश में स्थित मीकिर, डफ़्ला और मिश्मी पहाड़ी से टकरा कर वर्षा कराता है.

फिर मानसून पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश आदि प्रदेश में बारिश कराता हुआ आगे बढ़ते हुए दिल्ली के आसपास अरब सागरी शाखा से मिल जाता है फिर एक होकर हिमाचल प्रदेश की धौलाधार पर्वत श्रेणियों से टकरा कर भयंकर वर्षा का कारण बनता है जिसे कभी कभी बादल का फटना भी कहा जाता है.

उत्तर पूर्वी मानसून (17% वर्षा का कारण)

अरब सागर की तरफ से लौटता हुआ मानसून कोई रुकावट न होने के कारण सीधे वापस चला जाता है और बहुत कम वर्षा का कारण बनता है.

बंगाल की खाड़ी वाली शाखा वापस आते वक़्त झारखंड के साहेबगंज ज़िले मे स्थित राजमहल पहाड़ी से टकरा कर दक्षिण भारत की तरफ मुड़ जाता है. इस मानसून के बादल में पानी की मात्रा न के बराबर होती है, जिस कारण ओडिशा में चक्रवाती तूफान आता है लेकिन वर्षा बहुत कम होती है. आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से में भी बड़े तूफ़ान आते हैं. फिर ये मानसून आगे बढ़ता है और पूर्वी तटों से भारी मात्रा में नमी जमा कर लेता है और आंध्र प्रदेश के निचले हिस्से और तमिलनाडु में वर्षा कराते हुए वापस चला जाता है.

पश्चिमी विक्षोभ (3% वर्षा का कारण)

जेट स्ट्रीम जो अटलांटिक महासागर के ऊपर से होती हुई भूमध्य सागर और फिर भारत की तरफ़ आती है. यही जेट स्ट्रीम भूमध्य सागर के ऊपर जमा बादलों को भारत की तरफ़ धकेल लाती है, जो ठंड के मौसम में उत्तरी भारत में वर्षा का कारण बनते हैं. चूंकि ये बादल भारत के पश्चिम से आकर यहां बिन मौसम बारिश का कारण बनते हैं, इसीलिये इस घटना को पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहा जाता है. राजस्थान के आस-पास अवस्थिति वाली अरावली की पहाड़ियां पश्चिमी विक्षोभ की दिशा के ठीक विपरीत दिशा में है, जिस कारण ये विक्षोभ इन पहाड़ियों से टकरा कर राजस्थान में अच्छी वर्षा का कारण होता है. इसी विक्षोभ का कुछ हिस्सा आगे जाकर भीषण ठंड की स्थिति में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वर्षा का कारण बनता है. पंजाब में इस वर्षा को गेंहूं की खेती के लिये टॉनिक भी बोला जाता है.

संक्षिप्त में यही है वह मॉनसून चक्र जो भारत में कृषि, कृषक, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और देश की लगभग 17 फीसदी जीडीपी को सीधे तौर पर प्रभावित करता है. ★

अभिषेक दीक्षित
अं. का., वाराणसी

विदाई

श्री रामजीत सिंह, सहायक महाप्रबंधक, (राजभाषा) 39 वर्ष 6 माह के सुदीर्घ एवं सफल कार्यकाल के पश्चात् दिनांक 30.04.2024 को अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हुए. आपने बैंक की द्विभाषी गृह पत्रिका 'यूनियन धारा' के संपादकीय सलाहकार तथा हिंदी गृह पत्रिका 'यूनियन सृजन' के कार्यकारी संपादक के रूप में सक्रिय योगदान एवं अमूल्य मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी सेवाओं के लिए हम आपके प्रति आभारी हैं. आपके सुखमय एवं स्वस्थ्य सेवानिवृत्त जीवन हेतु हार्दिक शुभकामनाएं.

बैंक गारंटी में अनुपालन

ग्राहकों द्वारा प्राप्त जमा को ऋण के रूप में प्रदान कर ब्याज अर्जित करना बैंकों का सबसे प्रमुख और परंपरागत कार्य है. किन्तु ऋण संस्वीकृति की प्रक्रिया अत्यंत जटिल है. कई प्रकार के प्रलेखों और कागजातों को प्राप्त करना तथा करार संबंधी कई प्रकार के प्रलेखों का निष्पादन जहाँ समय साध्य और बोझिल है, वहीं दूसरी ओर ऋण की निगरानी और वसूली चुनौतीपूर्ण है. ऋण अशोध्य होने का भय या जोखिम तो ऋण के साथ ही संपृक्त रहता है. ऋण सुविधा होते हुए भी सरल प्रलेखीकरण, वसूली की आसान विधिक प्रक्रिया और ऋण अशोध्य होने की आशंका या जोखिम नगण्य या बिलकुल नहीं होने के कारण बैंक गारंटी ऋण सुविधा के एक सशक्त विकल्प के रूप में लोकप्रिय हो रहा है.

बैंक गारंटी की प्रक्रिया को सुगम, सरल और त्वरित बनाने, प्रलेखीकरण को अधिक तर्कसंगत बनाने और निहित जोखिम को कम करने के उद्देश्य से विनियामक संस्थाओं द्वारा जारी अनुदेशों के अनुरूप बैंकों द्वारा बैंक गारंटी के संबंध में कई दिशानिर्देश जारी किए गए हैं, जिनका अनुपालन अनिवार्य है.

बैंक गारंटी का महत्व : भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अनुच्छेद 126 के अनुसार बैंक गारंटी बैंक द्वारा अपने ग्राहक की ओर से किसी अन्य व्यक्ति / पक्ष को किसी विशेष संविदा/ करार को पूरा करने, किसी कार्य को सम्पन्न करने या किसी वित्तीय दायित्व को पूरा करने के लिए दी जाने वाली एक प्रकार की गारंटी है. जैसा कि उक्त परिभाषा में स्पष्ट है, बैंक गारंटी में तीन पक्ष होते हैं - आवेदक, लाभार्थी और बैंक. आवेदक वह है जो बैंक गारंटी के लिए आवेदन करता है और जिसकी ओर से बैंक गारंटी जारी की जाती है और लाभार्थी वह है जिसके पक्ष में या जिसे बैंक गारंटी जारी की जाती है, जबकि बैंक वह है जो आवेदक की ओर से लाभार्थी के पक्ष में उक्त गारंटी को जारी करता है. बैंक गारंटी को सबसे सुरक्षित ऋण माना जाता है क्योंकि यह पूरी तरह से प्रत्याभूत होता है और प्रतिभूतीकृत बैंक की अभिरक्षा में होती है. बैंक गारंटी न केवल शाखा / बैंक के कारोबार को बढ़ाने में सहायक है अपितु यह कारोबार के साथ ही साथ धारणाधिकार को भी व्यापकता प्रदान करता है. बैंक गारंटी के आवेदक सामान्यत: बड़े आपूर्तिकर्ता, ठेकेदार और निर्माण कंपनियाँ होते हैं जिसके कारण बैंक को प्रति विक्रय का भी अवसर मिलता है. सबसे बड़ी बात यह है कि इससे बैंक की पहचान, मान्यता और प्रतिष्ठा का दायरा व्यापक होता है. बासेल मानदंड के अंतर्गत लागू जोखिम भारिता की परिधि से मुक्त रखे जाने के कारण बैंक गारंटी बैंकों के लिए और अधिक श्रेयस्कर हो गया है.

बैंक गारंटी से संबन्धित अनुपालन को सामान्यत: तीन भागों में बांटा जा सकता है - प्रबंधन संबंधी, करार संबंधी और ग्राहक सेवा संबंधी.

प्रबंधन संबंधी अनुपालन : समुचित और त्रुटिरहित बैंक गारंटी जारी हो, किसी प्रकार का कपट (फ्रॉड) न हो, निहित जोखिम न्यूनतम हो तथा ग्राहकों को समुचित एवं समय पर सेवा प्रदान की जाए और अधिकाधिक बैंक गारंटी जारी कर इससे प्राप्त होने वाली आय अधिकतम हो, इसके लिए समुचित प्रबंधन अर्थात प्रबंधन संबंधी अनुपालन अनिवार्य है. प्रबंधन संबंधी प्रमुख अनुपालन बिंदु निम्नांकित हैं:

1. यह सुनिश्चित करना कि जिस कार्य को करने/ जिस वित्तीय दायित्व के निर्वाह के लिए बैंक गारंटी जारी किया जा रहा है, वह विधिसम्मत है और आवेदक उसे पूरा करने में समर्थ है तथा लाभार्थी वास्तविक है अर्थात् जिसके पक्ष में बैंक गारंटी जारी करने में कोई विधिक अड़चन नहीं है.

2. अपने प्रत्यायोजित ऋण सीमा के भीतर ही बैंक गारंटी को जारी करना और अगर बैंक गारंटी की राशि प्रत्यायोजित ऋण सीमा से परे है तो इसकी संस्वीकृति के लिए सक्षम प्राधिकारी/ नियंत्रक कार्यालय को अग्रेषित किया जाना.

3. बैंक गारंटी जारी करने से पूर्व बैंक गारंटी की राशि के अनुरूप पर्याप्त प्रतिभूति अर्थात घरेलू गारंटी के मामले में गारंटी की राशि के 100% और विदेशी गारंटी के मामले में गारंटी की राशि के 110% प्रतिभूति लिया जाना.

4. सामान्यत: सावधि जमा रसीद, भारतीय जीवन बीमा निगम की पॉलिसी, भारतीय डाक विभाग द्वारा जारी बचत पत्र इत्यादि को प्रतिभूति के रूप में स्वीकार करना तथा अचल संपत्ति के मामले में अपने नियंत्रक कार्यालय/ क्षेत्र प्रमुख का अनुमोदन प्राप्त करना.

5. आस्थगित भुगतान गारंटी के मामले में आवधिक प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करना और जिस कार्य/ परियोजना के लिए ऋण दिया गया है, उस कार्य/ परियोजना की प्रगति पर निगरानी रखना.

6. बैंक गारंटी की राशि में कमी हेतु अनुरोध आने पर उसकी सत्यता की जांच किया जाना, एस.एफ.एम.एस. संदेश भेजकर उसकी संपुष्टि करना और तदुपरान्त शाखा प्रमुख द्वारा सी.बी.एस. में प्रविष्टि द्वारा उसकी अनुमति देना.

7. अगर गारंटी निर्यात के लिए है तो ई.सी.जी.सी. का बीमा कवर प्राप्त करना.

8. अगर गारंटी के मूल विलेख या लाभार्थी द्वारा उन्मोचन पत्र को प्राप्त किए बगैर गारंटी को रिवर्स किया जाता है तो क्षे. का. के पूर्व अनुमोदन के बाद ही मार्जिन/ प्रतिभूति को जारी करना.

9. ₹ 50 करोड़ और इससे अधिक के

बैंक गारंटी के मामले में मासिक/ तिमाही आधार पर बैंक गारंटी लेखापरीक्षा किया जाना तथा किसी प्रकार की विसंगति मिलने पर उसे दूर करना.

10. बकाया गैर प्रतिभूतीकृत गारंटी का 20% और बकाया गैर प्रतिभूतीकृत अग्रिम कुल अग्रिम के 15% से अधिक न होना सुनिश्चित करना.

करार संबंधी अनुपालन : ग्राहकों को बैंक गारंटी सुविधा प्रदान करने से पहले एक करार करना पड़ता है. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देश के अनुरूप बैंक गारंटी के फॉर्म को संशोधित किया गया है और अधिक सूचनाप्रद तथा उपयोगी बनाया गया है. करार संबंधी प्रमुख अनुपालन बिंदु निम्नांकित है:

1. बैंक गारंटी लॉकर से संबन्धित करार फॉर्म के सभी खाली जगहों को भरा जाना अर्थात कोई भी आवश्यक सूचना को रिक्त नहीं छोड़ना.

2. उक्त फॉर्म पर विनिर्दिष्ट स्थान पर आवेदक का फोटो चिपकाना और उसके आंशिक भाग तथा उसके बाहर के भाग पर शाखा का मुहर लगाना.

3. के. वाई. सी. से संबन्धित आवश्यक प्रलेख यथा: आधार कार्ड तथा पैन कार्ड लेना और उसे शाखा द्वारा सत्यापित किया जाना.

4. बैंक गारंटी के प्रकार अर्थात निष्पादन गारंटी या वित्तीय गारंटी का स्पष्ट उल्लेख किया जाना.

5. लाभार्थी द्वारा प्राप्त आदेश / के साथ हुई करार की प्रति को प्राप्त करना.

6. अगर बैंक गारंटी की अवधि 10 वर्ष से अधिक हो तो केंद्रीय कार्यालय से अनुमति के बाद ही आवेदक के साथ करार करना.

7. उक्त करार हेतु आवश्यक स्टांप पेपर को प्राप्त करना.

8. करार में ब्याज दर और ब्याज दर प्रभारित करने की अवधिकता यथा मासिक/ तिमाही का स्पष्ट उल्लेख किया जाना.

9. विधिक रूप से प्रभावी प्रतिभूति यथा सावधि जमा रसीद, बीमा पॉलिसी, बचत पत्र की मूल प्रति को प्राप्त करना और उसमें पुनर्ग्रहणाधिकार को अंकित करना.

10. ₹ 50,000/- या अधिक के बैंक गारंटी जारी किए जाने पर दो अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से करार फॉर्म/ संस्वीकृति संसूचना पर हस्ताक्षर.

ग्राहक सेवा संबंधी अनुपालन : बैंकिंग में ग्राहक सेवा सदैव सर्वोपरि रही है और ग्राहकों को समय पर तथा सुगमतापूर्वक सेवा प्रदान करना बैंकों का उद्देश्य रहा है. बैंक गारंटी भी इससे अछूती नहीं है. ब्याज या आय को अर्जित करने में बैंक गारंटी की महती भूमिका रही है. ग्राहक सेवा संबंधी प्रमुख अनुपालन बिंदु निम्नांकित है:

1. बैंक गारंटी कार्मिक संख्यानुसार निर्धारित प्रपत्र में जारी किया जाना.

2. शेयर और स्टॉक दलालों की ओर से स्टॉक एक्सचेंज के पक्ष में जारी किए जाने वाले गारंटी पर 50% मार्जिन लेना.

3. बैंक गारंटी सहित कुल ऋण सुविधा का कम से कम 10% ऋण निधि आधारित होना सुनिश्चित करना

4. उचित ब्याज दर प्रभारित करना (वर्तमान में निष्पादन गारंटी हेतु ब्याज दर 2% तिमाही और वित्तीय गारंटी हेतु 3% तिमाही है.)

5. जिस कार्य के निष्पादन या जिस वित्तीय दायित्व को पूरा करने के लिए बैंक गारंटी दिया गया है, उसका स्पष्ट उल्लेख गारंटी बॉण्ड में किया जाना.

6. जिस कार्य के निष्पादन या जिस वित्तीय दायित्व को पूरा करने के लिए बैंक गारंटी दिया गया है, उसके पूरा न होने पर अपने क्षे. का. को इसके बारे में रिपोर्ट भेजना तथा बैंक गारंटी की राशि की वसूली हेतु कार्रवाई करना.

7. बैंक गारंटी की अवधि पूरा होने पर बैंक गारंटी की मूल प्रति को आवेदक से वापस लेना.

8. जिस कार्य के निष्पादन या जिस वित्तीय दायित्व को पूरा करने के लिए बैंक गारंटी दिया गया है, उसके पूरा न होने पर लाभार्थी को बैंक गारंटी की राशि का तुरंत भुगतान करना.

9. सहकारी बैंकों के ग्राहकों की ओर से बैंक गारंटी जारी करने से पूर्व उसकी आर्थिक सुदृढता का मूल्यांकन करना और के. वाई. सी. प्रलेखों का सत्यापन करना.

10. बैंक गारंटी की अवधि/ अंतिम तिथि बढ़ाने हेतु आवेदक द्वारा अनुरोध प्राप्त होने पर तदनुसार संशोधन के बाद आवेदक से इस आशय की पावती प्राप्त करना.

निष्कर्ष : बैंक गारंटी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह पूरी तरह प्रत्याभूत होती है, अनावश्यक या बहुत अधिक कागजी कार्रवाई अर्थात प्रलेखीकरण के झंझट से मुक्त रहती है, अपेक्षित सतर्कता आसान होती है. आवेदक तथा लाभार्थी - दोनों प्रतिष्ठित फर्म/ संस्था होते हैं और कई मामलों में लाभार्थी सरकारी विभाग होता है जिसके कारण ऋण अशोध्य होने की आशंका बिलकुल ही नहीं रहती है. बैंक को एक अच्छी ख़ासी रकम ब्याज के रूप में प्राप्त हो जाती है. इसके साथ ही बैंक गारंटी जारी करने वाली बैंक/ शाखा के परिचय/ संपर्क का दायरा व्यापक हो जाता है, जिससे कारोबार अर्थात् नई जमा प्राप्त करने और ऋण देने का अवसर प्राप्त हो जाता है. इसी प्रकार, समुचित और सही करार, त्रुटिरहित प्रलेखीकरण और बैंक गारंटी जारी करने से लेकर उन्मोचन तक की समस्त प्रक्रिया के विधिसम्मत होने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक की नीतियों के आलोक में बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना बैंकों का महत्तर दायित्व है. ★

ओम प्रकाश बर्णवाल
अं. का., रांची

धन-शोधन – उभरती प्रवृत्तियां

हर साल, वैश्विक अर्थव्यवस्था में लगभग $800 बिलियन से $2 ट्रिलियन राशि का धन-शोधन होता है, जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 2-5% के बराबर है. यह कोई नई घटना नहीं है, फिर भी तकनीकी प्रगति और आज की दुनिया की वैश्वीकृत प्रकृति के कारण धन-शोधन की रणनीति और तकनीक बदल रही है. अपराधी धन-शोधन के लिए लगातार अधिक जटिल तरीकों का आविष्कार कर रहे हैं, जिससे इन अवैध गतिविधियों का पता लगाने और उन्हें रोकने में नियामक निकायों के लिए कठिन चुनौतियाँ पैदा हो रही हैं.

तत्काल वित्तीय नुकसान के अलावा, जो व्यक्ति इस तरह की धोखाधड़ी का शिकार होते हैं उन्हें गहरा भावनात्मक संकट भी झेलना पड़ता है. वित्तीय संस्थानों को तो धन के साथ साथ अपनी साख खो जाने के जोखिम का सामना करना पड़ता है. इस सब से हमें मजबूत एएमएल प्रौद्योगिकियों को लागू करने के महत्व का पता चलता है.

आज जबकि बैंक धन-शोधन, स्मर्फिंग या नकदी के माध्यम से धोखाधड़ी जैसे सामान्य धन-शोधन के तरीकों पर नकेल कसने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं अपराधियों ने अब अपनी धोखाधड़ी योजनाओं को अंजाम देने के लिए उन्नत तकनीक और अपरंपरागत तकनीकों का उपयोग करना शुरू कर दिया है.

आइए, हम कुछ ऐसे अनोखे धन-शोधन तरीकों पर चर्चा करते हैं जिन पर अब नज़र रखी जानी चाहिए.

1. **कलाकृतियों की नीलामी:** जिसे परंपरागत रूप से उच्च आर्थिक वर्ग के व्यक्तियों के आयोजन के रूप में देखा जाता है, इसे अब तेजी से अवैध धन को वैध बनाने के माध्यम के रूप में उपयोग किया जा रहा है. कलाकृतियों के मूल्यांकन की अपारदर्शी प्रकृति अपराधियों के लिए वरदान साबित होती है, जिससे उन्हें वैध लेनदेन के पीछे छिपाकर अवैध धन आसानी से बड़ी मात्रा में हस्तांतरित करने का रास्ता मिलता है. यह प्रक्रिया अक्सर अवैध तरीकों से अर्जित धन का उपयोग करके किसी कलाकृति की खरीद से शुरू होती है. इसके बाद कलाकृति के मूल्य के साथ हेरफेर की जाती है. उदाहरण के लिए, इसे किसी सहयोगी को बढ़ी हुई कीमत पर दोबारा बेचा जा सकता है, जिससे अवैध धन को वैध धन में बदल दिया जा सके. इस लेनदेन से प्राप्त राजस्व वैध धन के रूप में दर्शाया जाता है. कभी-कभी, कलाकृति भौतिक रूप से लेन-देन करने वालों के बीच स्थानांतरित तक नहीं होती, लेकिन आधिकारिक तौर पर, यह एक वास्तविक बिक्री के रूप में दिखाई जाती है और इस प्रकार अपराधियों को अपने अवैध धन को वैध धन में बदलने में मदद मिलती है. कलाकृतियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बिना किसी परेशानी के एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जाया जा सकता है. कलाकृति का मूल्य बहुत अधिक हो सकता है, पर उसकी जांच और आवाजाही पर प्रतिबंध सीमित ही है.

हाल के वर्षों में, कई देशों ने कला जगत में धन-शोधन रोकने के लिए सख्त नियम लागू करना शुरू कर दिए हैं और इसी वजह से, अपराधी अब अपने अवैध धन को वैध करने के लिए इंटरनेट और आधुनिक तकनीक की ओर रुख कर रहे हैं.

2. **गैर परिवर्तनीय टोकन (नॉन-फंजिबल टोकन):** एन.एफ.टी. (नॉन-फंजिबल टोकन), डिजिटल कलाकृतियां होती हैं, जिनका स्वामित्व अधिकतर गुमनाम होता है और इनका मूल्य तेजी से बदलता रहता है. इसी कारण एन.एफ.टी. धन शोधन के लिए अपराधियों के बीच लोकप्रिय हो रही हैं. एन.एफ.टी. के माध्यम से लेनदेन करते समय किसी को अपनी पहचान उजागर करने की आवश्यकता नहीं होती है.

वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (फिनसेन) के अनुसार एन.एफ.टी. को दूरी की चिंता किए बिना इंटरनेट पर तेजी से और दुनिया में कहीं भी भेजा जा सकता है. इससे अपराधियों के लिए भौतिक वस्तुओं को ले जाने की सामान्य लागत या जोखिम के बिना अपने अवैध धन को छिपाने और स्थानांतरित करने के लिए डिजिटल तकनीक का रास्ता मिल जाता है.

धन-शोधन का एक सामान्य तरीका यह है कि पहले एक डिजिटल वॉलेट से सस्ते में एन.एफ.टी. खरीदा जाए और फिर अपनी पहचान साबित करने की आवश्यकता के बिना, इसे एक अलग वॉलेट के ज़रिए ऊंची कीमत पर खुद को ही बेच दिया जाए. अंत में, एन.एफ.टी. किसी ऐसे व्यक्ति को बेच दिया जाता है जो नहीं जानता कि वह किसी ऐसी योजना का हिस्सा बन रहा है, जो सामान्य बिक्री की तरह दिखने वाली प्रक्रिया के पीछे अवैध धन को वैध धन में परिवर्तित कर रही है.

3. **ऑनलाइन गेम्स:** अक्सर ऑनलाइन गेम्स की अपनी डिजिटल मुद्रा और डिजिटल सामान होता है, जिनका गेम और बाहरी वेबसाइटों दोनों पर कारोबार किया जा सकता है. इसने एक बड़ा ऑनलाइन बाज़ार तैयार कर दिया है जहां ये डिजिटल सामान वास्तविक पैसे के बदले खरीदे और

बेचे जा सकते हैं. अपराधियों ने इसे एक अवसर के रूप में लिया और इस प्रक्रिया का इस्तेमाल अपने अवैध धन को वैध करने में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया.

आइए ऐसे कुछ तरीकों को समझते हैं:

➢ अवैध पैसे से डिजिटल वस्तुएं खरीदना और उन्हें अन्य वेबसाइटों पर वैध पैसे में बेचना.

➢ वास्तविक दुनिया में हथियार या ड्रग्स जैसी चीजें खरीदने के लिए गेम की डिजिटल वस्तुओं का उपयोग करना.

➢ सामान/सामग्री मूल रूप से कहां से आए, इसे छिपाने के लिए विभिन्न गेम खातों के बीच डिजिटल सामान का स्थानांतरण करना.

➢ जुआ जैसे खेलों को खेलने के लिए डिजिटल वस्तुओं का उपयोग करना.

4. क्रिप्टोकरेंसी: क्रिप्टोकरेंसी धन-शोधन करने वाले लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हैं क्योंकि इसमें लेनदेन और उसे करने वालों का पता लगाना काफी कठिन है. वे अक्सर क्रिप्टो टंबलर या मिक्सर नामक सेवाओं का उपयोग करते हैं, जो अवैध धन को वैध धन के साथ मिलाते हैं, जिससे यह पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि पैसा मूल रूप से कहां से आया है.

क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करके धन-शोधन प्लेसमेंट-लेयरिंग-एकीकरण के सामान्य पैटर्न का पालन करती है लेकिन कुछ विशिष्ट विशेषताओं के साथ. क्रिप्टोकरेंसी अपने निर्माण के समय से ही गुमनाम होती हैं इसलिए धन-शोधन प्रक्रिया का प्लेसमेंट चरण अक्सर अनुपस्थित होता है. क्रिप्टोकरेंसी का खाता बनाने में केवल कुछ सेकंड लगते हैं और यह नि:शुल्क है. इसके बाद कंप्यूटर स्क्रिप्ट का उपयोग करके हजारों लेन देन एक साथ की जा सकती है; जो धन-शोधन के लिए एक आदर्श स्तिथि है.

5. त्वरित मैसेजिंग ऐप: आजकल, कई मैसेजिंग ऐप लोगों को सीधे एक-दूसरे को पैसे भेजने की सुविधा देते हैं, जो उन लोगों के लिए एक नया तरीका बन गया है जो धन-शोधन करना चाहते हैं.

उदाहरण के लिए, कुछ मैसेजिंग ऐप अपने प्लेटफॉर्म पर पैसे भेजने या पीयर टू पीयर लेनदेन करने की सुविधा प्रदान करते हैं. यह सुविधा उन लोगों को, जो धन-शोधन करना चाहते हैं, एन्क्रिप्टेड संदेशों में गुप्त रूप से पैसे स्थानांतरित करने का मौका दे सकती है. इसका मतलब है कि संदेशों को एन्क्रिप्टेड किया जाता है ताकि कोई और उन्हें पढ़ न सके, जिससे बिना किसी रिकॉर्ड के अवैध लेनदेन या बातचीत हो सके.

धन-शोधन की जाँच में समस्याएँ:

धन-शोधन के अपराधों की जांच के पुराने तरीके अब उतने कारगर नहीं रहे. जांचकर्ताओं को नई तरकीबें सीखने की जरूरत है क्योंकि पुरानी तरकीबें शायद हर चीज को नहीं पकड़ पातीं, खासकर पेचीदा योजनाओं को. आइए, ऐसी ही कुछ समस्याओं को समझने की कोशिश करते हैं:

आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल: इंटरनेट और नई तकनीक ने अपराधियों के लिए नए तरीकों, जैसे डिजिटल मुद्राओं या ऑनलाइन गेम का उपयोग करके अपना पैसा छिपाना आसान बना दिया है.

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय लेनदेन: हमारी दुनिया की सभी वित्तीय प्रणालियाँ एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जिससे अपराधियों के लिए विभिन्न देशों से पैसा ले जाना आसान हो गया है. वे अक्सर दिखावटी कंपनियों और दूसरे देशों में खातों जैसे जटिल सेटअप का उपयोग करते हैं, जिससे पैसे और लेनदेन करने वालों की पहचान कठिन हो जाती है.

पुरानी सोच और प्रक्रियाएं: जांचकर्ताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाली पुरानी प्रक्रियाएं और तरीके कुछ नियमों पर आधारित होते हैं. चतुर अपराधी जानते हैं कि इन नियमों से बचकर कैसे काम करना है, जिससे उनकी धन संबंधी गतिविधियां सामान्य दिखती हैं और बैंकों के लिए अवैध गतिविधि को पहचानना कठिन हो जाता है.

अत्याधिक डेटा: हर दिन, विशेष रूप से बड़े वित्तीय केंद्रों में, भारी मात्रा में पैसों का जितना लेनदेन होता है उतनी डेटा की जांच कर पाना जांचकर्ताओं के लिए एक बहुत कठिन कार्य है.

निष्कर्ष: धन-शोधन के आधुनिक तरीके एक बड़ी समस्या बनते जा रहे हैं और हमें इन्हें जल्द से जल्द रोकने की जरूरत है. ये नए तरीके, जैसे डिजिटल मुद्राएं और ऑनलाइन गेम, गुमनाम रहकर धन इधर-उधर करने का आसान रास्ता उपलब्ध कराते हैं और इन तरीकों को पहचानना और रोकना कठिन है क्योंकि ये बहुत तेजी से बदलते रहते हैं. इसका मतलब यह है कि जो लोग और समूह धन-शोधन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें और भी अधिक मेहनत और समझदारी से काम करने की जरूरत है. इन अपराधियों को पकड़ने और रोकने के लिए प्रवर्तन एजेंसियों को नए उपकरणों का उपयोग करने और सभी देशों में मिलकर बेहतर काम करने की आवश्यकता है. इस तरह, हम अपना पैसा सुरक्षित रख सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि अपराधियों के लिए धन-शोधन करना कठिन हो. ✶

राजकुमार शर्मा
ज़ेड.एल.सी., मंगलूरु

लोक अदालत

वैकल्पिक विवाद निस्तारण फोरम

उधारकर्ता से देय राशि की वसूली हेतु बैंकों द्वारा दीवानी न्यायालयों में दायर मुकदमों की संख्या, वर्ष 1980 के अंत में इतनी बढ़ गयी थी कि उपलब्ध आधारभूत संरचना के भीतर उचित समय सीमा में मुकदमों का निपटान करना काफी कठिन होने लगा था. अत: समझौता संस्कृति को बढ़ावा देने की आवश्यकता महसूस होने लगी, ताकि छोटी रकमों के विवाद, कानूनी कार्रवाई की कठिन लंबी प्रक्रिया से गुजरने के बजाय प्रतियोगी पार्टियों के बीच निपटाए जा सकें. समझौता करारों को अर्थपूर्ण बनाने के लिए यह आवश्यक था कि करारों को न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया जाए. इसका मतलब था कि ऋणदाता बैंकों के लिए, कानूनी कार्रवाई पर बिना धन खर्च किए, कम समय सीमा के भीतर भारी संख्या में उपलब्ध छोटी रकम वाले एनपीए का निपटान करवाना.

यह समय की मांग थी और विधिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम, 1987 का अधिनियमन हुआ, जो जम्मू एवं कश्मीर राज्य को छोड़कर देश के सभी राज्यों में लागू किया गया. लोक अदालतों के जरिए समझौता प्रक्रिया इस अधिनियम से प्रारम्भ हुई. पहले उल्लेख के अनुसार, किसी भी विवादित पार्टी को न्यायालय गए बिना ही न्याय दिलवाने की यह एक सामान्य प्रक्रिया है. प्रतियोगी पार्टियां अपने विवाद सौहार्दपूर्ण निपटाने के लिए स्वेच्छा से तैयार हों, इसी भूमिका पर लोक अदालत कार्य करती हैं. विवाद सरल, शीघ्र एवं कम लागत पर निपटाने के लिए यह प्रक्रिया मदद करती है. जब से यह लागू हुआ है, तब से देय राशि, विशेष रूप से बैंक को देय राशि के निपटान में लोक अदालत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है.

अधिनियम द्वारा गठित लोक अदालत के मुख्य पहलू : विधिक सेवाएँ प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अधीन गठित राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकार के तहत लोक अदालत गठित की गयी है. अधिनियम के अधीन विधि सेवाएँ उपलब्ध करवाने के लिए नीति एवं सिद्धान्त बनाने के लिए यह प्राधिकरण शीर्ष एजेंसी के रूप में कार्य करता है. समझौता/मध्यस्थता/समंजन की प्रक्रिया के जरिए सरसरी तौर पर विवादों के लिए लोक अदालत कार्य करती है, जो देश के विभिन्न स्थानों पर गठित की गई है. लोक अदालत का परिचालन संबंधित राज्यों में गठित राज्य स्तर, जिला स्तर एवं तालुका स्तर एजेंसियों द्वारा किया जाता है. जिला विधिक सेवाएँ प्राधिकार, जिसके प्रधान, मुख्य जिला न्यायाधीश, अधिनियम की धारा 10 में उल्लिखित कार्य देखते हैं. प्राधिकार में उल्लिखित ऐसे कार्य संबन्धित अधिकारी द्वारा किए जाते हैं. अधिनियम की धारा 10(2) के अनुसार, जिला प्राधिकारी, तालुका स्तर विधिक सेवाएँ समिति तथा जिले की अन्य विधि सेवाओं की गतिविधियों का समन्वयन करते हैं.

विशिष्ट प्रयोजनों के लिए दीवानी न्यायालय : मध्यस्थता/समझौता के किसी मामले पर निर्णय हेतु, दीवानी कार्यविधि संहिता (सीपीसी) के प्रावधानों के अधीन दीवानी न्यायालय को प्रदत्त वही अधिकार, लोक अदालत के पास होंगे. अत: लोक अदालत, किसी भी गवाह को सम्मन भेजकर उपस्थिति प्रवर्तित कर शपथ के आधार पर प्रश्न पूछकर जांच कर सकती हैं, परीक्षण आदि के लिए किसी सार्वजनिक रिकॉर्ड या किसी न्यायालय या कार्यालय से दस्तावेज (या प्रति) मँगवा सकती है, शपथपत्र पर साक्ष्य प्राप्त कर सकती है एवं किसी दस्तावेज को परीक्षण आदि के लिए प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकती हैं. सामान्य स्थिति में, लोक अदालत उसके सम्मुख आने वाले किसी भी विवाद के निर्धारण हेतु अपनी स्वयं की कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक अधिकार सुरक्षित रखती है. संक्षेप में, लोक अदालत के सम्मुख आने वाली कार्रवाई, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के अनुसार न्यायिक कार्रवाई है.

दीवानी विवाद तथा गैर-समाधेय फौजदारी अपराध : किसी कानून के अंतर्गत समाधेय नहीं, ऐसे फौजदारी विवादों को छोड़कर अन्य फौजदारी या दीवानी विवाद, जो किसी न्यायालय के सम्मुख लंबित हो, की लोक अदालत द्वारा सुनवाई एवं निपटान किया जा सकता है. विवादित दावा, जो निर्णय हेतु किसी न्यायालय में नहीं गया हो अर्थात् जिसमें कानूनी कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की गयी हो, उसमें ऐसे विवादित मामलों में विवाचक के रूप में लोक अदालत कार्य करती है तथा सभी पार्टियां, जो धारा 19(5) को मान्य हो, ऐसा समझौता निपटान करती है. बैंक देय राशि के मामलों में, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों के अनुसार ऋणदाता बैंक, सभी एनपीए खाते जिसमें रु.20 लाख की बकाया शेषराशि हो (मुकदम दायर एवं गैर-मुकदमा दायर दोनों खातों) एवं जो संदिग्ध एवं हानि वाली आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किए गए हों, को ऐसी लोक अदालत योजनाओं में शामिल कर सकता है. लोक अदालत लगातार चलनेवाली प्रक्रिया है, अत: भारतीय रिजर्व बैंक ने अन्य ओटीएस योजनाओं की तरह कोई अंतिम तिथि निर्धारित नहीं की है.

लोक अदालत को निर्देशित करना एक महत्वपूर्ण कार्य: विधिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 20 के अनुसार, निर्धारित पद्धति - धारा 20(1) द्वारा निर्दिष्ट होने पर न्यायालय से प्राप्त मामलों पर लोक अदालत विचार करती है. जब कभी संबन्धित विधि सेवा प्राधिकारी या लोक अदालत की संचालन समिति द्वारा निर्धारित पद्धति - धारा 20 (2) में निर्दिष्ट मामलों पर भी लोक अदालत विचार करती है, उक्त रेफरेंस को छोड़कर किसी पार्टी द्वारा स्वयं निर्दिष्ट करने पर मामलों पर विचार करने एवं निर्णय देने का अधिकार लोक अदालत के पास नहीं होता है. यह महत्वपूर्ण है कि लोक अदालत को

निर्दिष्ट करने के पूर्व न्यायालय दोनों पार्टियों को सुनने के बाद ही संतुष्ट होने पर लोक अदालत को संदर्भित करते हैं. मामला प्राप्त होने के तुरंत बाद लोक अदालत, विवादित पार्टियों के बीच समझौता या निपटान करने का प्रयास करती है. इस प्रक्रिया में, लोक अदालत न्याय, निष्पक्षता, न्यायसंगत निष्पक्ष व्यवहार एवं विधि सिद्धांतों का अनुपालन करती है. कभी-कभार विवादित पार्टियों के बीच कोई समझौता या निपटान हो नहीं पाता, तब ऐसे मामलों का रिकॉर्ड, संबंधित न्यायालय (जिसने मामला रेफर किया था वहाँ) को लोक अदालत वापस भेज देती है और न्यायालय में न्याय मांगने के लिए पार्टियों को सलाह देती है. लोक अदालत को ऐसे मामले निर्दिष्ट करने के पूर्व मामले जिस स्तर पर थे, वहाँ से आगे की कार्रवाई न्यायालय द्वारा पुन: प्रारम्भ की जाती है.

लोक अदालत द्वारा दिये गए निर्णय की स्थिति : जब लोक अदालत के आदेश पर समझौता किया जाता है, तब निर्णय दिया जाता है. लोक अदालत द्वारा दिया गया निर्णय, दीवानी न्यायालय की डिक्री या किसी अन्य न्यायालय के आदेश के समकक्ष होगा. निर्णय सभी संदर्भों में अंतिम होगा तथा विवाद की सभी पार्टियों के लिए बाध्य होगा (अधिनियम की धारा 21). अत: निर्णय डिक्री के रूप में प्रवर्तनीय होगा एवं अंतिम होगा. वास्तविक रूप में, निष्पादन का मूल प्रयोजन, विवादों को सीमित करना तथा अंतिम निर्णय इस प्रकार से निश्चित करना, ताकि पार्टियों को पुन: मुकदमा दायर करने या विवाद को उत्पन्न करने के लिए बाध्य होना न पड़े. तथापि, लोक अदालत का निर्णय गुणवत्ता पर विवाद के परिणामस्वरूप नहीं है (नियमित न्याय विचार मुकदमे पर न्यायालय द्वारा नियमित मुकदमे के मामले के जैसा). इस निर्णय को सम आधार पर एवं न्यायालय द्वारा दिए गए समझौता डिक्री को नियमित अपील में चुनौती नहीं दी जा सकती. इसी प्रकार, लोक अदालत के निर्णय को कानून के अंतर्गत उपलब्ध किसी भी नियमित उपाय, जिसमें निर्णय की सत्यता को चुनौती के रूप में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 का आह्वान भी शामिल हो, को चुनौती नहीं दी जा सकती.

लोक अदालत समझौते का लाभ : वसूली के मामले या विवादों का निपटान करने के लाभ संक्षेप में निम्नानुसार हैं:

- न्यायालय में वर्तमान किसी भी मुकदमे या नए विवादों पर लोक अदालत विचार कर निर्णय दे सकती है.
- लोक अदालत द्वारा दिया गया निर्णय विधि संगत होता है, जो बाध्यकारी एवं अंतिम होता है, जिस पर पुन: अपील नहीं की जा सकती.
- यदि कोई समझौता न हो, तब पार्टी न्यायालय कार्रवाई को जारी रख सकती है.
- अंत में, कार्रवाई पर कोई न्यायालय शुल्क प्रभारित नहीं किया जाता.

ऋणदाता बैंक के लिए महत्वपूर्ण सुझाव: भारतीय रिजर्व बैंक ने राय प्रकट की है कि लोक अदालत के माध्यम से बैंक देय राशियों के निपटान के लिए सख्त नियम नहीं हो सकते. ऐसे निपटानों में लचीला दृष्टिकोण अपनाना व्यावहारिक होगा. लोक अदालत के माध्यम से विवाद के निपटान करवा लेते समय कतिपय एक-समान सिद्धान्त एवं कार्यप्रणाली ऋणदाता को अपनानी होगी.

लोक अदालत से बैंकों द्वारा डिक्री प्राप्त करना : मुकदमे में दावा की गयी रकम एवं ब्याज के लिए ऋणदाता बैंक को डिक्री प्राप्त करनी चाहिए. निर्णयित रकम के पूर्ण भुगतान के पश्चात् ही बैंक द्वारा डिस्चार्ज प्रमाणपत्र जारी किया जाना चाहिए. चूंकि, लोक अदालत, मौके पर ही मामलों का निपटान करती है एवं लंबित मामलों का शीघ्र निपटान करना ही उद्देश्य है, इसलिए लोक अदालत के प्रधान अधिकारी के सुझावों के प्रति अग्र सक्रियता से बैंकर को रिस्पॉण्ड करना चाहिए. दूसरे शब्दों में ऋणदाता बैंकों के अधिकारियों को विभिन्न स्थितियों में समझौता बातचीत के लिए पूरी तैयारी के साथ आना चाहिए. समझौता या अन्य मामले में अपने नियंत्रक प्राधिकारी को मामला रेफर करना पड़ेगा. इस भूमिका से योजना का प्रयोजन बेकार हो जाएगा.

बैंक प्रतिनिधियों को प्राधिकार देना: प्रत्येक बैंक लोक अदालत में उपस्थित रहने वाले अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों को छूट/रियायत की मात्रा से अवगत कराएगा. प्रतिभूति के मूल्य, उधारकर्ता की ऋण चुकौती क्षमता, वसूली की लागत एवं सबसे महत्वपूर्ण अन्य उपचित लागत, जिसकी गणना न की हो, (क्योंकि खाता एनपीए हुआ है) को शामिल कर, उधारकर्ता द्वारा कुल देय राशि पर ऐसी छूट की मात्रा निर्भर करेगी.

चुकौती अवधि : भारतीय रिजर्व बैंक ने सुझाव दिया है कि चुकौती अवधि एक से तीन वर्षों के भीतर होनी चाहिए. इससे अधिक चुकौती अवधि, के मामले में तत्काल प्रभाव से एनपीए में घटाव नहीं होगा. एनपीए घटाने को तत्काल प्रभावित नहीं करेगी.

रकम चुकता न करने की स्थिति में समझौता करार में उपवाक्य जोड़ना : उधारकर्ता के साथ किए गए समझौता करार में उपवाक्य जोड़ा जाना चाहिए, जिसमें उल्लेख हो कि निर्धारित की गयी अवधि के दौरान एक या अधिक किस्तों का भुगतान न करने पर, सम्पूर्ण ऋण रकम को तत्काल रूप से चुकाना होगा एवं ऐसी रकम की वसूली के लिए बैंक कानूनी कार्रवाई करेगा.

बैंकों द्वारा लोक अदालतों का आयोजन करना : बैंकों को अग्र सक्रिय रहकर लोक अदालत आयोजित करने की जिम्मेवारी लेनी चाहिए. इस संदर्भ में लोक अदालतों को आयोजित करने हेतु राज्य/जिला/तालुका स्तर के विधि सेवा प्राधिकारियों से बैंकों को संपर्क करना चाहिए. राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) के समन्वयक बैंकों तथा जिलों के अग्रणी बैंकों को योजना का आवश्यक प्रचार सुनिश्चित करना चाहिए. ✶

रमेश कुमार
क्षे. का., रायपुर

पिच्चवरम मैनग्रोव वन

मैनग्रोव एक छोटा पेड़ या झाड़ी है जो समुद्र तट के किनारे उगता है. इसकी जड़ें अक्सर पानी के नीचे नमकीन तलछटी में होती हैं. पिच्चवरम मैनग्रोव वन तमिलनाडू राज्य में चिदम्बरम मण्डल से 14 किमी की दूरी पर स्थित है. यह सुंदरबन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मैनग्रोव है. सुखद मौसम और कम आर्द्रता के स्तर के कारण पिच्चावरम की यात्रा का सबसे अच्छा समय दिसंबर और जनवरी की सर्दियों के महीनों के दौरान होता है.

चिदम्बरम से पिच्चवरम शीघ्र जाने के लिए टैक्सी सबसे बढ़िया साधन है. यहाँ पहुँचने के बाद आप नाव से सैर कर सकते हैं. इस बोटिंग क्लब का प्रबंधन तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है. यहाँ आप चाहे तो ग्रूप के साथ पेडल नाव ले सकते हैं, या मोटर बोट में भी जा सकते हैं. यह सफर सच में आनंददायक एवं रोमांचक है. दोपहर के समय में भी ठंडी हवा होने के कारण मन एक दम उल्लास से भर जाता है. पौधों के नीचे से जाते हुए किसी सिनेमा के दृश्य का आभास होता है. यहाँ कई जीव-जन्तु और पशु-पक्षी पाए जाते हैं. हमारे सफर के समय बीच में हमें कई मछुआरे भी दिखाई दिए.

बारिश के समय ये मैनग्रोव और भी सुंदर दिखते हैं. यहाँ समय कैसे बीत गया हमें पता भी नहीं चला. पिच्चावरम एंट्रेन्स में एक व्यू पॉइंट भी है, जहाँ से आप पिच्चावरम मैनग्रोव वन का नज़ारा देख सकते हैं. यह एक बहुत ही सुंदर अनुभव हैं. यह वन सुबह नौ बजे से शाम पाँच बजे तक पर्यटकों के लिए खुला रहता है.

पी विवेक सुधा
अं. का.,
विशाखपट्टणम

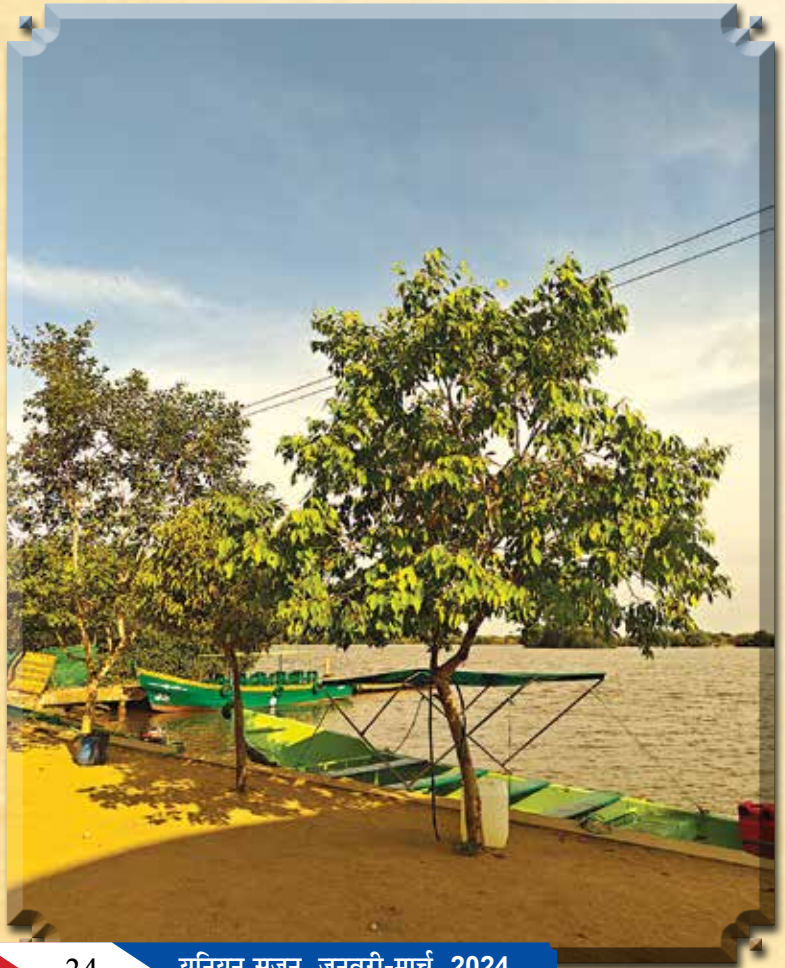

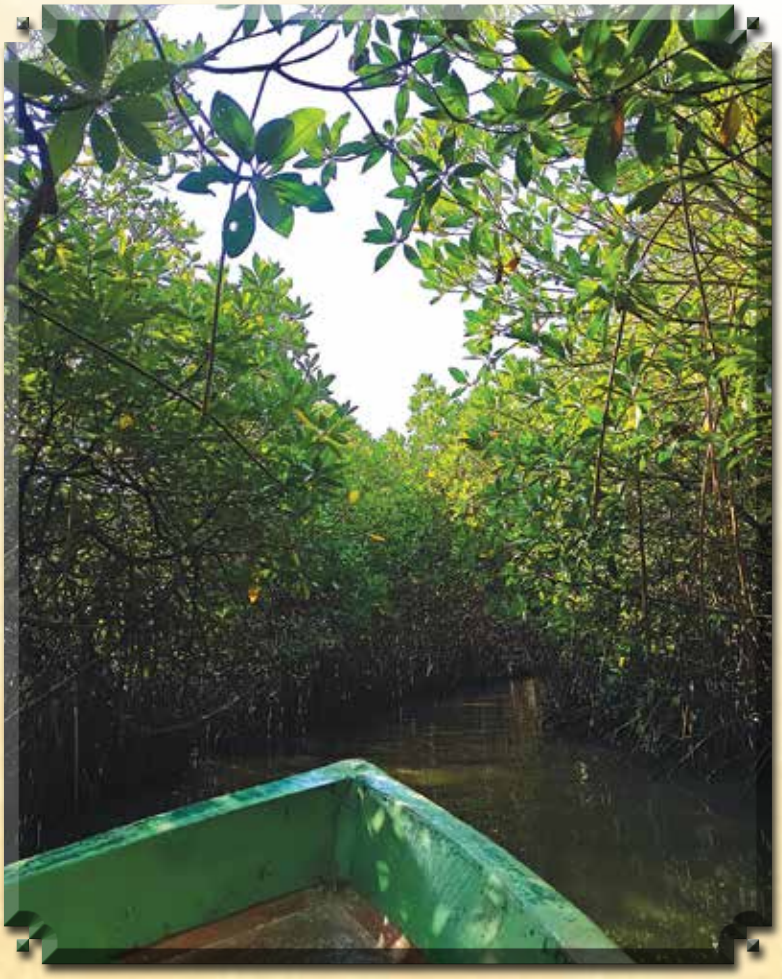

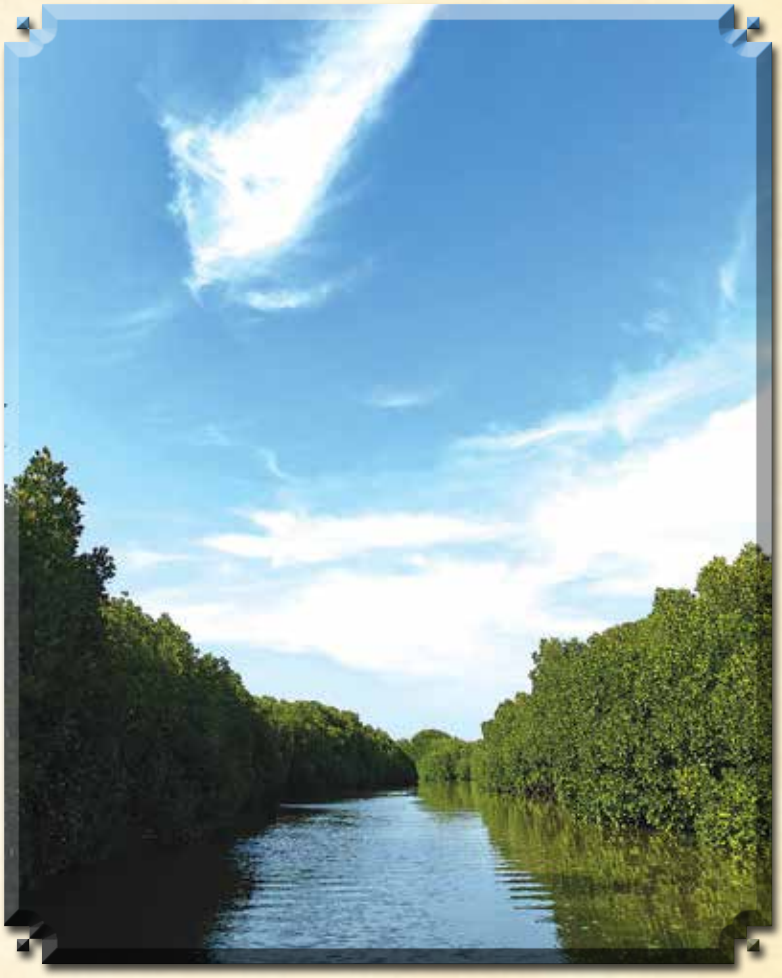

डिजिटल बैंकिंग

डिजिटल बैंकिंग का जादू,
अब सभी बातें होती है आसान।
बस क्लिक करो, और सब कुछ हो जाए,
काम हो जाए तुम्हारा सरल और जल्द हो निपटान।

स्मार्टफोन की माया में,
बैंकिंग हुई है अब सरल और आसान।
कागजों की अब चिंता नहीं,
डिजिटल दुनिया में, अब सब पर है आपकी कमान।

लाखों के गहने अब घर में नहीं,
सब कुछ डिजिटल में है सुरक्षित।
आधार से लेकर अन्य विवरण,
होते हैं अब एक क्लिक में उपलब्ध।

खरीदना और बेचना,
हर लेन-देन है अब आसान,
डिजिटल बैंकिंग की सहायता से
छोटे उद्योग भी हो गए भव्य।

समय की कीमत समझो,
और अपनाओ डिजिटल बैंकिंग का सफर,
जिससे जीवन होगा आसान
और बैंकिंग पहुंचेगी घर घर।

घनश्याम प्रसाद
क्षे. का., महबूबनगर

आत्मविश्वास

जब घनघोर निराशा घर कर दे,
जब तम उजियारा कम कर दे
जब धैर्य तुम्हारा डग मग हो,
डर अनजाना जब हर पग हो।।

तब तुम दो पल को थम जाओ,
सब भूल के खुद में रम जाओ।
हो श्रेष्ठ कृति तुम ईश्वर की,
यह सोच के डर से लड़ जाओ।।

ये लोभ प्रपंच सतायेंगे,
तुम्हें लोग बहुत डरायेंगे।
पर तुम खुद पर विश्वास करो,
जीत का नित्य अभ्यास करो।।

अब नाम तुम्हें कमाना है,
थककर नहीं रुक जाना है।
जो शिलालेख सी लिख जाये,
ऐसी पहचान बनाना है।।

तनिक शिकन न आ पाए,
डर भी जब तुमसे घबराए।
तब जीत तुम्हारी निश्चित है,
हर सफलता फिर आरक्षित है।।

सत्यव्रत शर्मा
क्षे.का., इन्दौर

होली

होली है-होली है
बुरा ना मानो री सखियां
आज होली है

गुलाल उड़े-रंग लाल उड़े
नाचों री सखियां
आज होली है

मैं भी खेलूं और तुम भी खेलो
खेलों री सखियां
आज होली है

बरसाने में राधा रानी खेलत
जनकपुर में वैदेही
आज होली है

रंग-उमंग-तरंग ले खेलो
ऊंच नीच सब भुल के खेलो
आज होली है

भोला भी खेलत भस्म के होली
संग जग जननी भी होली
आज होली है

राग द्वेष सब मिटा लो
अपना पराया सब भुला लो
आज होली है

अमित लिखत रंग की महिमा
जीवन में रंग की होली है
आज होली है....

अमित कुमार झा
क्षे. का., लुधियाना

ज़िंदगी

यह भागदौड़ भरी जिंदगी
इसमें हर कोई परेशां
और उदास है.....।।

हर दिल में अनेकों परेशानियाँ
और हर इक दिन
इक नयी आस है.....।।

खुश रहो, मुस्कराओ
और कद्र करो उसकी
जो आपके पास है.....।।

जो आपके दुख से दुखी
और खुशी से हो खुश
उसकी हर किसी को तलाश है.....।।

जो अपनी जिंदगी के
दे अनमोल वक्त आपको
बस वही इंसान खास है.....।।

रहो खुश हमेशा और
फैलाओ सबमें खुशियाँ
ज़िंदगी जीने का यही सही अंदाज़ है.....।।

मोनिका रानी
क्षे. का., नई दिल्ली

नाहक दुराव न पाल!

जब तक सांस रहे तब तक जीवन है
जैसे ही सांस मिटे कौन किसका है!
प्रेम में अर्जुन थे अभिमन्यु के
घटनाक्रम कुछ रहे, पुत्र न रहे!
पिता के लिए पुत्र शोक के
वे क्षण कितने दुःख भरे रहे!
पला पलाया जवां पुत्र गया
वंशावली सूत्र मेरे पुत्र न रहे!
हा! मेरे जीवन में अर्थ अब क्या
काश हम भी होते गए चले!
हे कान्हा! तुम संभालो अब
काश एक दर्श हो जाएं उनके!
एक बार बुला दें हमसे मिलवा दें
फिर चाहे आत्मा मुंह कर ले परे!
बहुत आग्रह पर कृष्ण मान गए
आह्वान पर थे अभिमन्यु पधारे!
आते ही प्रणाम कृष्ण को किए
अर्जुन की ओर नयन नहीं फेरे!
कृष्ण ने पूछा ये क्या अभिमन्यु
अर्जुन से तुम सादर नहीं मिले!
पिता हैं तुम्हारे भले तुम नहीं हो
पर इस बेरुखी से अर्थ हम क्या लें!
इतनी जल्दी तुम इन्हें भूल गए
क्या इतनी देर के ही थे रिश्ते नाते?
इस पर अभिमन्यु ने कहा,
किस जन्म के?
जब से मेरी आत्मा ने जन्म लिए थे
तब से अब तक तीन सौ जन्म हुए!
कैसे मैं याद करूं कहां तक याद रखूं
कौन पिता रहे कौन संबंधी थे?
सुन कर हतप्रभ रह गए थे अर्जुन
हाय क्या इसी को हम पुत्र समझे थे!
ये निरी आत्मा नहीं किसी की भी
मान अभिमान में चरित्र नहीं मेरे!
नाहक अहम रखे नाहक बैर भाव
नाहक जोड़ घटाव मैंने नाहक पाले!
काश हम सभी निश्छल भाव से
सब से प्रेम रखें कुंठायें न पालें!
खुल के सभी से मिलें, प्रेम से गले
देखना खुशबुओं के खुलेंगे दरीचे!

राहुल गुप्ता
क्षे.का., भोपाल (मध्य)

जिंदगी ऐ जिंदगी

जब पाने का मोह छोड़ा,
तब सब मिल जाता है।
जिंदगी ऐ जिंदगी,
तेरा ग़जब तमाशा है।

पीछे भागने से चीज़ो के,
दूर चली वो जाती है।
छोड देने से व्यर्थ प्रयत्न,
पास चली सब आती है।
जो डूबा इसकी तह मे,
वही पार हो जाता है।
जिंदगी ऐ जिंदगी,
तेरा गजब तमाशा है।

जीवन में इतना शोर है,
नित्य नवीन एक भोर है।
मन क्यों शांत नहीं यहाँ,
विचारों की एक डोर है।
यही उधेडबुन करते-करते,
जीवन रिक्त रह जाता है।
जिंदगी ऐ जिंदगी,
तेरा गजब तमाशा है।

व्यर्थ जब सब लगता है,
उस पार मनुष्य जब तकता है।
सुख दुःख सब एक समान,
जब उसको लगने लगता है।
ऐसे तटस्थ भाव में,
मन अविभूत हो जाता है।
जिंदगी ऐ जिंदगी,
तेरा गजब तमाशा है।

सुयोग पुराणिक
केंद्रीय कार्यालय, मुंबई

शेयर बाजार: मिथक और तथ्य

इस समय शेयर बाजार सार्वकालिक ऊंचाई पर है. जिन लोगों ने म्युचुअल फंड और शेयरों में निवेश किए थे, वे बहुत अच्छा लाभ भी अर्जित कर रहे हैं. ऐसे माहौल में, जिन्होंने पहले कभी निवेश नहीं किया वे भी निवेश करने लगे हैं. हालांकि निवेश की शुरुआत करने वालों को कुछ सावधानियां रखनी चाहिए.

सोशल मीडिया पर निवेश संबंधी जानकारी की बाढ़ है. फटाफट फ़ायदे की गारंटी के साथ बड़े-बड़े दावे तैर रहे हैं. लेकिन क्या किसी वीडियो या पोस्ट पर भरोसा करके अपना पैसा लगा देना बुद्धिमानी है?

निवेश के लिए अनुभव, विश्लेषण क्षमता और धैर्य की दरकार होती है और ज़ाहिर है, ये चुटकियों में नहीं मिल जाते.

आमतौर पर देखा गया है कि लोग म्यूचुअल फंड या शेयर में निवेश के बारे में जानने के लिए सोशल मीडिया का रुख करते हैं जहां जानकारी की भरमार है. सोशल मीडिया पर दी जा रही जानकारी अक्सर आधी-अधूरी होती है, टुकड़ों में होती है और अधिकांशत: भ्रामक भी होती है. नए निवेशक जानकारी और सलाह में अंतर नहीं कर पाते. सेबी कई कथित विशेषज्ञों पर कार्रवाई भी कर चुका है, किंतु अभी भी ऐसे भ्रामक यूट्यूब चैनल, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट चल रहे हैं. इसलिए, निवेशकों को सतर्क रहना चाहिए.

'लिटिल बुक दैट बीट द मार्केट' के लेखक जौल ग्रीनब्लाट बड़े निवेशक और एक सफल फंड मैनेजर भी रहे हैं. उनका यह अनुभव नए निवेशकों के लिए काफ़ी काम का हो सकता है. बहुत से लोग उनसे मुफ़्त सलाह मांगते रहते थे तो उन्होंने एक प्रयोग किया.

उन्होंने बिना पैसे की सलाह चाहने वालों का एक समूह बनाया और उनको भी वही सब शेयर बताए जो वे अपने फीस देने वाले क्लाइंट्स को बताते थे. बस, मुफ़्त वालों से कह दिया कि शेयर मैं बताऊंगा, प्रबंधन आपको करना है. कब लेना है, कब बेचना है, कितना लेना है, कितना बेचना है, ये सब आपको देखना है. और उन सबको अपनी किताब भी दे दी, जिसमें खरीदने-बेचने के सारे नियम लिखे थे.

दो साल तक उन्होंने मुफ़्त वाले समूह को भी सभी अच्छे शेयरों के बारे में बताया. इसके बाद नतीजा देखा तो मुफ़्त वाले 70 प्रतिशत लोग घाटे में थे. क्यों?

दरअसल, कुछ ने बाज़ार की छोटी-मोटी गिरावट में ही घबराकर अच्छे शेयर बेच दिए थे. कुछ जो ऊपर जा रहे थे उन्हीं शेयरों में लगाने में लगे थे तो कुछ जो नीचे जा रहे थे उन्हीं में एवरेज करने में लगे थे. कुछ ने मार्केट को 'टाइम' करने की कोशिश की और बहुत कम पैसा लगा पाए तो कुछ बाजार में सबकुछ सही होने का इंतजार करते रहे और एकदम ऊपर ही पैसा लगाया और कुछ लीवरेज पर शेयर ले रहे थे और मार्जिन शॉर्ट होने पर फिजूल ही घाटा कर रहे थे. कुछ लोग मामूली मुनाफे पर निकल रहे थे तो कुछ अपना घाटा बढ़ने दे रहे थे. कुल मिलाकर अनुशासन की कमी थी. बाजार में उतार-चढ़ाव देखकर भावनाओं पर नियंत्रण नहीं था और उसका नतीजा मिला : घाटा या कम मुनाफ़ा.

बेशक, किताबी ज्ञान का अपना महत्व होता है, लेकिन जो ज्ञान रणभूमि के अनुभव से मिलता है उसका कोई विकल्प नहीं. जब आप निवेश के मैदान में उतरते हैं, उतार-चढ़ाव देखते हैं तो अलग तरह से भावनाओं में उबाल आता है. यह नए निवेशकों का अनुशासन भंग करता है, जिसके कारण खरीदने- बेचने के ग़लत निर्णय हो जाते हैं.

यहां पर एक मेंटर यानी संरक्षक और मार्गदर्शक की ज़रूरत होती है. कनाडा में हुई एक स्टडी बताती है कि जिन लोगों ने विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में निवेश किया, उन्होंने 6 साल की अवधि में 58%, 7-14 साल की अवधि में 99%, 15+ वर्ष की अवधि में 173% अधिक रिटर्न उन लोगों की अपेक्षा बनाया जिन्होंने स्वयं निवेश किया.

इंटरनेट के युग में फ्री का ज्ञान हर जगह मिल रहा है. बिजनेस चैनल पर मुफ़्त में टिप्स मिलेंगी जिनमें से कई अच्छी भी होती हैं. आपका ब्रोकर रिसर्च रिपोर्ट मुफ़्त में देता है. यूट्यूब पर तो क्रांति हो रही है. पर फिर भी लोग इस सबका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं. ऐसा भी नहीं है कि इंटरनेट पर सब जानकारी गलत है, बहुत कुछ सही भी है किंतु निवेशकों को ये समझने की ज़रूरत है कि बाजार में, दुनिया में, अर्थव्यवस्था में, परिस्थिति बदलती रहती है और उसी के अनुसार निवेश की रणनीति भी बदलती रहती है. कोई भी कंपनी हमेशा ही अच्छा प्रदर्शन करे ये ज़रूरी नहीं है. विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको किसमें निवेश करना चाहिए ये तो बताया जाता है, पर कब उससे निकलना है ये नहीं बताया जाता है और इसी कारण नए निवेशक अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में फंसे रह जाते हैं.

बहरहाल, लाभकारी निवेश के लिए आवश्यक है कि या तो आप स्वयं निवेश की बारीकियां सीखें या फिर किसी विशेषज्ञ की सलाह लें. स्वयं सीखने के लिए इंटरनेट से बेहतर संसाधन हैं किताबें और अच्छे कोर्स, क्योंकि यहां आपको समग्रतापूर्ण और व्यवस्थित जानकारी मिलती है. एक सकारात्मक पक्ष यह भी है कि किताबें ख़रीदने और कोर्स से जुड़ने में आपका छोटा- सा ख़र्च भी होता है तो मुफ़्त के स्रोत की तुलना में आप ज़्यादा गंभीरता से सीखते और समय देते हैं.

यदि आप नए निवेशक हैं, तो निवेश क्षेत्र में उतरने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए.

➢ **निवेश अवधि के अनुसार फंड चुनें:** कई प्रकार के म्यूचुअल फंड होते हैं. आपको लार्जकैप, मिडकैप, स्मॉलकैप, हाइब्रिड, बैलेस आदि में से किसमें निवेश करना चाहिए, यह निर्भर करता है कि आप कितने समय के लिए निवेश करना चाहते हैं. सिर्फ रिटर्न देखकर फंड न चुनें, अपनी समय अवधि के अनुसार चुनाव करें.

➢ **केवल पिछले रिटर्न न देखें :** म्यूचुअल फंड का भी एक चक्र होता है, कुछ साल लार्जकैप फंड अच्छा करते हैं, कुछ साल मिडकैप तो कुछ साल स्मॉलकैप. सभी श्रेणी के म्यूचुअल फंड एक साथ अच्छा रिटर्न नहीं देते, इसलिए सिर्फ़ पिछले रिटर्न को देखते हुए ही फंड का चुनाव न करें. अक्सर लोग पिछले रिटर्न देखते हुए चक्र के शिखर पर चल रहे फंड को ले लेते हैं और फिर उन्हें कई साल ख़राब परफॉर्मेंस का सामना करना पड़ता है.

➢ **ट्रेडिंग की मानसिकता से निवेश न करें:** निवेश लंबे समय के लिए किया जाता है, किंतु अधिकतर नए लोग बाजार की छोटी-मोटी गिरावट में घबराकर जल्दी बेच देते हैं. कई लोग एक फंड से दूसरे में रिटर्न के पीछे भागते हुए अंदर-बाहर भी होते रहते हैं. इन सब में टैक्स और ट्रांजैक्शन बढ़ जाते हैं जिससे रिटर्न कम होता है. इसलिए ट्रेडिंग और इनवेस्टमेंट को अलग रखना चाहिए.

➢ **बेस्ट फंड के पीछे न भागें:** पिछले एक-दो साल में सबसे अच्छा रिटर्न देने वाला फंड आगे भी अच्छा रिटर्न दे यह अनिवार्य नहीं है. आपको पिछले कई साल का परफॉर्मेंस देखते हुए फंड चुनना चाहिए. सालों साल अपने बेंचमार्क से थोड़ा ऊपर चलने वाला फंड, उस फंड से अच्छा होता है जो सिर्फ़ हाल के सालों में बेंचमार्क से बहुत ऊपर जाता है.

➢ **योजना बनाकर निवेश करें:** निवेश का प्लान सबके लिए एक जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि सबके आर्थिक लक्ष्य, समय अवधि, निवेश के लिए उपलब्ध राशि, जोखिम लेने की क्षमता अलग होती है. अत: निवेश की योजना भी आवश्यकतानुसार होनी चाहिए. आप अपना दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित करें और उनके अनुरूप निवेश के लिए फंड या शेयर का चुनाव करें.

➢ **गिरावट के लिए तैयार रहें:** बाज़ार से लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न हमेशा मिलता रहा है, पर आर्थिक राजनीतिक संकट, युद्ध, महामारी जैसी घटनाओं के समय बाजार में बड़ी गिरावट भी होती है. ऐसे समय में आपके रिटर्न कुछ समय के लिए नेगेटिव भी हो सकते हैं. इसके लिए मानसिक रूप से पहले से ही तैयार रहे और उस समय बेचने की ग़लती बिलकुल न करें. सब्र के साथ बा. जार के उतार-चढ़ाव का सामना करें ताकि आप अच्छा रिटर्न बना सकें.

➢ **सही व्यक्ति से सलाह लें:** यदि आपको निवेश की समुचित जानकारी नहीं है तो इस क्षेत्र के विशेषज्ञ से जानकारी लें, न कि मित्रों या सोशल मीडिया के अनजान लोगों से. अच्छी सलाह आपको उस व्यक्ति से मिलती है, जिसके हित आपसे जुड़े हुए हों और वो उस क्षेत्र का पेशेवर अनुभवी या विशेषज्ञ हो. दरअसल, इस क्षेत्र में विशेषज्ञ फीस के रूप में आमतौर पर निवेशक के लाभ का एक मामूली-सा हिस्सा लेते हैं. यानी क्लाइंट को जितना लाभ होगा, उनकी फीस उतनी अधिक होती जाएगी. ऐसे व्यक्ति की सलाह आपके रिटर्न बहुत बढ़ा सकती है और आपको कई गलतियों से भी बचाती है.

नए निवेशक इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए लगातार सीखने की मानसिकता विकसित करेंगे तो उनकी निवेश यात्रा सुखमय होगी. ★

स्मिता रामचन्द्रा
क्षे. का., बेंगलूरु (उत्तर)

दिनांक 19.01.2024 को क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (दक्षिण), बेंगलूरु द्वारा एचएएल, बेंगलूरु में आयोजित क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन में 'यूनियन बैंक ऑफ इंडिया' के स्टाल का फीता काटकर उद्घाटन करते हुए केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री श्री अजय कुमार मिश्रा. साथ हैं श्रीमती अंशुली आर्या, आईएएस, सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, श्री सत्यनारायण राजू, अध्यक्ष, नराकास एवं एमडी व सीईओ, केनरा बैंक तथा डॉ. एच.टी. वासप्पा, केंद्र प्रभारी, यूनियन बैंक ज्ञान केंद्र, बेंगलूरु.

गणतंत्र दिवस में नारी शक्ति

समूचे राष्ट्र ने इस वर्ष 26 जनवरी, 2024 को 75वें गणतंत्र दिवस का उत्सव मनाया. गणतंत्र दिवस हमारे लिए कई मायनों में खास है. 26 जनवरी 1950 को पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन में बने संविधान को लागू किया गया था और भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया गया.

इस साल के गणतंत्र दिवस की थीम 'विकसित भारत' और 'भारत – लोकतंत्र की मातृका' रहा. 75 वें भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह 2024 की प्रमुख विशेषता महिला-केंद्रित गणतंत्र दिवस परेड रही और महिला मार्चिंग टुकड़ियाँ परेड का प्रमुख हिस्सा थीं. परेड में कुल 25 झांकियां शामिल थीं जिसमें से 16 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के नौ मंत्रालयों की झांकियां भी कर्तव्य पथ पर चलीं. 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों में उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, मणिपुर, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, लद्दाख, तमिलनाडु, गुजरात, मेघालय, झारखंड और तेलंगाना राज्य शामिल रहे.

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों इस साल के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे. परेड में फ्रांस की 95 सदस्यीय मार्चिंग टीम और 33 सदस्यीय बैंड दल ने भी शिरकत की. इस बार परेड की अगुवाई पारंपरिक रूप से रक्षा मंत्रालय के स्थान पर शंख, नगाड़े, डमरू जैसे प्राचीन वाद्य यंत्रों से लैस सौ महिलाओं के दस्ते ने की. सांस्कृतिक कार्यक्रम में पहली बार 1,500 महिला लोक नृत्य कलाकारों ने अपने नृत्य से लोगों को आकर्षित कर मंत्र मुग्ध कर दिया. बीएसएफ, सीआइएसएफ और अन्य अर्धसैनिक बलों की महिला जवानों ने हैरतअंगेज करतब दिखाए.

परेड में महिलाओं का अब तक का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व देखने को मिला.

* गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार तीनों सेनाओं की एक महिला टुकड़ी का भी मार्च रहा.

* परेड में कैप्टन शरण्या राव ने थल सेना की टुकड़ी का और स्क्वाड्रन लीडर रश्मि ठाकुर ने भारतीय वायुसेना की मार्चिंग टुकड़ी का नेतृत्व किया. उनके साथ स्क्वाड्रन लीडर सुमिता यादव और स्क्वाड्रन लीडर प्रतीति अहलुवालिया और फ्लाइट लेफ्टिनेंट कीर्ति रोहिल भी रहीं. फ्लाइट लेफ्टिनेंट सृष्टि वर्मा ने त्रि-सेवा दल के सुपर न्यूमैरेरी अफसर के तौर पर मार्चिंग की.

* इस बार इसरो की महिला वैज्ञानिकों को भी निमंत्रण मिला था.

* केंद्रीय सशस्त्र बलों की टुकड़ियों में भी महिलाकर्मी शामिल रहीं.

* इस बार के परेड में महिला फाइटर पायलटों को भी शामिल किया गया.

* इस परेड में 48 महिला अग्निवीरों ने भी हिस्सा लिया.

* पहली बार दिल्ली पुलिस की महिला जवान सेना की महिला अधिकारियों और चिकित्सकीय सेवा से जुड़ी महिला कर्मियों का दस्ता परेड करता नजर आया. इस दृश्य से शक्ति और शौर्य का अद्भुत प्रदर्शन देखने को मिला.

* परेड में पहली बार मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का दस्ता शामिल हुआ.

* लद्दाख की झांकी पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल हुई और आइस हॉकी खिलाड़ियों को इसमें जगह दी गई है. वहीं महिला कलाकार यहां के पारंपरिक नृत्य की प्रस्तुति देते हुए दिखाई गई. झांकी में कई महिलाएं पेराक पहने दिखाई दे रही हैं जो लद्दाख में परंपरागत रूप से महिलाओं के लिए एक शाही टोपी मानी जाती है.

* अक्सर सभी कलाकार और समूह सलामी मंच के सामने अपनी प्रस्तुति देते हैं लेकिन इस बार एक और नई पहल की गई जिसमें केवल एक समूह ने ही सलामी मंच के सामने अपनी प्रस्तुति दी और बाकी अन्य 11 समूहों ने अलग-अलग प्रस्तुति दी जिससे सभी दर्शक इसका आनंद ले पाए.

* इस साल परेड में शामिल होने के लिए लगभग 13 हजार विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया. जिन्होंने सरकार की करीब 30 अहम योजनाओं का लाभ उठाया है. इसके अलावा पेटेंट हासिल करने वाले विशेषज्ञों, स्वतंत्रता सेनानियों, किसानों और आदिवासी समुदाय के लोगों को भी निमंत्रण मिला था.

विशेष झांकियां - इस गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर निकलने वाली परेड काफी हद तक महिला केंद्रित रही. इसी को ध्यान में रखते हुए तमाम राज्यों ने भी अपनी झाकियों को महिला आधारित थीम पर तैयार किया. कई राज्यों की झांकियों के केंद्र में भी महिलाएं ही रहीं, इनमें से प्रमुख हैं:-

मणिपुर की झांकी में इंफाल का **इमा कैथल** बाजार सम्मिलित था. इंफाल का इमा कैथल एशिया का सबसे बड़ा महिला द्वारा संचालित बाजार है, जो कि 500 साल से भी पुराना बाजार है और यह सुबह लगभग 5 बजे से खुलता है और शाम को 6 बजे तक चलता है. झांकी में महिलाओं को कमल के तने के नाजुक रेशों से पारंपरिक चरखे का इस्तेमाल करके धागा बनाते हुए दिखाया गया. झांकी में एक महिला को यहां की प्रसिद्ध लोकटक झील से कमल की डंठले इकट्ठा करते हुए दिखाया गया. महिलाओं ने लाल और सफेद रंग में पारंपरिक पोशाक फ़नैक पहनी थी. पारंपरिक मणिपुरी पोशाक में इन्नाफी नामक एक शॉल, एक फ़नैक और एक लपेटने वाला घाघरा शामिल था जिसे सारंग कहा जाता है. मणिपुर देश में महिला सशक्तिकरण का अनुकरणीय माडल पेश करता है, विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करता है.

मध्यप्रदेश राज्य की झांकी आत्म निर्भर नारी विकास के मूल मंत्र पर केंद्रित थी. महिलाओं ने मध्यप्रदेश की पारंपरिक पोशाक रंगीन लहंगा और चोली धारण की थी. झांकी का केंद्र रही:-

लहरी बाई - जिन्होंने 10 साल तक गांव-गांव घूमकर अपना बीज बैंक बनाया है. वह जहां भी जाती थी, वहां मोटे अनाजों के बीज खोजती थी और इन्हें अपने घर में जमा कर लेती थी. इस तरह उन्होंने मोटे अनाजों के करीब 60 स्थानीय किस्मों के दुर्लभ बीज जमा किए. अपने घर के आस-पास के लगभग 25 गांवों के किसानों को ये बीज बांटती हैं ताकि आने वाली पीढ़ियां इनका स्वाद ले सकें.

दुर्गा बाई व्याम - आप जब छह वर्ष की थीं तभी से उन्होंने अपनी माता के बगल में बैठकर डिगना की कला सीखी जो शादी-विवाहों और उत्सवों के मौकों पर घरों की दीवारों और फर्शों पर चित्रित किए जाने वाली परंपरागत चित्रकला है. यह भारतीय आदिवासी महिला कलाकार है, जो भोपाल में जनजातीय कला की गोंड शैली में काम करती है.

अवनि चतुर्वेदी भारत की पहली महिला लड़ाकू पायलटों में से एक है. जिन्हें भावना कंठ के साथ पहली बार लड़ाकू पायलट घोषित किया गया था. इनके तीनों साथियों को जून 2016 में भारतीय वायु सेना के लड़ाकू स्क्वाड्रन में शामिल किया गया.

इस झांकी में चंदेरी के रेशम सहित महिलाओं की आधुनिक सेवा क्षेत्र से लेकर लघु उद्योग और पारंपरिक क्षेत्रों तक में सक्रिय भागीदारी दिखाई गई.

हरियाणा की झांकी में राज्य सरकार की योजना '**मेरा परिवार मेरी पहचान**' को प्रदर्शित किया गया. झांकी में हरियाणवी महिलाओं को डिजिटल उपकरण के साथ दिखाया गया. इससे यह दर्शाने की कोशिश की गई है कि कैसे डिजिटल इंडिया पहल ने महिलाओं को सिर्फ एक क्लिक के जरिए सरकार की योजनाओं तक पहुंच बनाई है.

राजस्थान की झांकी में वहां की संस्कृति के साथ-साथ महिला हस्तशिल्प उद्योगों के विकास का प्रदर्शन किया गया. झांकी में महिलाओं द्वारा राजस्थान के प्रसिद्ध घूमर नृत्य की झलकी दिखाई दी.

ओडिशा की झांकी महिला सशक्तिकरण पर आधारित रही. देश में ओडिशा के समृद्ध हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी दिखाई गई. ओडिसा राज्य द्वारा पारंपरिक शिल्प-कला को संरक्षित कर विश्व स्तर पर अपनी मान्यता प्राप्त की है. महिलाओं द्वारा तकनीकी और आधुनिक उपकरणों जैसे लैपटॉप का कार्य और यूपीआई के माध्यम से भुगतान प्रदर्शित किया गया.

छत्तीसगढ़ की झांकी में बस्तर में बसने वाली आदिवासी समुदायों में महिला प्रधानता को प्रदर्शित किया गया. जिससे लोकतांत्रिक आम सहमति एवं लोकतांत्रिक मूल्यों का स्पष्ट प्रदर्शन किया गया. स्वतंत्रता के 76 वर्षों के पश्चात भी यहाँ आदिवासी समाज 'गोंध, मुरिया, धुरुवा, भट्रा, हल्बा' आदि अपना अस्तित्व बनाएं है.

भव्य एवं अनोखा प्रदर्शन :- अनंत सूत्र का प्रदर्शन वास्तव में साड़ी परिधान के लिए एक विशेष सम्मान था. संस्कृति मंत्रालय ने इस वर्ष कर्तव्य पथ पर 'अनंत सूत्र - द एंडलेस थ्रेड' का प्रदर्शन किया. इसे परेड स्थल में बैठे दर्शकों के पीछे प्रदर्शित किया गया. इसमें देश के हर कोने से आने वाली लगभग 1,900 साड़ी परिधानों और पर्दों को प्रदर्शित किया गया, जो कर्तव्य पथ पर लकड़ी के फ्रेम के साथ ऊंचाई पर लगाए गए. उत्पादों में इस्तेमाल की जाने वाली बुनाई और कढ़ाई कला के बारे में जानकारी हेतु क्यूआर कोड को भी फ्रेम में दर्शाया गया, जिन्हें स्कैन करके लोगों ने डिजिटल रूप से जानकारी प्राप्त की. ★

रूमा
क्षे. का., नई दिल्ली

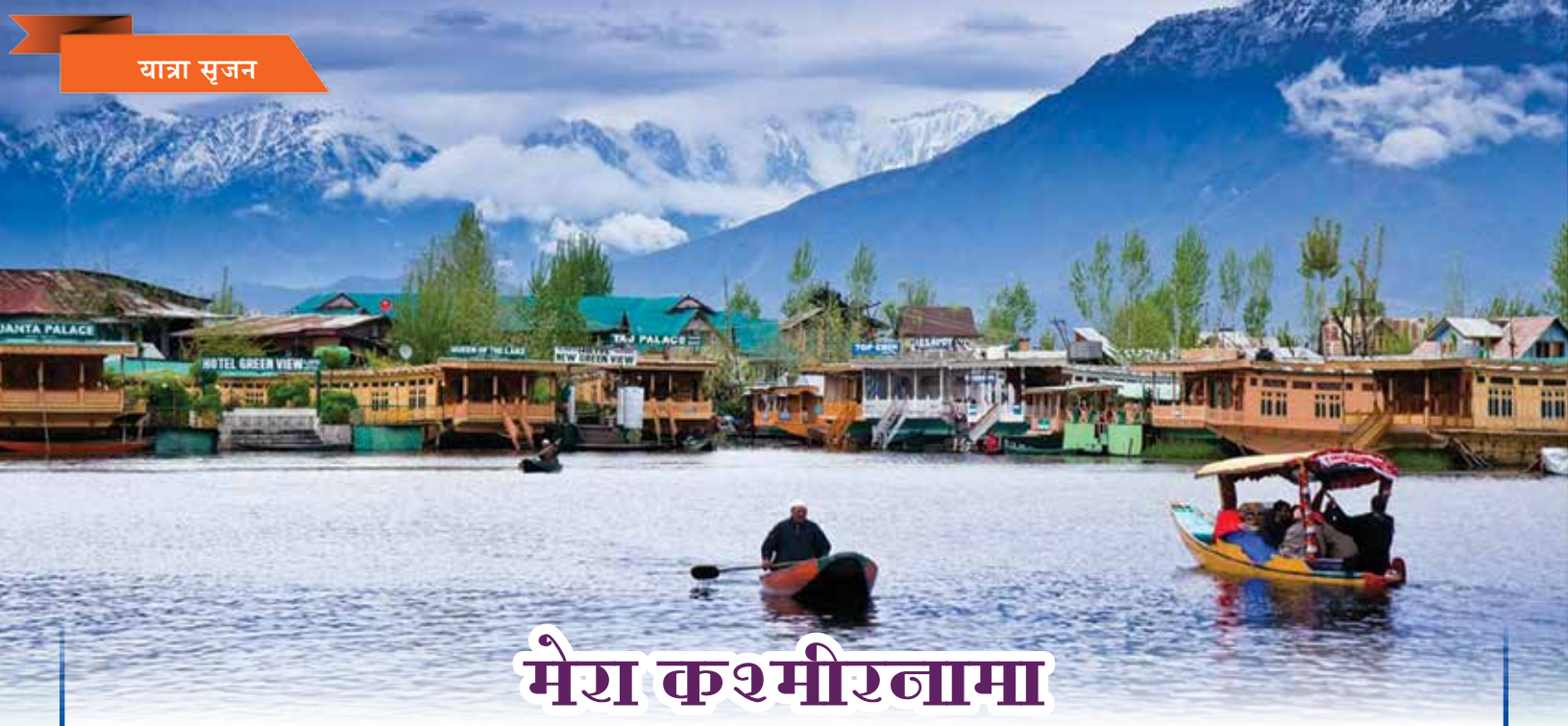

मेरा कश्मीरनामा

पहली नजर का प्यार कैसा होता है यह कश्मीर जाकर समझ आया! घुमक्कड़ी में कुछ चीजें ऐसी होती है जिनसे आपको बहुत लगाव होता है. आप उन पलों को बार-बार याद करते हैं और सोचते हैं कि काश! मैं वह समय वापस ला सकता. इस समय मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है. मेरे मन में भी रह-रहकर बस उस एक यात्रा के ख्याल तैर रहे हैं जब मैंने कश्मीर को देखा था. पुरे परिवार के साथ जनवरी 2023 में की हुई कश्मीर यात्रा हमेशा के लिए यादगार हो गई है. कश्मीर अपने आप में इतना खूबसूरत है कि इसके सौंदर्य को शब्दों में बांध पाना नामुमकिन है. मेरे हिसाब से हर घुमक्कड़ को एक बार कश्मीर जरूर घूमने जाना चाहिए. यह जगह जितनी मोहक है उतनी ही शांत भी है. कश्मीरियों की मेहमाननवाजी से आपका हर पल खास हो जाता है. अगर किस्मत अच्छी रहे तो किसी लोकल के घर खाना खाने जाइएगा. असल कश्मीर कैसा है आपको तब पता चलेगा. कश्मीरियत को जानने और समझने के लिए आप साल के किसी भी समय जा सकते हैं. ठंड में यह जगह थोड़ी कठोर जरूर हो जाती है लेकिन उस समय कश्मीर घाटी में बेपनाह खूबसूरती घर किए रहती है. कश्मीर से यह मेरी पहली मुलाकात थी और इस वजह से यह यात्रा मेरे लिए और भी खास हो गई थी.

लो सफर शुरू हो गया: पूरे परिवार के साथ कहीं घूमने जाने का विचार बना रहे थे. इसका कुछ अलग ही मजा होता है. कुछ खट्टी-मीठी यादें बन जाती हैं. क्योंकि मेरे पूरे परिवार में ज्यादा लोग थे इसलिए हमें परेशानी थोड़ी कम हुई. हम कुल 10 लोग ही थे. इसलिए ट्रिप की प्लानिंग भी हम सब ने मिलकर ही की. प्लान के मुताबिक हम सबने तय किया दिल्ली से श्रीनगर के लिए अपनी निजी ए. सी. बस से जाएंगे.

हमारी बस रात की थी. क्योंकि बस की जिम्मेदारी मेरी थी इसलिए मैंने यात्रा का प्रारंभ रात में ही करने का बंदोबस्त कर दिया. बस में चढ़ने के बाद हम सभी की खुशी का ठिकाना नहीं था. वो जगह जिसको आजतक मैंने सिर्फ यूट्यूब वीडियो और फोटोज में देखा था अब आखिर मैं भी उसको अपनी आँखों से देखने वाला था. बस ने अपनी रफ़्तार पकड़ ली और मैंने खिड़की के पास वाली सीट. हम सबसे पहले वैष्णो माता के दर्शन के लिए गए कटरा.

वैष्णो देवी मंदिर: त्रिकूटा पहाड़ियों में, कटरा से 15 किमी की दूरी पर समुद्र तल से 1560 मीटर की ऊंचाई पर माता वैष्णो देवी की पवित्र गुफा और मंदिर स्थित है. वैष्णो देवी मंदिर कश्मीर के साथ-साथ पूरे भारत का लोकप्रिय तीर्थ स्थल है, जहां हर साल हजारों लाखों तीर्थ यात्री वैष्णो मां के दर्शन करने के लिए जाते हैं. वैष्णो देवी एक धार्मिक तीर्थ स्थल है, जहां तीर्थयात्री 13 किमी की पैदल चढ़ाई करते हैं. हम भी गए बहुत मजा आया वहां से वापस आने पर एक ढाबे पर रुके और खाना ऑर्डर किया. वहां का खाना इतना ज्यादा लाजवाब था कि याद करके मेरे मुंह में पानी आ जाता है. वैष्णो देवी मंदिर की ख़ूबसूरती शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल है पर हाँ इतना ज़रूर कहूँगा कि यहाँ का नजारा देख कर मन शांत और ख़ूबसूरती से भर जाता है.

श्रीनगर: कुछ घंटों के बाद हम श्रीनगर पहुँच चुके थे. हमने सामान उठाया और जल्दी से बस से बाहर निकल आए. मैं मन भर कश्मीर को देख लेना चाहता था. पहली नजर में प्यार हो जाना किसे कहते हैं ये कश्मीर को देखकर समझ आया. खैर हमें होटल जाना था. इस ट्रिप के लिए पूरी जानकारी जुटाने के चक्कर में हम लगभग कश्मीर के आधे लोगों से बात कर चुके थे. आमिर नाम का लड़का मुझे कश्मीर में मिला वो मेरा अच्छा दोस्त बन गया था. आमिर अपने बड़े भाई के साथ वहीं रहता है. डल झील पर उनकी अपनी हाउस बोट भी है जहाँ हमें रुकना था. हमारी पूरी ट्रिप पर आमिर हमारे साथ ही रहने वाला था.

बस स्टैंड से झील तक का रास्ता बेहद खूबसूरत था. ऐसा लग रहा था मानो पूरा श्रीनगर हमारे स्वागत के लिए तैयार खड़ा है. साफ-सुथरी और बिना भीड़ वाली सड़कें, शांत नजारे, खुशनुमा मौसम. आमिर ने गाड़ी में कोई कश्मीरी गाना भी चला रखा था जिसकी वजह से पूरा माहौल और भी

खूबसूरत हो गया था. हम हाउस बोट पहुँचे जहाँ आमिर के भाई उजैर ने हमारे स्वागत के लिए सारी तैयारी कर ली थी. हम किसी तरह की जल्दबाजी नहीं करना चाहते थे. कश्मीर को मन भर महसूस कर लेने की चाहत केवल मेरे ही नहीं बल्कि मेरे पुरे परिवार जनों के मन में भी थी. हाउस बोट में रहने का अनुभव किसी सुंदर सपने को जीने जैसा था. पानी पर तैरता लकड़ी से बना एक शानदार घर जिसको बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी. उस छोटी-सी नाव में इतना सुकून था कि मानो हर एक कोने को प्यार से सींचा गया है. कहीं दूर से अजान की आवाज आ रही थी जो पूरी झील में गूंज रही थी. नक्काशीदार लकड़ी और कार्पेट से सजी बोट बेहद सुंदर लग रही थी. यकीन मानिए इस बोट हाउस के सामने आपको कोई पांच सितारा होटल भी कुछ नहीं लगेगा.

दिन के लिए हमारा कुछ खास प्लान नहीं था. हमने सोचा था दिनभर बोट पर बैठकर डल के नजारे देखेंगे और शाम को आसपास इलाकों में टहलने निकलेंगे. दोपहर हो चुकी थी और अब भूख लगनी भी शुरू हो गई थी. आमिर का झील के पास एक रेस्त्रां भी है. रेस्त्रां में हमने पारंपरिक कश्मीरी जायकों का आनंद लिया. सभी चीजें इतनी स्वादिष्ट थीं कि खाने वाले का पेट भर जाएगा लेकिन मन नहीं भरेगा. श्रीनगर की हवा ने मेरे ऊपर जादू करना शुरू कर दिया था. सभी का साथ और बेहतरीन नजारे. हमने एक दुकान से फिरन खरीदे और डल की खूबसूरती को निहारने बैठ गए. डल झील से ढलता सूरज मुझे शायद इतना खूबसूरत कभी नहीं लगा था. पहाड़ों को चूमकर आती हुई हवा के बीच देखा वो सनसेट मेरी जिंदगी के सबसे शानदार लम्हों में से है.

अगली सुबह की शुरुआत डल पर शिकारे की सवारी से हुई. क्योंकि हम चार चिनार से सनराइज देखना चाहते थे इसलिए हम जल्दी निकल पड़े. अजान की आवाज मां की लोरी जैसी लग रही थी और डल का शांत पानी किसी बच्चे की मासूमियत. अगर आपको चार चिनार के बारे में नहीं पता है तो बता दें ये झील में बना टापू है जिसके चारों कोनों पर चिनार के पेड़ हैं. जिसकी वजह से इस जगह को चार चिनार कहा जाता है. कहते हैं डल का सबसे खूबसूरत स्पॉट चार चिनार ही है. बढ़िया शिकारा राइड के बाद आज हमें युसमर्ग के लिए निकलना था. अच्छी बात ये थी कि आमिर भी हमारे साथ आने वाला था.

श्रीनगर से युसमर्ग: अगली सुबह हम युसमर्ग के लिए निकल गए. श्रीनगर से युसमर्ग का रास्ता बेहद खूबसूरत था. सड़क के दोनों तरफ बर्फ थी. ऐसा लग रहा था कि किसी ने हमारे स्वागत के लिए फूलों की जगह बर्फ बिछा दी है. दोनों तरफ पेड़ों से सजी संकरी सड़क पर चलना बेहद खूबसूरत लग रहा था. अच्छी बात यह थी कि गुलमर्ग की तुलना में युसमर्ग बहुत कम लोग आते हैं इसलिए हमें भीड़ नहीं मिलने वाली थी. हम खुश थे आमिर ने हमारे लिए उत्सव जैसी तैयारी कर रखी थी.

रास्ता तो खूबसूरत था लेकिन युसमर्ग उससे कहीं ज्यादा सुंदर था. चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी जो हमारे जूतों की खूब परीक्षा ले रही थी. मुझे याद है युसमर्ग में ज्यादातर घर हरे रंग के थे. युसमर्ग जैसा भी था बेहद खूबसूरत था. युसमर्ग में हमारे पास करने के लिए दो चीजें थीं. या तो हम दूधगंगा नदी देखने जा सकते थे या निलनाग तक ट्रेक कर सकते थे. दूधगंगा का नजारा बहुत सुंदर था. ठंड की वजह से नदी का पानी लगभग जम गया था लेकिन बीच-बीच में कहीं से हमें कलकल बहते पानी की आवाज भी सुनाई दे रही थी. नदी के दोनों तरफ बड़े-बड़े पत्थर थे जिन पर बर्फ ने कब्जा कर लिया था.

श्रीनगर से अरु घाटी और अहरबाल झरना: अब हमें अरु घाटी की तरफ जाना था. अरु घाटी जाने का हमारा मुख्य कारण था कि हमें अहरबाल झरना देखना था. श्रीनगर से अहरबाल जाने के लिए हमें पहलगाम से होकर निकलना था. हम खुश इसलिए थे क्योंकि चाहे चलती गाड़ी से ही सही हमें पहलगाम में होने का थोड़ा एहसास मिलने वाला था. पहलगाम से अहरबल जाने वाले रास्ते पर एक अजीब सी शांति थी. ऐसा सचमुच था या सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा था ये नहीं पता. मैंने गाड़ी की आगे वाली सीट पकड़ रखी थी इसलिए मैं अपने ख्यालों में डूबा हुआ था. रास्ते के दोनों तरफ बर्फ से ढके लंबे पेड़ थे. लेकिन पेड़ों पर पत्तियाँ नदारद थीं. शायद कश्मीर की ठंड ने इन्सानों के साथ-साथ प्रकृति पर भी काबू पा लिया था.

पहलगाम की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी. हम जिन हिस्सों से निकल रहे थे वहाँ कुछ स्कूल भी थे और इस इलाके में बच्चों की खनक साफ सुनाई दे रही थी. सच कहते है बच्चों के होने से हर मायूस पड़ी चीज जी उठती है. पहलगाम में भी ऐसा ही था. बर्फ से ढके लैंडस्केप के बीच बहता अहरबाल झरना बहुत सुंदर लग रहा था. ये झरना झेलम नदी पर बना हुआ है. पीर पंजाल के पहाड़ों की घने देवदार पेड़ों से भरी घाटी में 25 मीटर की ऊँचाई से गिरता हुआ ये झरना देखने में बेहद खूबसूरत लग रहा था. ये झरना बहुत ऊँचा नहीं था लेकिन इसमें गिरते हुए पानी की मात्रा बहुत ज्यादा थी. जिसकी वजह से यह बेहद मोहक लग रहा था.

आ अब लौट चलें: इतना सब कुछ देखने और महसूस करने के बाद अब हमें वापस जाना था. इसलिए आमिर का साथ आखिर तक मिलने वाला था. आमिर की अम्मी ने हमारे लिए खाना भी पैक कर दिया था. हमने उजैर को बाय कहा और अपनी निजी बस से अपने पूरे परिवार को लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो गए. वो सड़कें जो कुछ दिन पहले तक खाली किताब जैसी थीं, आज हमारे कश्मीर के किस्सों से भर चुकीं थीं. किसी भी जगह को अलविदा कहना हमेशा मुश्किल होता है. लेकिन अगर आप उस जगह पर हों जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है तो जाना और भी दर्द भरा होता है. 'जाना' हिंदी की सबसे खौफनाक क्रिया होती है. इसका मतलब अब समझ आ रहा था. लेकिन आज जब कश्मीर में बिताए उन दिनों के बारे में सोचता हूँ तो अलग खुशी होती है. बकेट लिस्ट का एक प्वॉइंट पूरा होने की खुशी से भी ज्यादा वाली खुशी मुझे कश्मीर आकर मिली. ★

गणेश नारायण साहू
क्षे. का., नई दिल्ली

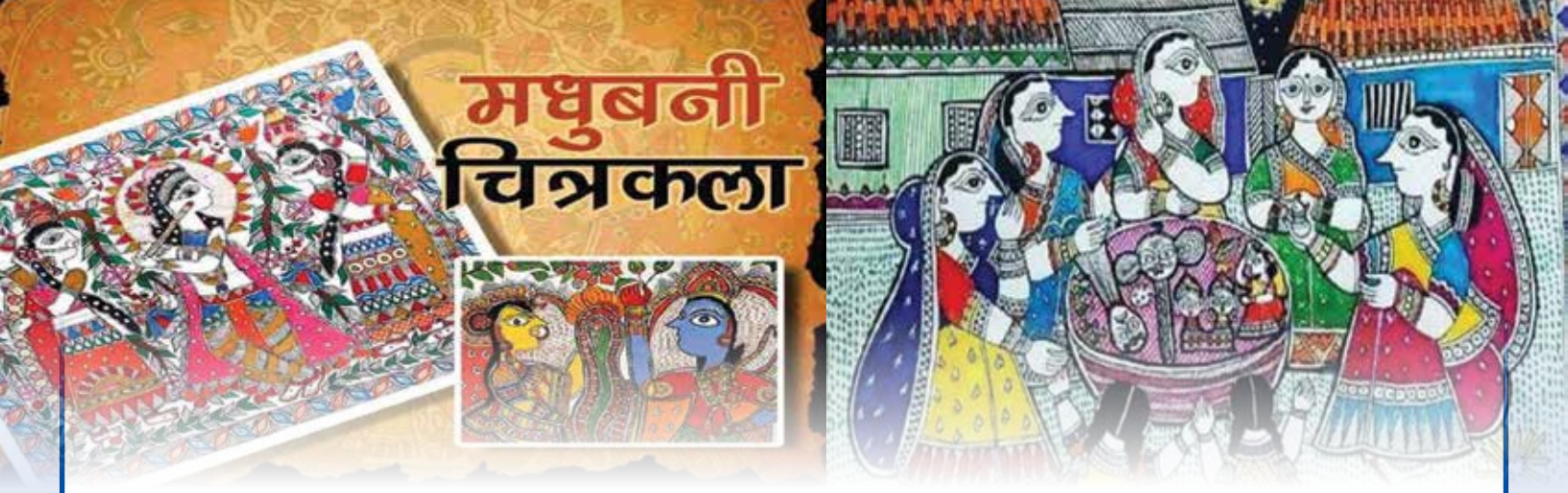

मधुबनी चित्रकला, जिसे मिथिला चित्रकला भी कहते हैं, बिहार के मिथिला क्षेत्र की एक प्रमुख कला परंपरा है. यह चित्रकला मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा बनाई जाती है और इसमें प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है. इस कला का आरंभ अति प्राचीन काल से माना जाता है. आज भी यह कला पूरी दुनिया में मशहूर है. मधुबनी चित्रकला ज्यादातर प्राचीन महाकाव्यों से प्राकृतिक दृश्यों और देवताओं के साथ पुरुषों और उसके सहयोग को दर्शाती हैं. सूर्य, चंद्रमा और तुलसी जैसे धार्मिक पौधों जैसे प्राकृतिक वस्तुओं को शाही अदालत के दृश्यों और शादियों जैसे सामाजिक कार्यक्रमों के साथ व्यापक रूप से चित्रित किया जाता है. मधुबनी चित्रकला प्राकृतिक रंगों से की जाती है. इनमें इस्तेमाल किए जाने वाले रंग आमतौर पर चावल के पाउडर, हल्दी, चंदन, पराग, वर्णक, पौधों, गाय का गोबर, मिट्टी और अन्य प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं जो चित्रकार खुद बनाता है. ये रंग अक्सर चमकदार होते हैं.

सैकड़ों वर्षों तक प्रदर्शित होने के बावजूद, मधुबनी पेंटिंग की खोज वर्ष 1934 में विलियम जी. आर्चर नामक एक ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारी द्वारा की गई थी. एक बड़े भूकंप से हुए नुकसान का निरीक्षण करते समय, उन्हें बिहार में घरों की आंतरिक दीवारों पर ये पेंटिंग्स दिखीं.

यह चित्रकला बिहार के दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, मुजफ्फरपुर, मधुबनी एवं नेपाल के कुछ क्षेत्रों की प्रमुख चित्रकला है. प्रारम्भ में रंगोली के रूप में रहने के बाद यह कला धीरे-धीरे आधुनिक रूप में कपड़ो, दीवारों एवं कागज पर उतर आई है. मिथिला की महिलाओं द्वारा शुरू की गई इस घरेलू चित्रकला को पुरुषों ने भी अपना लिया है.

वर्तमान में मिथिला पेंटिंग के कलाकारों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मधुबनी व मिथिला पेंटिंग के सम्मान को और बढ़ाये जाने को लेकर तकरीबन 10,000 वर्गफीट में मधुबनी रेलवे स्टेशन के दीवारों को मिथिला पेंटिंग की कलाकृतियों से सराबोर किया. उनकी ये पहल नि:शुल्क अर्थात् श्रमदान के रूप में किया गया. श्रमदान स्वरूप किये गए इस अदभुत कलाकृतियों को विदेशी पर्यटकों व सैनानियों द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है.

विशेषता : मधुबनी चित्रकला की विशेषता में एक प्रमुख बात यह है कि इसे लकड़ी के टुकड़ों पर बनाए जाते हैं. मुख्य रूप से प्रयोग किए जाने वाले रंगों में सामंजस्य, लाल, हरा, नीला, और काला होते हैं जो इस कला को विशेषता प्रदान करते हैं. माना जाता है ये चित्र राजा जनक ने राम-सीता के विवाह के दौरान महिला कलाकारों से बनवाए थे.

मिथिला क्षेत्र के कई गांवों की महिलाएँ इस कला में दक्ष हैं. अपने असली रूप में तो ये पेंटिंग गांवों की मिट्टी से लीपी गई झोपड़ियों में देखने को मिलती थी, लेकिन इसे अब कपड़े या फिर पेपर के कैनवास पर खूब बनाया जाता है. इस चित्र में खासतौर पर कुल देवता का भी चित्रण होता है. हिन्दू देवी-देवताओं की तस्वीर, प्राकृतिक नजारे जैसे- सूर्य व चंद्रमा, धार्मिक पेड़-पौधे जैसे- तुलसी और विवाह के दृश्य देखने को मिलेंगे. मधुबनी पेंटिंग दो तरह की होती हैं- भित्ति चित्र और अरिपन या अल्पना.

रंग भरने की विधियाँ : चटख रंगों का इस्तेमाल खूब किया जाता है. जैसे गहरा लाल रंग, हरा, नीला और काला. कुछ हल्के रंगों से भी चित्र में निखार लाया जाता है, जैसे- पीला, गुलाबी और नींबू रंग. यह जानकर हैरानी होगी की इन रंगों को घरेलू चीजों से ही बनाया जाता है, जैसे- हल्दी, केले के पत्ते, लाल रंग के लिए पीपल की छाल प्रयोग किया जाता है और दूध भित्ति चित्रों के अलावा अल्पना का भी बिहार में काफी चलन है. इसे बैठक या फिर दरवाजे के बाहर बनाया जाता है. पहले इसे इसलिए बनाया जाता था ताकि खेतों में फसल की पैदावार अच्छी हो लेकिन आजकल इसे घर के शुभ कामों में बनाया जाता है. चित्र बनाने के लिए माचिस की तीली व बाँस की कलम को प्रयोग में लाया जाता है. रंग की पकड़ बनाने के लिए बबूल के वृक्ष की गोंद को मिलाया जाता है. समय के साथ मधुबनी चित्र को बनाने के पीछे के मायने भी बदल चुके हैं, लेकिन यह कला अपने आप में इतना कुछ समेटे हुए हैं कि यह आज भी कला के कद्रदानों की चुनिन्दा पसंद में से है.

हस्त निर्मित : चित्रण से पूर्व हस्त निर्मित कागज को तैयार करने के लिए कागज पर गाय के गोबर का घोल बनाकर तथा इसमें बबूल का गोंद डाला जाता है. सूती कपड़े से गोबर के घोल को कागज पर लगाया जाता है और धूप में सुखाने के लिए रख दिया जाता है.

वर्तमान समय में चित्रकारों द्वारा मधुबनी चित्रकला दीवार, कैनवास एवं हस्त निर्मित कागज पर बनायी जाती हैं. मधुबनी चित्र कला में भित्ति चित्र का काफी महत्व है. यह कला चित्र भी मधुबनी चित्रकला शैली में बनाई जाती है.

मधुबनी भित्ति चित्र में मिट्टी (चिकनी) व गाय के गोबर के मिश्रण में बबूल की गोंद मिलाकर दीवारों पर लिपाई की जाती है. गाय के गोबर में एक खास तरह का रसायन पदार्थ होने के कारण दीवार पर विशेष चमक आ जाती है. इसे घर की तीन खास जगहों पर ही बनाने की परंपरा है, जैसे- पूजा स्थान, कोहबर कक्ष

(विवाहितों के कमरे में) और शादी या किसी खास उत्सव पर घर की बाहरी दीवारों पर.

मधुबनी पेंटिंग में जिन देवी-देवताओं का चित्रण किया जाता है, वे हैं- मां दुर्गा, काली, सीता-राम, राधा-कृष्ण, शिव-पार्वती, गौरी-गणेश और विष्णु के दस अवतार इत्यादि. इन तस्वीरों के अलावा कई प्राकृतिक और रम्य नजारों की भी पेंटिंग बनाई जाती है. पशु-पक्षी, वृक्ष, फूल-पत्ती आदि को स्वास्तिक की निशानी के साथ सजाया-संवारा जाता है.

आकर्षण एवं उपलब्धियां : 27 सितंबर 2019 को मधुबनी रेलवे स्टेशन पर एक भव्य कार्यक्रम के अंतर्गत मिथिला पेंटिंग को इसे विश्व कीर्तिमान में शामिल करने का निर्णय किया गया. मधुबनी के रेलवे स्टेशन पर बीते कुछ वर्षों में रेलवे क्राफ्ट वाला समूह एवं स्थानीय कलाकारों द्वारा लार्जेस्ट मिथिला आर्ट गैलरी का निर्माण किया गया है जिससे यहां का सौन्दर्य दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है, यहाँ दुनिया के अलग-अलग शहरों से लोग इसे देखने आ रहे हैं. जापान में भी मधुबनी पेंटिंग के इतिहास से जुड़ा एक संग्रहालय है. 2018-2019 में भारतीय रेल के समस्तीपुर मंडल में एक ट्रेन पर मधुबनी पेंटिंग कर चलाया गया था, जिसे विश्व में बहुत प्रशंसा मिली. दरभंगा मधुबनी के 50-60 कलाकारों ने मिलकर अपने अथक मेहनत से इस पर सुंदर पेंटिंग कर सजाया था.

मधुबनी चित्रकला की विशेषता एवं प्रमुखता को इस बात से जाना जा सकता है कि अभी तक इस प्रसिद्धकला हेतु कुल 08 लोगों को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है और वह भी सभी 08 महिलाएं है. सर्वप्रथम वर्ष 1975 जगदंबा देवी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया जिनके माध्यम से मिथिला पेंटिंग वैश्विक पटल पर उभरा. इस प्रकार वह मिथिला पेंटिंग में पद्म श्री प्राप्त करने वाली पहली कलाकार भी बनीं. वर्ष 1981 में सीता देवी को पद्मश्री प्रदान किया गया. सीता देवी ने मिथिला पेंटिंग बनाना अपनी मां और दादी से सीखा था. वर्ष 1972 में दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित ग्राम झांकी में उनके मिथिला पेंटिंग को देश भर से लोग देखने पहुंचे थे और इस कला को खूब सराहा भी गया था. नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के मुख्य प्रवेश द्वार के अंदर की दीवार पर भी उनकी पेंटिंग लगी थी. वर्ष 1984 में गंगा देवी को पद्मश्री के लिए चयनित किया गया. गंगा देवी ने बचपन से ही मिथिला पेंटिंग बनाने का अभ्यास किया था. मिथिला पेंटिंग में उनके योगदान के लिए उन्हें भारत सरकार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. साल 1984 में, गंगा देवी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था. वर्ष 2011 में महासुंदरी देवी को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया. महासुंदरी देवी ने कागज पर पेंटिंग बनाने से आगे बढ़कर 1970 में साड़ियों पर, 1973 में लकड़ी और प्लाई बोर्ड पर पेंटिंग शुरू किया. उनमें दशावतार, कृष्ण जन्म कथा, राम-सीता विवाह, सीता जन्म कथा, रासलीला और शिव-पार्वती जैसे धार्मिक विषय शामिल थे. उन्हें रेशम, सूती कपड़े और सनमिका और प्लायबोर्ड पर मिथिला पेंटिंग पेश करने वाली पहली कलाकार होने का श्रेय दिया जाता है. वर्ष 2017 में बउआ देवी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया. उन्हें पहले भी साल 1986 में इस कला के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है. इसके अलावा अप्रैल, 2015 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जर्मनी यात्रा के दौरान मेयर स्टीफन शोस्तक को बउआ देवी की एक पेंटिंग भेंट की थी, जिसके जिसकी चर्चा पूरे विश्व में हुई थी. वर्ष 2019 में गोदावरी देवी को सम्मानित किया गया. उन्होंने अपना सारा समय कला के लिए समर्पित कर दिया. वह मिथिला पेंटिंग की महादेवी वर्मा कहलाती हैं. वर्ष 2021 में दुलारी देवी पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया. वह मिथिला पेंटिंग के लिए यह सम्मान पाने वाली पहली दलित कलाकार थीं. वर्ष, 2023 में सुभद्रा देवी को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया. उन्हें पेपरमेशी कला में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यह पुरस्कार दिया गया. ★

रवि रंजन
क्षे. का., पटना

दिनांक 17.01.2024 को हिंदी प्रशिक्षण समन्वयन समिति, कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक के तत्वावधान में यूनियन बैंक ज्ञान केंद्र, बेंगलूरु द्वारा 'कासा एवं कारोबार विकास' विषय पर आयोजित हिंदी में अखिल भारतीय सेमिनार का शुभारंभ श्री हृषीकेश मिश्रा, प्रभारी (ज्ञानार्जन व विकास) द्वारा किया गया. इस अवसर पर विभिन्न बैंको से पधारे कार्यपालकगण द्वारा 'कासा एवं कारोबार विकास' पुस्तक का विमोचन किया गया.

शेखर एक जीवनी

अज्ञेय, जिसका अर्थ 'समझ से परे' है; वे न केवल हिंदी कविता के क्षेत्र में, बल्कि कथा साहित्य, आलोचना और पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आधुनिक प्रवृत्तियों के अग्रदूत थे. वे आधुनिक साहित्य में नई कविता और प्रयोगों के सबसे प्रमुख प्रतिपादकों में से एक थे. उन्होंने 1929 में औद्योगिक विज्ञान में बीएससी किया. स्नातक होने के बाद उन्हें पंजाब विश्वविद्यालय के कश्मीर के कॉस्मिक रे अभियान में शामिल किया गया. इसके बाद उन्होंने एमए अंग्रेजी में प्रवेश लिया, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की भूमिगत गतिविधियों में शामिल होने के कारण वह अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सके. दिल्ली षडयंत्र केस में उन्हें एक महीने तक लाहौर में रखा गया, फिर उन्होंने साढ़े तीन साल दिल्ली और पंजाब की जेलों में बिताए. बाद में वे लगभग दो वर्ष तक घर पर ही नजरबंद रहे. उनकी क्लासिक उपन्यास-त्रयी 'शेखर: एक जीवनी' उन्हीं जेल के दिनों की उपज थी. इस उपन्यास के दो भाग ही उपलब्ध हैं जो कि कई खंडों में विभक्त है. तीसरा भाग कभी प्रकाशित नहीं हुआ क्योंकि उसकी पांडुलिपि जेलर द्वारा जब्त कर ली गई थी और जला दी गई. फिर भी यह उपन्यास अपने आप में पूर्ण लगता है और किसी भी देशकाल से परे किसी भी समय-काल में समीचीन है.

"कहते हैं कि मानव अपने बंधन आप बनाता है; पर जो बंधन उत्पत्ति के समय से ही उसके पैरों में पड़े होते हैं और जिनके काटने भर में अनेकों के जीवन बीत जाते हैं, उनका उत्तरदायी कौन है?"

संसार "शिक्षा देना अपना सबसे बड़ा कर्तव्य समझता है, किन्तु शिक्षा अपने मन की, शिष्य के मन की नहीं. क्योंकि संसार का 'आदर्श-व्यक्ति' व्यक्ति नहीं है, एक 'टाइप' है; और संसार चाहता है कि सर्वप्रथम अवसर पर ही प्रत्येक व्यक्ति को ठोक-

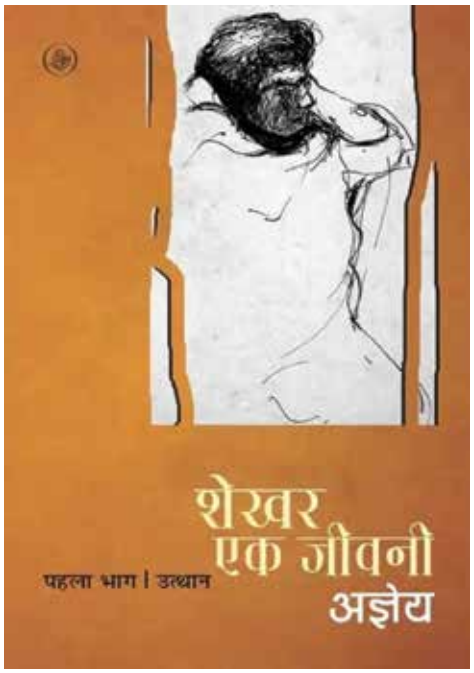

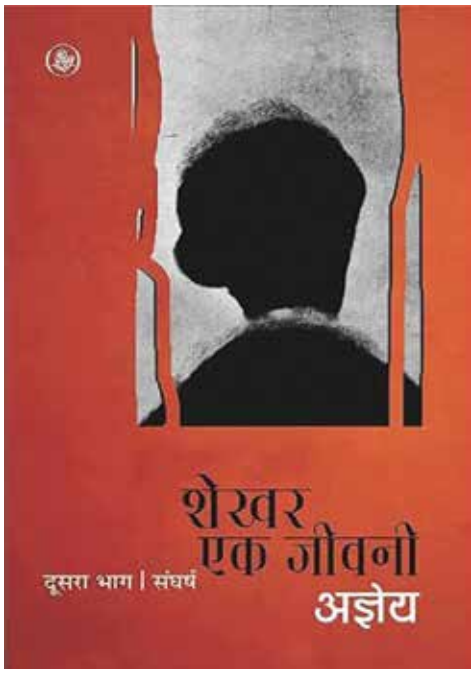

पीटकर, उसका व्यक्तित्व कुचलकर, उसे टाइप में सम्मिलित कर लिया जाए, उसे मूल रचना न रहने देकर एक प्रतिलिपि-मात्र बना दिया जाए...."

"शेखर ने देखा, उसके संसार के अलावा एक और संसार है, जिसमें पक्षी रहते हैं, जिसमें स्वच्छन्दता है, जिसमें विश्वास है, जिसमें स्नेह हैं, जिसमें सोचने की या खेलने की अबाध स्वतन्त्रता है, जिसका एकमात्र नियम है, 'वही होओ जो कि तुम हो'..."

"नियमों के अनुसार चलना आसान है और संसार ऐसे व्यक्तियों का आदर भी करता है, जो नियमानुसार चलते हैं. किन्तु जीवन बाध्य नहीं है कि वह आसान हो या आदर की पात्रता दें! जीवन इससे परे है"

"प्रेम ने मनुष्य को मनुष्य बनाया! भय ने उसे समाज का रूप दिया! अहंकार ने उसे राष्ट्र में संगठित कर दिया."

ये कुछ प्रश्न, कुछ सूक्ति-वाक्य हैं 'शेखर : एक जीवनी' उपन्यास से; जो उपन्यास का सार, उसकी अंतर्वस्तु को प्रस्तुत करते हैं. जिज्ञासा, विद्रोह, स्वच्छंदता, अस्तित्वबोध और प्रेम इस उपन्यास की मूल अभिप्रेरणा हैं. अज्ञेय अपनी प्रगतिशील विचारधारा और प्रयोगशीलता के कारण हिंदी साहित्य में एक विशेष स्थान रखते हैं. एक रचनाकार होने के साथ-साथ अपने युग के एक क्रांतिकारी भी रहे हैं. 'शेखर: एक जीवनी' उपन्यास अज्ञेय की प्रगतिशील और क्रांतिकारी विचारधारा का सबसे प्रबल दस्तावेज़ है. उपन्यास का नायक शेखर उनकी व्यक्तिगत छवि का कुछ पुट अवश्य रखता है किन्तु लेखक ने उपन्यास की भूमिका में स्वयं लिखा है- "प्रस्तुत जीवनी को पाठक अज्ञेय की जीवनी के रूप में न पढ़े. ऐसा करने से आप शेखर को समझ नहीं पाएंगे. शेखर को समझने के लिए हमें खुद के अंदर एक शेखर को ढूँढना होगा.

'शेखर: एक जीवनी' एक मनोविश्लेषणवादी उपन्यास है जो जीवन दर्शन, स्वच्छंदतावाद और अस्तित्ववाद से जुड़ा है. उपन्यास का नायक शेखर कोई व्यक्ति विशेष न होकर एक विचारधारा है जो अपने पाठकों को अपने साथ जीवन के स्रोत में बहने के लिए प्रेरित करता है इस बहाव में कई जीवन के पड़ाव, कई रिश्तें मिलते हैं जिन्हें पाठक वापस जीने और उन

पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर होता है. इस उपन्यास में कई बार पाठक इस बात को महसूस करता है कि शेखर कोई और नहीं बल्कि वह स्वयं है.

इस उपन्यास की शुरुआत 'फांसी' शब्द से होती है जहां नायक को क्रांतिकारी गतिविधि के लिए फांसी की सजा सुनाई गयी है. वह मृत्यु के पूर्व अपने जीवन का पुनरावलोकन कर रहा होता है और फिर से अपने जीवन, अपनी अनुभूतियों का विश्लेषण कर रहा होता है और उपन्यास के कथानक के माध्यम से पाठक दोबारा शेखर की नज़रों से अपने जीवन का अवलोकन करता है. उपन्यास में शेखर के माध्यम से व्यक्तिगत प्रेम भावनाओं के संवेदनात्मक और व्यापक चित्रण के साथ, पृष्ठभूमि में विद्रोही मानव-मन और समाज के बीच विरोध की गाथा भी, उसी अंदाज़ और रफ्तार से चलती रहती है. उपन्यासकार ने शेखर के बालपन की घटनाओं से उसके विद्रोही, जिज्ञासु, विचारशील, स्वाभिमानी और कठोर होने का चित्र रचा है. शेखर के अनुसार, "मुझे विश्वास है कि विद्रोही बनते नहीं, उत्पन्न होते हैं." कई ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जब शेखर समाज द्वारा निर्मित बंधनों को तोड़ने का प्रयत्न करता है. वय:संधि में शेखर के मन में अथाह प्रश्नों का जाल है, जिसके उत्तर की खोज में वह फिरता रहता है. वह एक आदर्शवादी सिद्धान्तप्रिय युवक है, जिसे पराधीनता स्वीकार नहीं, जो अपने तर्कों से समाज को बदलना चाहता है, जो बहस की हद तक तर्क करता है, जेल में अपने मन को खूब खंगालता है, शारदा के प्रति आकर्षण और शशि के प्रति अगाध स्नेह को जीवन का अर्थ और उद्देश्य समझता है. वह अपनी बहन सरस्वती को अपना गुरु मानता है. सरस्वती के लिए शेखर के मन में सम्मान और प्रेम है और वह उससे अपने सवालों का जवाब मांगने का प्रयत्न करता है. शारदा में हर पाठक अपने जीवन के पहले प्यार को साफ़ देख पाता है. शेखर हिंसा और अहिंसा, व्यक्ति और समाज, स्त्री और पुरुष, पश्चिमी और भारतीय आदि पहलुओं पर भी गहरा चिंतन करता है. एक साधारण बालक होते हुए भी कुछ अलग है, वो अपने आस- पास की चीज़ों को देखता है और उन पर सवाल करता है, कुछ ऐसे सवाल जो कभी डांटे जाने के डर से या फिर समाज के डर से दबा दिए जाते हैं. लेकिन शेखर में इतनी आत्मशक्ति है कि वह खुद ही उन सवालों का जवाब ढूंढ़ना चाहता है. यही कारण था कि वह समाज के रुढ़िवादी नज़रिए से हटकर कुछ अलग सोच पाया और लीक से अलग होकर विभिन्न विचारों को समझ पाया.

वस्तुत: 'शेखर एक जीवनी' व्यक्ति के आदर्शों, जीवन-दर्शन और मार्मिक स्नेह का रोचक मिश्रण है. यह कथा सिद्धांतप्रिय युवक के प्रेम और आदर्श का विशिष्ट रूप प्रस्तुत करती है, जिसमें बचपन के कविहृदय विद्रोही शेखर से लेकर सामाजिक बदलाव के लिए प्रयासरत और शशि से स्नेह की आप्लावनकारी धारा से जुड़े युवा शेखर तक की महायात्रा है. वेदना और स्नेह जैसे मानवीय भावनाओं का कुछ सरल और कुछ दार्शनिक निरूपण ही इस रचना की विशेषता है. अज्ञेय के शब्दों में - "वेदना में एक शक्ति है जो दृष्टि देती है. जो यातना में है वो दृष्टा हो सकता है" - (उपन्यास की भूमिका से) ✶

राधा मिश्र
दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन
वर्टिकल, कें. का., मुंबई

दिनांक 21.03.2024 श्री धर्मबीर, उप निदेशक, (रा.भा.) वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा केंद्रीय कार्यालय, मुंबई का राजभाषा संबंधी निरीक्षण किया गया.

दिनांक 24.01.2024 को विश्व हिंदी दिवस-2024 के उपलक्ष्य में केंद्रीय कार्यालय, मुंबई में 'पारंपरिक ज्ञान से डिजिटल क्रांति के पथ पर अग्रसर हिंदी' विषय पर कार्यपालकों हेतु विशेष राजभाषा संगोष्ठी का आयोजन किया गया, मुख्य अतिथि के रूप में श्री मो. युनूस ख़ान, वरिष्ठ उद्घोषक, विविध भारती, आकाशवाणी, मुंबई उपस्थित रहे.

गुरजाड अप्पाराव

अंधविश्वास मुक्त सोच के प्रेरणास्रोत

भारतीय संविधान की 8 वीं अनुसूची में शामिल 22 भारतीय भाषाओं में से तेलुगु भाषा द्रविड़ परिवार की भाषा है. यह तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश राज्यों की आधिकारिक राजभाषा है, जिसका विकास 575 ईसा पूर्व हुआ था. यह भारतीय साहित्य की प्रमुख भाषाओं में से एक है और इसकी समृद्ध विरासत है. तेलुगू भाषा की सुंदरता और विविधता इसके साहित्य में झलकती है. इसकी व्याकरण, अच्छी शैली और अर्थगतता की विशेषता इसे अन्य भारतीय भाषाओं से अलग बनाती है. तेलुगु साहित्य में ऐतिहासिक और धार्मिक कथाएं विशेष महत्व रखती हैं, रामायण, महाभारत और पुराणों पर आधारित हैं. तेलुगु साहित्य में विभिन्न विषयों पर उपन्यास और कहानियाँ लिखी गई हैं. इनमें विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दे शामिल हैं. तेलुगु साहित्य में समाजिक सुधार को लेकर विभिन्न लेखकों द्वारा योजनाएं और समाधान प्रस्तुत किए गए हैं. इनमें जाति, लिंग, समाज, धर्म आदि जैसे संवेदनशील मुद्दे भी शामिल हैं. तेलुगु साहित्य में अनेक रचनाकारों का योगदान रहा. इनमें में गुरजाड अप्पाराव का योगदान अतुलनीय है.

जीवन परिचयः तेलुगु साहित्य के जाने माने क्रांतिकारी विचारधारा के कवि, कहानीकार, नाटककार श्री गुरजाड अप्पाराव का जीवन प्रत्येक भारतीय के लिए प्रेरणादायक है. गुरजाड अप्पाराव का जन्म 21 सितंबर 1862 को आंध्र प्रदेश राज्य के विशाखापट्टणम शहर के पास स्थित अनकापल्ली में हुआ था. इनके पिता का नाम वेंकटराम दास था जो उस समय के एक प्रसिद्ध ज्योतिषी के साथ साथ तेलुगू भाषा के विद्वान भी थे. उनकी माता कौशल्यम्मा एक गृहणी थी. उनकी प्रारम्भिक शिक्षा गाँव में ही पूरी हुई. बाद में उन्होंने दर्शनशास्त्र में स्नातक की डिग्री प्राप्त की. शुरू से ही उनके पिता के साहित्य के ज्ञान का प्रभाव अप्पाराव के जीवन पर रहा और उसी का परिणाम है कि आगे चल कर उन्होंने तेलुगु में रचनाएँ की. अप्पाराव की जीवन शैली स्वामी विवेकानंद के सिद्धांतों और भारतीय संस्कृति के अनुरूप थी. उन्हें साधारण और सरल जीवनशैली पसंद थी, जिसमें

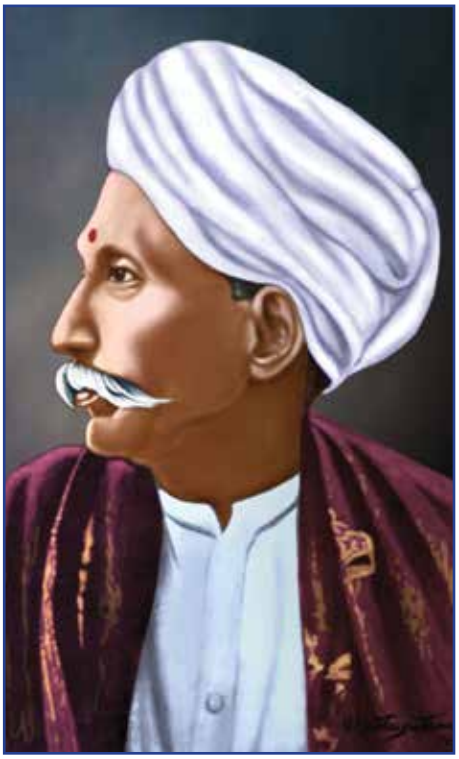

उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय उद्देश्यों के लिए समर्थन और नेतृत्व दिखाया. उनका जीवन सामाजिक कार्यों, स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी, साहित्यिक कार्यों और राजनीतिक दृष्टिकोण के साथ बीता. वे साधारण जीवन में भी एक उदाहरण स्थापित करते रहे और

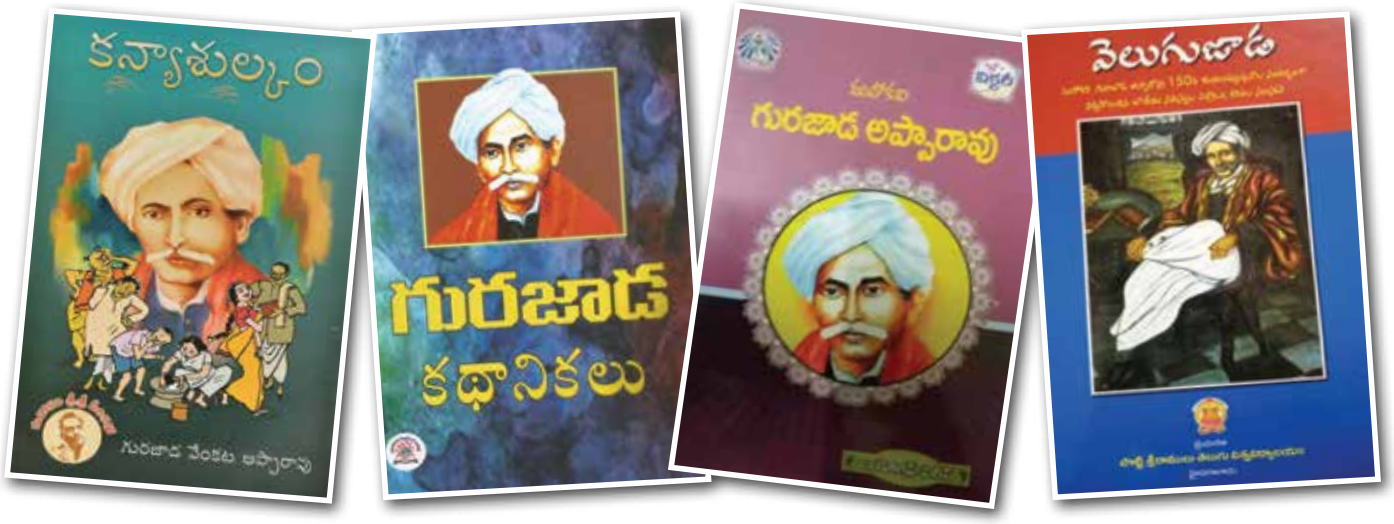

अपनी सोच और कार्य से लोगों को प्रेरित करते रहें.

साहित्यिक परिचय एवं विशेषताएँ: अप्पाराव ने तेलुगु साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया. उनकी रचनाओं में कविताएं, लेखन और स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित कई महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं. उनकी कविताएं और रचनाएं स्थानीय जनता के बीच संजीवनी की भूमिका निभाती हैं और स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण विषयों पर जागरूकता फैलाते हैं. उनका तेलुगु साहित्य में योगदान सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और उन्हें साहित्य की उच्चतम प्रशंसा भी प्राप्त है. अप्पाराव की लेखन शैली, उनकी कविताओं और रचनाओं में उनके विशेष दृष्टिकोण और भाषा का प्रयोग करने के लिए मशहूर है. उनकी लेखनी सरल और स्पष्ट होती है, जिससे पाठकों को विषय समझने में सहायता मिलती है. अप्पाराव की रचनाएं भाषा कौशल की उच्चता को दर्शाती हैं. उनकी कविताएं और लेखनी उनके उदार भाव, सुंदर शैली और अद्वितीय अंशों से प्रेरित होती हैं.

वे अपने काव्य में सामाजिक समस्याओं, राजनीतिक विवादों और राष्ट्रीय उद्देश्यों पर विचार करते हैं जिसे वे अपनी लेखन शैली में व्यक्त करते हैं. उनकी भाषा में सरलता और भावुकता होती है, जिससे उनके लेखनी पाठकों के दिलों में बस गई है.

प्रसिद्ध रचनाएँ: अप्पाराव ने समाज में व्याप्त सभी समस्याओं के संबंध में लिखा है. चाहे जातिवाद समस्या हो या सामाजिक समस्या, चाहे स्वतंत्रता संग्राम हो या राष्ट्रीय एकता. समाज का कोई भी ऐसा वर्ग, समुदाय, जाति, नहीं है जिनकी समस्याओं को उन्होंने नजरअंदाज किया हो और लिखने से चूक गए हो. अप्पाराव ने अनेकों रचनाएँ की जिनमें से कुछ प्रमुख रचनाएँ हैं- कन्या शुल्कम, सारंगधर, पूर्णम्मा, कोंडुभट्टीयं, नीलगिरि पाटलु, मुत्याल सरालु, कन्यक, सत्यव्रति शतकमु, बिल्हणीयं (असंपूर्ण), सुभद्र, लंगरेत्तुमु, दिंचुलंगरु, लवणराजु कल, कासुलु, सौदामिनि, कथानिकलु, मी पेरेमिटि, दिद्दुबाटु, मॅटिल्डा, संस्कर्त हृदयं, मतमु विमतमु आदि. इनमें से कन्या शुल्कम उनकी सबसे प्रसिद्ध नाटक है जिसमें उन्होंने कम उम्र की बालिकाओं के अपने से दुगने तिगने उम्र के पुरुषों के साथ विवाह किए जाने पर न केवल आपत्ति जताई बल्कि इसका पूर्ण रूप से बहिष्कार एवं विरोध किया.

स्वतंत्रता संग्राम में योगदान: अप्पाराव भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं. वे एक साहित्यकार होने के साथ-साथ एक सच्चे देशभक्त भी थे. अप्पाराव भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेताओं में से एक थे. उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और विभिन्न स्वतंत्रता आंदोलनों में भाग लिया. स्वतंत्रता की लड़ाई को गति प्रदान करने के लिए और लोगो को अपनी आज़ादी के प्रति जागरूक करने के लिए उन्होंने तेलुगु में अनेक कविताएं लिखीं जो उनके द्वारा लिखे निम्न पंक्तियों से व्यक्त होता है-

“सोन्त लाभं कोन्त मानुको,
पोरुगु वाडिकि तोडु पडवोय

देशमन्टे मट्टि कादोयि,
देशमन्टे मनुषुलोय!”

उपर्युक्त पंक्ति का हिंदी में अर्थ है, “हम दूसरों के काम आए, यह नि:स्वार्थ भाव हमारे भीतर रहना चाहिए. राष्ट्र सिर्फ मिट्टी से नहीं बनता, बल्कि राष्ट्र का अर्थ होता है, उसकी जनता.” इसी से पता चलता है कि अप्पाराव देश के प्रति कितने समर्पित व्यक्ति थे. उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपनी कविताओं, लेखों, लघु कथाओं से न जाने कितने भारतीयों के दिल में आज़ादी के मशाल को जलाया जो देश के प्रति उनकी सद्भावना और दृढ़ संकल्प को दर्शाता है. उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में जागरूकता फैलाई और लोगों को समाज में सुधार के लिए प्रेरित किया.

अप्पाराव की कविताएं, नाटक और विचार-विमर्श की पुस्तकें तेलुगु साहित्य की अमूल्य धरोहर मानी जाती हैं. उनके काव्य में राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों के मुद्दे का सभी पर गहरा प्रभाव पड़ा. उन्होंने तेलुगु साहित्य जगत में असीम लोकप्रियता प्राप्त की और उन्हें एक प्रमुख तेलुगु कवि एवं लेखक के रूप में आज भी याद किया जाता है. अप्पाराव की रचनाएं समय के साथ भी स्थायी रही हैं. उनकी कविताएं और नाटक आज भी प्रसिद्ध हैं और उन्हें साहित्य के उत्कृष्ट कवियों में गिना जाता है. अप्पाराव की रचनाएं विचारशीलता को प्रोत्साहित करती हैं. उन्होंने धार्मिक, दार्शनिक, राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर अपने विचारों को व्यक्त किया है. श्री गुरजाड अप्पाराव के साहित्य की इन्हीं विशषताओं के कारण उन्हें ‘‘कविशेखर’’ और ‘‘अभ्युदय कविता पितामह’’ की उपाधियों से सम्मानित किया गया है. ★

मनीषा महतो
क्षे. का., खम्मम

भौगोलिक संकेत

रसगुल्ले के लिए लड़ाई देखी है क्या? नहीं, नहीं, वैसी साधारण लड़ाई नहीं जो आप सोच रहे हैं, जिसमें कभी न कभी हम और आप भी शामिल हुए हैं, एक रसगुल्ला अधिक पाने के लिए. मैं बात कर रहा हूँ, उस लड़ाई की जिसमें दो राज्यों के बीच रसगुल्ले के लिए लगभग दो सालों तक लड़ाई चली. अब आप कहेंगे, भई रसगुल्ले के लिए राज्य क्यों लड़ेंगे? तो आपको बता दूँ कि रसगुल्ले के जीआई पंजीकरण के लिए पश्चिम बंगाल एवं ओडिशा के बीच 2017-19 तक लगभग 26 माह तक लड़ाई चली और आखिरकार जीआई पंजीकरण संस्था ने रसगुल्ले के जीआई टैग दोनों राज्यों को प्रदान किए, ओडिशा को "ओडिशा रसगुल्ला" के लिए एवं पश्चिम बंगाल को "बांग्लार रोशोगोल्ला" के लिए. आखिर क्या है यह जीआई टैग? जिसके लिए आए दिन राज्यों एवं देशों के बीच झगड़े की स्थिति उत्पन्न होते रहती है.

जीआई, यानी जिओग्राफ़िकल इंडिकेशन, जिसे हिंदी में भौगोलिक पहचान कह सकते हैं, बौद्धिक सम्पदा अधिकार का एक रूप है, जिसे किसी विशेष स्थान से जन्मे, विशिष्ट प्रकृति, गुणवत्ता और खूबियों वाले वस्तुओं की पहचान की जाती है. यह विशिष्ट भौगोलिक स्थानों से उत्पन्न वस्तुओं में मौजूद अद्वितीय गुणों और खूबियों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है. जीआई व्यक्तिगत उत्पादकों की अपेक्षा भौगोलिक स्रोत को प्राथमिकता प्रदान करने के साथ ही उत्पादन के पारंपरिक तरीकों को संरक्षित करती है. भारत जैसे विशाल देश में वस्तुओं के उत्पादन एवं उनके निर्माण की प्रक्रिया प्राकृतिक स्रोतों की उपलब्धता के आधार पर बदलती है, जो कि भौगोलिक परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं.

किसी भी वस्तु के लिए जीआई टैग का पंजीकरण, उस भौगोलिक क्षेत्र के लोगों के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है. राज्यों के बीच में इसी कारण से झगड़े की स्थिति उत्पन्न होती है, जो कि अपने राज्य के उस उत्पाद से जुड़े कारोबारियों/उत्पादकों के आर्थिक हितों के संरक्षण के लिए होती है. जैसे बासमती चावल का उत्पादन देश के लगभग हर राज्य में किया जाता है परंतु कुछ चुनिन्दा राज्यों से उपजे बासमती चावल को ही जीआई टैग प्रदान किया गया है. इस कारण से जीआई टैग प्राप्त राज्यों के बासमती चावल देशी और विदेशी बाज़ारों में महंगे दामों में बिकते हैं. प्रतिष्ठित कश्मीरी केसर से लेकर बनारसी साड़ियों की जटिल शिल्प कौशल तक, प्रत्येक जीआई टैग न केवल उत्पाद की प्रामाणिकता का प्रतीक है, बल्कि पूरे उत्पादन क्षेत्र की ब्रांड पहचान को भी बढ़ाता है. पूरे भारत में लगभग 500 ऐसे उत्पाद हैं जिन्हें जीआई टैग प्राप्त हैं, जिसमें से उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र अग्रणी हैं.

भारत के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा भी कई गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं, ओडीओपी (एक जिला एक उत्पाद) योजना के तहत देश के प्रत्येक जिले को उनकी संभावनाओं के आधार पर प्रत्येक जिले से एक अद्वितीय उत्पाद का चयन, ब्रांडिंग और प्रचार करके, ओडीओपी न केवल सामाजिक-आर्थिक प्रगति को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि प्रत्येक क्षेत्र की विशिष्ट विशेषताओं को पहचान और मान भी दिला रहा है. भारत सरकार के 'वोकल फॉर लोकल' और 'लोकल टू ग्लोबल' के दृष्टिकोण के तहत उत्पादकों को प्रशिक्षण मॉड्यूल और कार्यशालाएं शुरू करके उत्पादों की गुणवत्ता, फिनिश और पैकेजिंग को बढ़ाने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल से लैस किया जा रहा है, जिससे वे अपने उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों के लिए अधिक आकर्षक बना रहे हैं. हाल ही में आयोजित भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 में जीआई मंडप की स्थापना की गई थी, जिसमें कृषि, भोजन, हस्तशिल्प एवं हथकरघा से जुड़े 2000 उत्पादों के साथ 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 600 से अधिक कारीगरों ने भागीदारी की. इनमें से अधिकांश उत्पाद आमतौर पर ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले समुदायों और जनजातियों द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए इन्हें बढ़ावा देने से हमारे ग्रामीण कारीगरों, बुनकरों, शिल्पकारों और किसानों की आय में वृद्धि होगी जो इन उत्पादों को अपने संबंधित स्थानीय बाजारों में बेचते हैं.

भारत अद्वितीय सांस्कृतिक विविधता और समृद्धि का एक जीता-जागता प्रमाण है, जो कई जनजातियों और समुदायों का मिश्रण है, जिनमें से प्रत्येक विशिष्ट कला, शिल्प और हस्तशिल्प से सुशोभित हैं. कला, शिल्प एवं हस्तशिल्प से जुड़े उत्पाद उस स्थान विशेष की प्राकृतिक बनावट एवं सांस्कृतिक परिवेश पर निर्भर करते हैं. प्रकृति की प्रचुरता से धन्य यह देश पौधों, फलों और फसलों की एक विस्तृत शृंखला को शामिल करता है, जो विभिन्न जीआई उत्पादों के विकास के लिए उपजाऊ जमीन प्रदान करता है .

उक्त उत्पादों के अतिरिक्त भी कई उत्पाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं. हाल ही में भारत के कई शहरों में जी-20 से जुड़े कई आयोजन हुए, इन आयोजनों में भारत सरकार द्वारा भारत के स्थानीय उत्पादों का खूब प्रचार-प्रसार किया गया. इन आयोजनों में शामिल मेहमानों द्वारा धारण किए गए भारतीय लिबासों को भला कौन भूलेगा. इस आयोजन में विदेशी मेहमानों को न सिर्फ उपहार स्वरूप स्थानीय उत्पाद प्रदान किए गए बल्कि उनके लाइव स्टॉल के माध्यम से उनके निर्माण की जानकारी भी प्रदान की गई, जिसमें भारत के अद्वितीय सांस्कृतिक विरासत की एक झलक उन्हें प्राप्त हुई. स्थानीय उत्पादों के प्रचार का सफल प्रयास जी-20 के उपरांत जीआई उत्पादों के निर्यात में बढ़ोत्तरी के आंकड़ों ने भी साबित किया है. आने वाले समय में भारतीय शिल्प एवं हथकरघा उत्पादों के साथ ही साथ भारतीय क्राफ्ट का पूरी दुनिया में बोलबाला होने वाला है और प्रोत्साहित करने वाले आयोजन एवं निर्यात के आंकड़ों को देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि, यह तो बस शुरुआत है. ★

भूपेंद्र सिंह भाटी
अं. का., गांधीनगर

नराकास, पणजी द्वारा वर्ष 2023 हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, गोवा को 'प्रथम' पुरस्कार प्रदान किया गया. दिनांक 24.01.2024 को सुश्री सुस्मिता भट्टाचार्य, उप निदेशक (का.), क्षे.का.का. (पश्चिम) से पुरस्कार ग्रहण करते हुए, श्री आशीष मालवीया, क्षेत्र प्रमुख तथा अजीत कुमार गोयल, वरिष्ठ प्रबंधक (रा.भा.).

नराकास, कोच्चि द्वारा वर्ष 2022-23 हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, एर्णाकुलम को 'प्रथम' पुरस्कार प्रदान किया गया. दिनांक 08.02.2024 को श्री टी वी राव, महाप्रबंधक एवं प्रभारी अधिकारी, भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्चि से पुरस्कार प्राप्त करते हुए क्षेत्र प्रमुख, श्री टी एस श्याम सुंदर तथा सुश्री बिनु टी एस, वरिष्ठ प्रबंधक (रा.भा.).

नराकास, बरेली द्वारा वर्ष 2023 हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, बरेली को 'प्रथम' पुरस्कार प्रदान किया गया. दिनांक 30.01.2024 को श्री छबिल कुमार मेहेर, उप निदेशक (का.), क्षे.का.का. उत्तर-1 से पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री राहुल सिंह, मुख्य प्रबंधक तथा श्री राधारमन शर्मा, प्रबंधक (रा.भा.).

नराकास, सेलम द्वारा वर्ष 2023-24 हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, सेलम को 'प्रथम' पुरस्कार प्रदान किया गया. दिनांक 29.01.2024 को नराकास, अध्यक्ष श्री पंकज सिन्हा से पुरस्कार प्राप्त करते हुए क्षेत्र प्रमुख, श्री एम. चेल्लदुरै तथा श्री आशीष, सहा. प्रबंधक (रा.भा.).

नराकास, तिरुचिरापल्ली द्वारा वर्ष 2022-23 हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, तिरुचिरापल्ली को 'प्रथम' पुरस्कार प्रदान किया गया. दिनांक 15.02.2024 को नराकास, अध्यक्ष श्री एस. अन्बलगन से पुरस्कार प्राप्त करती हुई श्रीमती एस. एस. लावण्या, क्षेत्र प्रमुख तथा श्री जनार्दन कुमार, सहा. प्रबंधक (रा.भा.).

नराकास, देवरिया द्वारा वर्ष 2022-23 हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, मऊ की देवरिया शाखा को 'प्रथम' पुरस्कार प्रदान किया गया. दिनांक 03.01.2024 को नराकास, अध्यक्ष श्री राजेश देशपांडे से पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री धर्मेन्द्र कुमार, शाखा प्रमुख तथा श्री किशोर कुमार, प्रबंधक (रा.भा.).

नराकास, मऊ द्वारा वर्ष 2022-23 हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, मऊ को 'प्रथम' पुरस्कार प्रदान किया गया. दिनांक 23.01.2024 को श्री रवि भूषण झा, मण्डल प्रमुख, पंजाब नेशनल बैंक, मण्डल कार्यालय, मऊ तथा डॉ आर के भारती, प्राचार्य, केंद्रीय विद्यालय, मऊ से पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री मिथिलेश कुमार, क्षेत्र प्रमुख तथा श्री किशोर कुमार, प्रबंधक (रा.भा.).

नराकास, ठाणे द्वारा वर्ष 2023 हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई-ठाणे को 'तृतीय' पुरस्कार प्रदान किया गया. दिनांक 22.01.2024 को डॉ. सुस्मिता भट्टाचार्य, उप निदेशक (का.), क्षे.का.का. (पश्चिम) से शील्ड प्राप्त करते हुए श्री अटल मिश्रा, उप क्षेत्र प्रमुख और प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए श्री सुधीर प्रसाद, वरिष्ठ प्रबंधक (रा.भा.).

नराकास, ब्रह्मपुर द्वारा वर्ष 2023 हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, ब्रह्मपुर को 'तृतीय' पुरस्कार प्रदान किया गया. दिनांक 20.03.2024 को श्री संदीप कुमार चौबे, अध्यक्ष, नराकास से पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री मेघाई मार्ण्डि, उप क्षेत्र प्रमुख तथा श्री अमित दीक्षित सहा. प्रबंधक (रा.भा.).

नराकास, फ़रीदकोट द्वारा वर्ष 2023-24 हेतु क्षे. का. बठिंडा के अंतर्गत फ़रीदकोट शाखा को 'प्रोत्साहन' पुरस्कार प्रदान किया गया. दिनांक 14.03.2024 को श्री नरेंद्र सिंह मेहरा, सहायक निदेशक (कार्यान्वयन), क्षे.का.का. उत्तर-1 तथा श्री कुलबीर सिंह, अध्यक्ष, नराकास से पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री गगनदीप सलुजा, शाखा प्रमुख फ़रीदकोट.

राजभाषा समाचार

दिनांक 06.02.2024 को क्षेत्रीय कार्यालय, श्रीकाकुलम में विजयनगरम तथा श्रीकाकुलम क्षेत्र के कर्मचारियों हेतु आयोजित संयुक्त एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए क्षेत्र प्रमुख, श्री एम. वेंकट तिलक.

दिनांक 20.02.2024 को क्षेत्रीय कार्यालय, कोल्लम में क्षेत्र प्रमुख, श्री दीप्ति आनंदन द्वारा एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का उद्घाटन किया गया.

दिनांक 03.06.2024 को क्षेत्रीय कार्यालय, लुधियाना में एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का उद्घाटन क्षेत्र प्रमुख, श्री राकेश कुमार मित्तल द्वारा किया गया.

दिनांक 10.01.2024 को क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलूरु (पूर्व) में एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का उद्घाटन श्री बी एस राघवेन्द्र, उप क्षेत्र प्रमुख तथा श्री गुलशन कुमार, उप क्षेत्र प्रमुख द्वारा किया गया.

दिनांक 15.02.2024 को क्षेत्रीय कार्यालय, मंगलूरु में एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का उद्घाटन श्री महेश जे, उप महाप्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय, मंगलूरु द्वारा किया गया.

दिनांक 12.02.2024 को क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर में एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का उद्घाटन श्री प्रशांत कटियार, उप क्षेत्र प्रमुख द्वारा किया गया.

दिनांक 23.02.2024 को क्षेत्रीय कार्यालय, संबलपुर में एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का उदघाटन क्षेत्र प्रमुख, श्री धर्मेंद्र राजोरिया द्वारा किया गया.

दिनांक 12.01.2024 को क्षेत्रीय कार्यालय, आणंद में उप शाखा प्रमुखों हेतु आयोजित एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला में प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए उप क्षेत्र प्रमुख, श्री भानू प्रताप सिंह.

दिनांक 02.01.2024 को क्षेत्रीय कार्यालय, अमरावती में एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया.

दिनांक 17.02.2023 को क्षेत्रीय कार्यालय, बड़ौदा में एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का उद्घाटन उप क्षेत्र प्रमुख, श्री शशि शेखर द्वारा किया गया.

दिनांक 10.01.2024 को क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलूरु (उत्तर) में एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का उद्घाटन क्षेत्र प्रमुख, श्री राजेंद्र कुमार द्वारा किया गया.

दिनांक 13.02.2024 क्षेत्रीय कार्यालय, एर्णाकुलम द्वारा उप शाखा प्रमुखों के लिए आयोजित हिंदी कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए क्षेत्र प्रमुख, श्री टी एस श्याम सुंदर. साथ हैं श्री महालिग देवाडिग, उप क्षेत्र प्रमुख तथा श्री मनोज मरार, उप क्षेत्र प्रमुख.

दिनांक 11.01.2024 को क्षेत्रीय कार्यालय, गुंटूर में एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला के प्रतिभागियों के साथ श्री जे अश्वर्थ नायक, उप क्षेत्र प्रमुख.

दिनांक 20.02.2024 को क्षेत्रीय कार्यालय, गांधीनगर में आयोजित एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का उद्घाटन उप क्षेत्र प्रमुख श्री मिथिलेश कुमार द्वारा किया गया.

दिनांक 18.01.2024 को क्षेत्रीय कार्यालय, गाजीपुर में एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया.

दिनांक 10.01.2024 'विश्व हिंदी दिवस' के अवसर पर हैदराबाद स्थित चार क्षेत्रीय कार्यालय व केंद्रीय कार्यालय उपभवन द्वारा संयुक्त एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया.

दिनांक 06.02.2024 को क्षेत्रीय कार्यालय, कलबुरगी में एक दिवसीय हिंदी कार्यसाला का उद्घाटन क्षेत्र प्रमुख, श्री सी.वी. सुधीर द्वारा किया गया.

दिनांक 20.01.2024 को क्षेत्रीय कार्यालय, मऊ में एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का उद्घाटन क्षेत्र प्रमुख, श्री मिथिलेश कुमार द्वारा किया गया.

दिनांक 03.02.2024 को क्षेत्रीय कार्यालय, करीमनगर में एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया.

दिनांक 22.02.2024 को क्षेत्रीय कार्यालय, पटना में एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का उद्घाटन उप क्षेत्र प्रमुख, श्री खालिद इकबाल द्वारा किया गया.

दिनांक 23.02.2024 को संयुक्त रूप से दिल्ली अंचल के अंतर्गत पाँच क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया.

दिनांक 20.02.2024 को एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए श्री असीम कुमार पाल. साथ हैं श्री टी गुरुप्रसाद, उप क्षेत्र प्रमुख तथा मुख्य अतिथि एवं संकाय श्री यशंवत गहलोत, सहायक महाप्रबंधक (रा.भा.), नाबार्ड.

दिनांक 08.02.2024 को क्षेत्रीय कार्यालय, हुब्बल्ली में आयोजित एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का उद्घाटन क्षेत्र प्रमुख, श्री हरि राम एस.वी.एस. द्वारा किया गया. साथ हैं उप क्षेत्र प्रमुख, श्री रितेश कुमार तथा प्रतिभागीगण.

दिनांक 03.02.2024 को अंचल कार्यालय, चेन्नै के राजभाषा अधिकारियों की अर्धवार्षिक राजभाषा समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया. श्री सत्यबान बेहेरा, अंचल प्रमुख तथा श्री वी मुरली, सहा. महाप्रबंधक द्वारा प्रतिभागियों को संबोधित किया गया.

दिनांक 25.01.2024 को अंचल कार्यालय, विशाखपट्टणम में अर्धवार्षिक राजभाषा समीक्षा बैठक उप अंचल प्रमुख, श्री के. नटराज की अध्यक्षता में आयोजित की गई.

दिनांक 17.02.2023 को श्री एम रविन्द्र बाबु, अंचल प्रमुख की अध्यक्षता में अंचल कार्यालय, विजयवाडा में अर्धवार्षिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया.

दिनांक 08.03.2024 को अंचल कार्यालय, हैदराबाद में उप अंचल प्रमुख, श्री पी कृष्णन तथा श्री ए रवि कुमार, की उपस्थिति में अर्धवार्षिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया.

दिनांक 20.02.2024 को नराकास, राजन्ना सिरसिल्ला की बैठक श्री टी एन मल्लिकार्जुन राव, अध्यक्ष, नराकास एवं अग्रणी जिला प्रबंधक की अध्यक्षता में आयोजित की गई.

दिनांक 02.02.2024 को नराकास, मऊ के तत्वावधान में सदस्य कार्यपालकों हेतु आयोजित 'संयुक्त हिंदी कार्यशाला' का उद्घाटन करते हुए श्री विवेक कुमार, उप क्षेत्र प्रमुख.

दिनांक 10.01.2024 को नराकास, श्रीकाकुलम के तत्वावधान में सदस्य कार्यालयों हेतु आयोजित संयुक्त एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का उदघाटन करते हुए श्री एम. वेंकट तिलक, क्षेत्र प्रमुख.

दिनांक 14.03.2024 को क्षेत्रीय कार्यालय, बठिंडा के अंतर्गत आने वाली फ़रीदकोट शाखा का राजभाषा निरीक्षण श्री नरेंद्र सिंह मेहरा, सहायक निदेशक (का.), क्षे.का.का. उत्तर-1, द्वारा किया गया.

दिनांक 23.01.2024 को नराकास, समस्तीपुर की बैठक श्री समीर साँई, क्षेत्र प्रमुख की अध्यक्षता में आयोजित की गई.

दिनांक 10.01.2024 को विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर अंचल कार्यालय, वाराणसी में कार्यपालकों के लिए राजभाषा संगोष्ठी का आयोजन किया गया. मुख्य अतिथि के रूप में श्री हिमांशु नागपाल, आईएएस, मुख्य विकास अधिकारी, उ. प्र. राज्य उपस्थित रहे. मंचासीन है श्री गिरीश चंद्र जोशी, अंचल प्रमुख, वाराणसी.

दिनांक 26.02.2024 को अंचल कार्यालय, हैदराबाद में कार्यपालकों के लिए आयोजित राजभाषा संगोष्ठी को संबोधित करते हुए उप अंचल प्रमुख, श्री पी कृष्णन. मंच पर उपस्थित हैं डॉ गंगाधर वानोडे, क्षेत्रीय निदेशक, केंद्रीय हिंदी संस्थान, श्रीमती विभा भारती, संस्कृत और हिंदी विदूषी, मिलिंद प्रकाशन, श्री अजय कुमार तिवारी, सदस्य-सचिव, नराकास (बैंक) तथा श्रीमती उपासना शर्मा, सहायक महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक.

दिनांक 23.02.2024 को अंचल कार्यालय, मुंबई द्वारा श्री अभिजीत बसाक, अंचल प्रमुख, की अध्यक्षता में 'बैंक के कारोबार में भाषा की भूमिका' विषय पर आयोजित राजभाषा संगोष्ठी में स्वागत सम्बोधन करती हुई सुश्री सौम्या श्रीधर, महाप्रबंधक.

दिनांक 07.02.2024 को अंचल कार्यालय, चेन्नै के कार्यपालकों हेतु श्री सत्यबान बेहेरा, अंचल प्रमुख की अध्यक्षता में राजभाषा संगोष्ठी का आयोजन किया गया. डॉ दिनेश कुमार जांगिड़, अपर आयुक्त, भारतीय सीमा शुल्क तथा डॉ बिभाष कुमार श्रीवास्तव, पूर्व कार्यपालक निदेशक अतिथि वक्ता रहे.

दिनांक 21.02.2024 को अंचल कार्यालय, विजयवाडा में श्री एम रविन्द्र बाबु, अंचल प्रमुख की अध्यक्षता में कार्यपालकों हेतु राजभाषा संगोष्ठी का आयोजन किया गया.

दिनांक 10.01.2024 को क्षेत्रीय कार्यालय, पटना में 'विश्व हिंदी दिवस' के अवसर पर स्टाफ सदस्यों हेतु राजभाषा संगोष्ठी का आयोजन किया गया.

महिला उद्यमिता को समर्पित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की गृह पत्रिका 'यूनियन सृजन' दिसंबर 2023 अंक पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ. पत्रिका का कवर पेज अत्यंत आकर्षक है जो निहित विषय वस्तु के सर्वथा अनुरूप है. वस्तुत: महिला सशक्तिकरण का उद्देश्य है महिलाओं के विकास के लिए आर्थिक राजनैतिक एवं सामाजिक नीतियों के माध्यम से ऐसा अनुकूल माहौल तैयार करना जिसमें महिलाएं अपनी क्षमता अनुसार बेहतर स्वास्थ्य, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, रोजगार के समान अवसर और समान पारिश्रमिक एवं सामाजिक सुरक्षा के लाभ उठा सकें. पत्रिका में प्रस्तुत सभी आलेख विभिन्न क्षेत्रों जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में, लघु उद्योगों में, ई- कारोबार में महिला उद्यमिता की संभावनाओं पर विस्तार से प्रकाश डालते हैं. आलेख 'महिला उद्यमिता- सफलता की राह में चुनौतियां और उनके समाधान' एक सारगर्भित और चिंतनपूर्ण आलेख है. पत्रिका में प्रकाशित अन्य आलेखों की भाषा, उसकी शैली को पढ़कर यह विश्वास करना कठिन हो जाता है कि बैंकिंग क्षेत्र से जुडे अधिकारियों में भी इतनी रचनाधर्मिता और लेखन कौशल हो सकता है. काव्य सृजन में श्री शशि भूषण कुमार की कविता 'अब नारी की बारी' और श्री प्रत्यूष राज की कविता 'ओ नारी' प्रेरणास्पद हैं. इस समसामयिक, सुरुचिपूर्ण और श्रेष्ठ प्रकाशन के लिए पूरी संपादक मंडली को और पत्रिका प्रकाशन में परोक्ष रूप से जुडे समस्त लेखकों, रचनाधर्मियों को कोटिश: शुभकामनाएं. मुझे विश्वास है कि यह पत्रिका अपने हर अंक में उत्तरोत्तर गुणात्मक प्रगति करेगी और इसका प्रत्येक अंक संग्रहणीय होगा.

करुणा श्री

सहायक निदेशक (राजभाषा), कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, क्षे.का., कुकटपल्ली

आपकी पत्रिका 'यूनियन सृजन' जुलाई-सितम्बर, 2023 अंक (भाषा विशेषांक) प्राप्त हुई. पत्रिका में सम्मिलित आलेख, कविताएं, समाचार आदि स्तरीय एवं ज्ञानवर्धक है. राजभाषा के प्रगामी प्रयोग की दिशा में यह एक सराहनीय कदम है. पत्रिका के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए, इससे जुड़े सभी कार्मिकों, रचनाकारों को हार्दिक बधाई देता हूँ.

डॉ. छबिल कुमार मेहेर, उप निदेशक (कार्यान्वयन)

'यूनियन सृजन' का जुलाई-सितंबर 2023 अंक अत्यंत ज्ञानवर्धक है. हिंदी भाषा की तरह भारतीय संस्कृति और भाषाई संपदा को प्रस्फुटित करता हुआ मुख पृष्ठ अत्यंत आकर्षक है. इस अंक में हिंदी भाषा का समस्त स्वरूप मिलता है. जैसे उसकी भाषाई संपदा, तकनीकी शब्दावली, राजभाषा स्वरूप, संपर्क भाषा आदि से जुड़ी अनेक जानकारियां मिलती हैं. इस अंक में चित्रों का संयोजन, लेख और कविताओं को सटीक रूप से प्रस्तुत करता है. चंद्रयान जैसे विषय पर लेख और कविताओं का प्रकाशन, इस पत्रिका की समसामयिकता के प्रति जागरूकता को दर्शाता है. स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि यह पत्रिका हिंदी भाषा को उसके समग्र रूप को व्यक्त करती हुई उसके वर्चस्व को समृद्ध करती है. आशा है 'यूनियन सृजन' हिंदी भाषा और साहित्य के विकास में इसी प्रकार अपना योगदान देती रहेगी.

डॉ के. पद्मारानी

सहायक प्राध्यापक,
हिंदी विभाग, शासकीय महिला महाविद्यालय, खम्मम तेलंगाना

यूनियन बैंक की तिमाही हिंदी गृह पत्रिका 'यूनियन सृजन' के जुलाई-सितम्बर, 2023 अंक की प्राप्ति हुई है जिसके लिए आपका हार्दिक आभार. भाषा विशेषांक के रूप में जारी इस अंक में भाषा के विविध आयामों को छूने का प्रयास किया गया है जिसमें संपादन मंडल सफल रहा है. आत्मनिर्भर भारत को अपनी भाषा की आवश्यकता, भारतीय शास्त्रीय भाषाएं, भाषा एवं समाज का संबंध, भाषाई ई-टूल्स जैसे लेख इस अंक को सार्थकता प्रदान करते हैं. भारतीय भाषाओं के साथ राजभाषा पर भी प्रकाश डाला गया है तथा राजभाषा से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों की झलकियां राजभाषा के प्रति यूनियन बैंक की प्रतिबद्धता दर्शाती हैं. पत्रिका बहुत ही प्रभावशाली और आकर्षक है जिसके लिए पूरे संपादन मंडल को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं.

नीरज कुमार सिंह

सदस्य सचिव, नराकास, अयोध्या

कार्यालयीन हिन्दी गृह पत्रिकाओं के संसार में ख़ासकर बैंकिंग उद्योग में 'यूनियन सृजन' की एक विशेष पहचान है. पत्रिका के हर अंक को अत्यंत आकर्षक और उपयोगी बनाने में संपादक मंडल की श्रद्धा स्तुत्य है और प्रबंधन का प्रोत्साहन प्रशंसनीय है. भाषा विशेषांक के रूप में प्रकाशित सितंबर 2023 अंक भाषा प्रवाह से भरा हुआ है. गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री महोदय के हिंदी दिवस संबंधी संदेश से प्रारंभ इस अंक में प्रकाशित अन्य आलेखों का आकलन करने से पूर्व प्रबंध निदेशक एवं सी ई वो का प्रेरणाप्रद परिदृश्य और भाषा की गरिमा को उजागर करने वाले संपादकीय पढ़कर आगे बढ़ाना ज़रूरी लगता है. देश-विदेशों में भारतीय भाषाओं का प्रचलन, भाषाओं का शास्त्रीय विवेचन, सामाजिक संबंधों में भाषाओं की भूमिका, कारोबार विकास, शिक्षा, विकासशील प्रौद्योगिकी में हिंदी, बैंकिंग कार्य में शब्दावली का संदर्भगत प्रयोग, भाषा दिवस इत्यादि कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर लेखक कर्मियों द्वारा प्रस्तुत विषयवस्तु सारगर्भित एवं ज्ञानवर्धक है. पत्रिका में प्रकाशित हिंदी समारोहों एवं अन्य गतिविधियों से विदित होता है कि यूनियन बैंक कर्मियों की भाषागत कार्यकलापों में स्फूर्तिदायक प्रतिभागिता है. चयनित कविताएँ, यात्रा व विज्ञान संबंधी सूचनाएँ रोचक व आकर्षक रही हैं. कार्यकारी संपादक, संपादक, संपादक मंडल के अन्य सदस्य और सभी रचनाकारों को अनंत बधाइयाँ एवं शुभकामनाएँ.

डॉ वी. वेंकटेश्वर राव

पूर्व सहायक महाप्रबंधक (राजभाषा), केनरा बैंक एवं भाषाविद, हैदराबाद

आपके बैंक की तिमाही हिंदी गृह पत्रिका 'यूनियन सृजन-महिला उद्यमिता विशेषांक' का अक्टूबर-दिसंबर 2023 अंक प्राप्त हुआ. सर्वप्रथम पत्रिका के कुशल एवं सफल संपादन हेतु हमारी ओर से शुभकामनाएं एवं आभार स्वीकार करें.

देश की महिलाओं को समर्पित पत्रिका का यह विशेषांक स्वयं में सारगर्भित एवं महत्वपूर्ण विषयों को समेटे हुए है. महिलाओं का हमारे समाज के प्रति नि:स्वार्थ योगदान अतुलनीय है, जिसे पत्रिका में बखूबी स्थान दिया गया है. पत्रिका में महिला उद्यमिता से संबंधित विभिन्न विषयों एवं योजनाओं का बेहद रचनात्मक रूप से परिचय कराया गया है. इसके अतिरिक्त पत्रिका में शामिल काव्य सृजन मर्म स्पर्शी एवं प्रेरणादायी है. इसके अलावा जहां एक ओर 'सेंटरस्प्रेड होयसाला की विरासत' हमें इतिहास की गलियों में ले जाती है तो वहीं दूसरी ओर 'सच्चा सौदा' कहानी हमें सच्ची सीख देकर जाती है. पत्रिका के सफल संपादक के लिए संपूर्ण संपादकीय समूह को बहुत-बहुत बधाई एवं आगामी अंक हेतु शुभकामनाएं!

निखिल शर्मा

मुख्य प्रबंधक, राजभाषा, प्रधान कार्यालय, राजभाषा विभाग, पंजाब एवं सिंध बैंक, नई दिल्ली

संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप-समिति द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई-अंधेरी का निरीक्षण- दि. 12.02.2024

संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप-समिति के संयोजक माननीय सांसद श्रीमती कांता कर्दम के कर कमलों से सफल निरीक्षण का प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए श्री अभिनव भट्ट, क्षेत्र प्रमुख (क्षेत्रीय कार्यालय- मुंबई अंधेरी). साथ हैं श्री जी. एन. दास, महाप्रबंधक (मा. सं.) एवं श्री अम्बरीष कुमार सिंह, उप महाप्रबंधक (मासं) तथा सुश्री अविनाश कौर, प्रबंधक (रा.भा.).

संसदीय समिति के माननीय सदस्यों द्वारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की हिंदी गृह पत्रिका 'यूनियन सृजन' के 'भाषा विशेषांक' का विमोचन किया गया.

RNI No. MAH HIN/2016/68433

नि:शुल्क वितरण हेतु

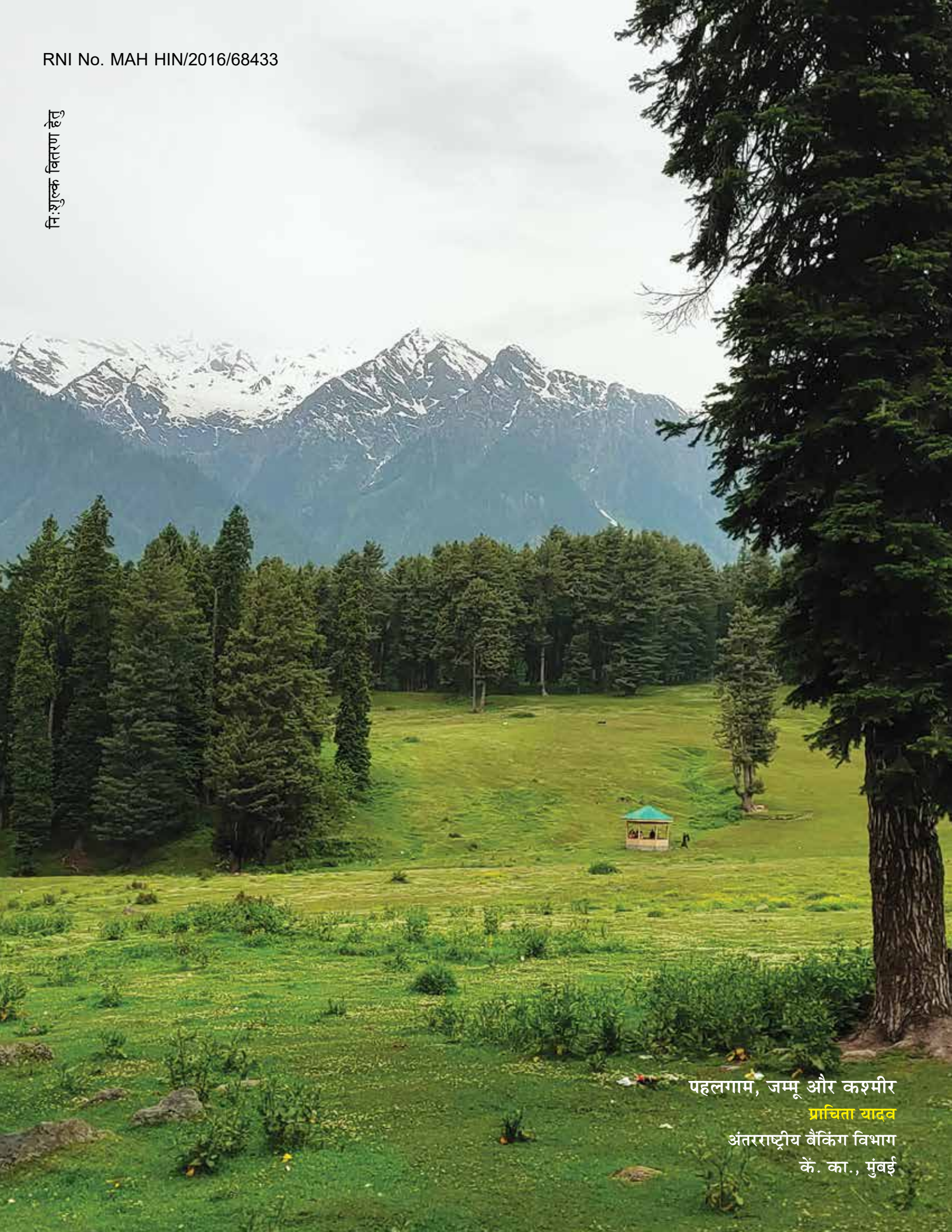

पहलगाम, जम्मू और कश्मीर

प्राचिता यादव
अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग विभाग
कें. का., मुंबई